(कार्यालय प्रयोगार्थ)

ऋण वितरण प्रक्रियॉ
एवं
अप्रेजल सम्बन्धी निर्देशिका

:: विषय सूची ::

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	बैंक द्वारा संचालित योजनाओं की सूची तथा ऋण वितरण प्रक्रियॉं	03 से 26 तक
2	वृद्धोन्मुख आय तथा ऋण भुगतान क्षमता की गणना हेतु प्रक्रियॉं	27 से 29 तक
3	लघु सिंचाई योजनाएँ	30 से 34 तक
4	फलोद्यान योजनाएँ	35 से 39 तक
5	औद्यानिक विकास योजनाएँ	40 से 45 तक
6	अकृषि क्षेत्र सम्बन्धी योजनाएँ	46 से 64 तक
7	कृषि यन्त्रीकरण योजनाएँ	65 से 86 तक
8	पशु पालन योजनाएँ	87 से 95 तक
9	मत्स्य पालन योजनाएँ	96 से 106 तक
10	मुर्गी पालन योजनाएँ	107 से 113 तक
11	डेयरी योजनाएँ	114 से 126 तक
12	नर्सरी, सगंध एवं औषधीय पौधों की योजनाएँ	127 से 147 तक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं ऋण वितरण प्रक्रिया

1. उद्देश्यः-

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,द्वारा कृषि एवं अकृषि क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालीन ऋण वितरित किया जाता है। बैंक द्वारा वितरित किये जा रहे विभिन्न उद्देश्यों हेतु ऋण की न्यूनतम अवधि 03 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 15 की है।

ऋण वितरणः-

वर्तमान में बैंक द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है :-

(1) लघु सिंचाईः-

कुआॅ, बोरिंग, बोरिंग व डीजल पम्पसेट, नलकूप, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई पद्धति , सबमर्सिबल पम्प, मध्यम व गहरे नलकूप आदि।

(2) कृषि यंत्रीकरणः-

ट्रैक्टर मय सहयंत्र, ट्राली, पावर टिलर, पावर थ्रेसर, कम्बाइन हार्वेस्टर,लेजर लैण्ड लेवलर आदि।

(3) डेयरीः-

दुधारू पशु हेतु।

(4) औद्यानिक विकासः-

केला, पपीता, आम, अमरूद, बेर, संतरा, नीबू, लुकाट, आंवला, मचान विधि से सब्जी की खेती(परवल, कुन्दरू, कुकरविट्स), अंगूर, नर्सरी विकास एवं ग्लैडियोलाई, रजनीगंधा व गुलाब के फूलों की खेती, मशरूम तथा पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार एवं भूमि संरक्षण, ऊसर एवं परती भूमि विकास, रेशम विकास आदि।

(5) पशु पालन-

बकरी, भेड़, सुअर, खच्चर आदि

(6) मत्स्य पालनः-

अविकसित तालाबों का विकास, नये तालाबों का निर्माण, हैचरी एवं मछली पालन एवं मीठे पानी में झींगा पालन।

(7) कुक्कुट पालनः-

ब्रायलर व लेयर हेतु

(8) पशु चालित वाहनः-

डनलपकार्ट ।

(9) अकृषि क्षेत्रः-

लघु एवं कुटीर उद्योग-आटा चक्की, तेलघानी, मिनी राइस मिल, विद्युत सजावट (जनरेटर), चारा मशीन मय इंजन, सिले-सिलाये वस्त्र योजना, टेण्ट हाउस, हस्तकरघा, कालीन निर्माण उद्योग, मौन पालन उद्योग, बेकरी, पी0सी0ओ0, फैक्स मशीन, फोटो कापी मशीन, पशु चिकित्सालय, लकड़ी के सामान बनाना, पीतल के बर्तन, गन्ना कोल्हू, टोकरी बनाना, खेल सामग्री, जूता बनाना, लोहारगीरी, रस्सी उद्योग, सिलाई मशीन, वायरमैन एवं मोटर बाइडिंग, मार्डन लाण्ड्री, मूर्ति कला, आफसेट प्रिटिंग प्रेस, आलू व केला चिप्स योजना, जलपान गृह, ट्रैक्टर माउण्टेड मिनी राइस मिल आदि।

(10) लघु सड़क परिवहनः-

पैसेंजर गाड़ी-बस, जीप, टैम्पो व आटो रिक्शा, मोटराइज्ड रिक्शा आदि।

भार ढोने की गाड़ी-ट्रक, मिनी ट्रक, डिलवरी वैन, ई रिक्शा आदि।

(11) ग्रामीण आवासः-

नये भवन का निर्माण तथा पुराने भवन की मरम्मत ।

(12) अन्य योजनायेंः-

दो पहिया वाहन योजना, भूमि क्रय योजना आदि।

(13) डेयरी योजनान्तर्गत विविधीकरण की योजनायेंः-

- दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापना।
- चारा उत्पादन योजना।
- उच्च गुणवत्ता वाली संकर गाय व भैंस पालन योजना।
- शहर की गौशालाओं से शुष्क, गाभिन पशु क्रय कर पालन की योजना।
- प्रजनन एवं ढुलाई हेतु उच्च नस्ल की गायों एवं भैंसों के नर बछड़े पालन की योजना।
- पशु चिकित्सा हेतु सेवा निवृत्त/वेटनरी डाक्टरों को पशु चिकित्सा हेतु निजी क्लीनिक खोलने की योजना।

(14) एग्री क्लीनिक योजनाः-

- भूमि जल जॉच सेवा केन्द्र।
- यंत्र सेवा केन्द्र।
- लघु प्रसंस्करण केन्द्र।
- रातिब एवं दवाई फुटकर बिक्री केन्द्र।
- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र।
- मत्स्य बीजोत्पादन इको हेचरी एवं प्रसार सेवा केन्द्र।
- औद्योनिक क्लीनिक एवं व्यावसायिक सेवा केन्द्र।
- वर्मी कम्पोस्ट इकाई।
- पौधा सुरक्षा एग्रो सेवा केन्द्र।

(15) <u>औषधीय पौधों की खेतीः-</u>

- सेट्रोनेला की व्यवसायिक खेती।
- पामारोजा की व्यवसायिक खेती।
- लेमन ग्रास की व्यवसायिक खेती।
- जटरोफा की खेती।

(16) <u>अन्य योजनायेंः-</u>

- प्याज भण्डारण हेतु ग्रामीण गोदाम।
- फलों के संरक्षा हेतु जीरो इनरजी कूल चैम्बर की योजना।
- वृहद मधुमक्खी पालन योजना।
- सोलर फोटो वोल्टिक लाइटिंग सिस्टम।
- सोलर फोटो वोल्टिक पम्पिंग सिस्टम।

2. <u>लाभार्थी की पात्रताः-</u>

उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले ऐसे समस्त नागरिक जो कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा-11 के अंतर्गत संविदा करने की पात्रता रखते हों बैंक से ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। लाभार्थी की कृषि योग्य भूमि ऋण वितरण की जाने वाली शाखा के कार्यक्षेत्र में होनी चाहिए तथा लाभार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। ऋण के इच्छुक व्यक्ति को किसी अन्य संस्था का देनदार नहीं होना चाहिए तथा ऐसे अपंग एवं अनपढ़ व्यक्ति जो बंधक पत्र के नियमों को समझ सकें को भी बैंक का सदस्य बनाया जा सकता है।

बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु ऋण अभिलाषी सदस्य को बैंक के निर्धारित फार्म (ग्रा0वि0बैंक-4) पर आवेदन करना होगा। फार्म का मूल्य मु0 20.00 रू0 निर्धारित किया गया है। कृषक के पास पर्याप्त प्रतिभूति न होने की दशा में कृषकों को संयुक्त रूप से ऋण लेने की सुविधा प्राप्त हैं। संयुक्त ऋण की दशा में अधिक से अधिक दो संयुक्त ऋणी या तो एक ही परिवार के हों अथवा आपस में सगे सम्बन्धी हों।

ऐसा व्यक्ति जो सहभागीदार के रूप में ऋण प्रार्थना पत्र में सम्मिलित होता है उसे नाम मात्र का सदस्य बनाया जा सकता है। नाम मात्र सदस्य को बैंक के लाभांश में कोई हिस्सा पाने का अधिकार नहीं होता है। पारिवारिक संयुक्त खाता होने की दशा में एक प्रार्थी मुख्य सदस्य तथा शेष नाम मात्र के सदस्य हो सकते हैं जो कि मुख्य सदस्य के पक्ष में अपने हिस्से की जमीन बंधक हेतु प्रस्तावित कर सकें। नाम मात्र सदस्यता शुल्क मु0 3/- रू0 प्रति नाम मात्र सदस्य से ऋण प्रार्थना पत्र के साथ शाखा पर जमा कराया जायेगा।

बैंक के माध्यम से व्यवसाय करने वाले तथा भविष्य में व्यवसाय करने हेतु मान्यता के लिए आवेदन करने वाले डीलर/फर्मों से नियमानुसार सदस्यता शुल्क रू0 3.00 जमा कराकर बैंक के नाम मात्र सदस्य बनाया जाये। नाम मात्र सदस्यों का एक प्रथक से रजिस्टर शाखा

पर रखा जायेगा। इस प्रकार के विस्तृत निर्देश इस कार्यालय के परिपत्र सं0-सी-94/ऋण/2004-05 दिनांक-16.09.2004 द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं।

ऋण लेने के इच्छुक लाभार्थियों का अपनी भूमि पर स्वामित्व होना अनिवार्य है तथा उसे बंधक रखने का अधिकार भी होना चाहिए।

समस्त संक्रणीय/असक्रंमणीय अधिकार वाले भूमिधर व सरकारी पट्टेदारों को उनकी भूमि बंधक कर ऋण प्रदान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश परिपत्र सं0-सी 153/ऋण/2004-05 दिनांक-20.12.2004 द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं। ऋण के सापेक्ष जो कृषि भूमि बंधक की जायेगी उस भूमि का मूल्यांकन तीन स्तरों पर यथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नवीनतम सर्किल रेट, बाजारू मूल्य एवं स्थानीय मूल्य के आधार पर किया जायेगा, जो भी मूल्य कम होगा उसी को आधार माना जायेगा। ऋण अभिलाषी द्वारा बैंक के पक्ष में ऋण के सापेक्ष जो कृषि भूमि बंधक की गयी है उसका नियमित तीन वर्ष के अंतराल में मूल्यांकन किया जायेगा जिससे ऋण की सुरक्षा बनी रहे।

(क) प्रतिभूतिः-

बैंक द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के वित्त पोषण हेतु न्यूनतम भूमि (जोत सीमा) निर्धारित की गयी है।

लघु सिंचाई योजनान्तर्गत पम्पसेट मय बोरिंग हेतु ऋण राशि के दोगुने मूल्य की कृषि योग्य भूमि न्यूनतम 0.75 एकड़ होना आवश्यक है। इसी प्रकार कृषक के पास स्वयं की बोरिंग भूस्तरीय जल उपलब्ध होने की दशा में पम्पसेट हेतु ऋण राशि के दोगुने मूल्य की कृषि योग्य भूमि न्यूनतम 0.50 एकड़ होना आवश्यक है। प्रत्येक ऐसे प्रकरण में शाखा प्रबन्धक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वितरित किये जाने वाला ऋण स्व-श्रयी हो तथा कृषक जल विक्रय के आधार पर न्यूनतम एकड़ 1.50 एकड़ निकटवर्ती भूमि का सिंचन होगा।

कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत ट्रैक्टर ऋण हेतु ऋण की प्रतिभूति के रूप में ऋण राशि के दोगुने मूल्य की कृषि योग्य भूमि न्यूनतम चार एकड़ (ढाई फसली), पांच एकड़ (दो फसली), दस एकड़(एक फसली) जोत सीमा होना आवश्यक है। कतिपय मामलों में कृषक के पास न्यूनतम जोत सीमा से कम जोत होने के कारण वह बैंक से ट्रैक्टर हेतु ऋण नहीं प्राप्त कर पा रहा था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत ट्रैक्टर/पावर ट्रिलर हेतु न्यूनतम जोत सीमा में निम्नवत् शिथिलता प्रदान की गयी है

ऋण राशि	**न्यूनतम जोत सीमा(बारहमासी सिंचित भूमि)**
रू0 3.00 लाख तक	डेढ़ से दो एकड़
रू0 3 से 5 लाख तक	दो एकड़ से अधिक व तीन एकड़ तक
रू0 5.00 लाख से अधिक	तीन एकड़ से अधिक

परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि कृषक द्वारा वांछित ऋण राशि से दो गुने मूल्य की कृषि योग्य भूमि अवश्य बंधक की जाये एवं ट्रैक्टर के मूल्य का न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि अवश्य स्वीकृत की जाये।

कम्बाइन हार्वेस्टर के लिए ऋण की प्रतिभूति के साथ में ऋण राशि के दो गुने मूल्य की कृषि भूमि न्यूनतम 10 एकड़ भूमि बैंक के पक्ष में बंधक रखकर कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) संयुक्त ऋणः-

ट्रैक्टर एवं अन्य उद्देश्यों के लिए संयुक्त ऋण निम्नानुसार किया जायेगा-

1. किसी भी संयुक्त ऋण में अधिक से अधिक दो सहभागी हो सकते हैं वे या तो एक ही परिवार के हो अथवा आपस में सगे सम्बन्धी हों।
2. संयुक्त ऋण लेने वाले दोनों व्यक्ति यथा सम्भव एक ही गॉव के निवासी हों तथा उनकी भूमि आस-पास हो। यदि ऋण लेने वाले दोनों व्यक्ति सगे सम्बन्धी हैं तो एक से भिन्न गॉव के भी हो सकते हैं। लेकिन प्रत्येक दशा में उनकी भूमि एवं निवास बैंक की शाखा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए।
3. शाखा प्रबन्धक का यह उत्तरदायित्व होगा कि दोनों ऋण सहभागियों को यह स्पष्ट कर दें कि उनके द्वारा ऋण संयुक्त रूप से लिया जा रहा है और ऋण अदायगी के लिए दोनों संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक भी उत्तरदायी होंगे। इस आशय का एक शपथ पत्र भी उनसे लिया जायेगा। किसी सहभागी को यह भ्रांति न रहे कि एक व्यक्ति ऋण ले रहा है और दूसरा व्यक्ति केवल गवाह है।
4. दोनों ऋण सहभागियों की भूमि का मौके पर सत्यापन अवश्य किया जाना चाहिए और पत्रावली तैयार करने वाले फील्ड कर्मी एक अप्रेजल एवं प्रमाण पत्र देगा कि जो भूमि बंधक रखी जा रही है उसमें ऐसी फसल पैदा हो रही है जिसके आधार पर ऋण लेने वाले व्यक्ति उसकी अदायगी करने में सक्षम होंगे। ट्रैक्टर के ऋण वितरण में ऋण चाहे एक व्यक्ति ले अथवा संयुक्त रूप में, शाखा प्रबन्धक की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, कि बंधक रखने वाली भूमि का मौके पर निरीक्षण एवं परीक्षण स्वयं करें। बैंक के शाखा प्रबन्धक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि उनके क्षेत्र में जितने भी ट्रैक्टर के ऋण वितरित हों, उनकी भूमि एवं ट्रैक्टर का स्वयं मौके पर जाकर ऋण वितरण के 03 माह के अंतर्गत निरीक्षण करें।
5. संयुक्त ऋण वाले जिस व्यक्ति द्वारा ऋण अदायगी बैंक को दी जायेगी वह धनराशि उसी व्यक्ति के खाते में समायोजित की जायेगी और यदि बंधक रखी वस्तु की नीलामी होती है तो इस नीलामी से प्राप्त धनराशि सम्बन्धित व्यक्तियों के खाते में उसी अनुपात में जमा की जायेगी जिस अनुपात में उन्हें ऋण दिया गया है।

(ग) मिश्रित ऋणः-

कृषक कभी-कभी एक प्रोजेक्ट के साथ-साथ दूसरा प्रोजेक्ट भी स्थापित करना चाहता है। ऐसी स्थिति में कृषक की यदि ऋण क्षमता आती है तो उसे मिश्रित ऋण के रूप में दोनों प्रोजेक्टों हेतु नियमानुसार ऋण निम्न औपचारिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा-

(क) मिश्रित ऋण प्रार्थना पत्र में जिन उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है उनमें से यदि किसी प्रोजेक्ट में न्यूनतम जोत सीमा निर्धारित की गयी है तो उस सीमा तक एवं कुल ऋण राशि के दोगुने मूल्य के बराबर भूमि बंधक कराई जायेगी।

(ख) मिश्रित ऋण में एक ही बंधक पत्र भराया जायेगा जिसमें उद्देश्य एवं अवधि का पृथक- पृथक उल्लेख किया जायेगा।
(ग) विभिन्न उद्देश्यों हेतु निर्धारित किश्तों के अनुरूप ऋण वितरण किया जायेगा।
घ-शाखा प्रबन्धक अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें कि मिश्रित ऋण में दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे के पूरक हों।
च- ऋण स्वीकृति के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि लाभार्थी को दूसरे प्रोजेक्ट की आवश्यकता है एवं उसकी ऋण भुगतान क्षमता पर्याप्त है।
छ- दोनों उद्देश्यों हेतु पृथक-पृथक अप्रेजल निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त यदि लाभार्थी बैंक द्वारा निर्धारित एक यूनिट के स्थान पर दो यूनिट हेतु ऋण चाहता हैं और उसकी भुगतान क्षमता पर्याप्त है तो लाभार्थी को दूसरे यूनिट के लिए भी ऋण दिया जायेगा। जैसे-बैंक द्वारा सूकर पालन योजनान्तर्गत चार सूकरी एवं एक सूकर की इकाई लागत निर्धारित है। यदि लाभार्थी दो यूनिट हेतु ऋण चाहता है और उसकी ऋण भुगतान क्षमता पर्याप्त है तो ऐसी दशा में उसे दो यूनिट के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

(घ) द्वितीय ऋण-

एक ऋण के रहते हुए द्वितीय ऋण उपलब्ध कराने एवं पुराने ऋण खाते को बंद करके पुनः द्वितीय ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगीः-

1. एक ऋण के रहते हुए द्वितीय ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु मापदण्डः-

बैंक द्वारा प्रदेश के समस्त कृषकों को, उन पर ऋण के रहते द्वितीय ऋण सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध करायी जायेगीः-

1. जिन कृषकों के पास पर्याप्त कृषित भूमि प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध हो तथा कृषक की ऋण क्षमता पूर्व में लिए गये ऋण के अदत्त अवशेष मूलधन एवं बाद में लिए जाने वाले ऋण राशि के लिए पर्याप्त हो तथा लाभार्थी बकायेदार न हो। यदि बंधक की गयी भूमि द्वितीय ऋण हेतु पर्याप्त न हो, ऐसी दशा में अतिरिक्त भूमि भी बंधक की जायेगी।
2. नया ऋण बैंक में प्रचलित समस्त उद्देश्यों हेतु प्रदान किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रथम ऋण जिस उद्देश्य हेतु दिया गया हो,दूसरा ऋण उससे भिन्न हो।(डेयरी योजना को छोड़कर)
3. ऐसे बकायेदार ऋणी सदस्य, जो पूर्व में हठी बकायेदार रहे हों, को ऋण किसी भी दशा में नहीं उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु यदि किसी प्राकृतिक आपदावश/अपरिहार्य कारणों से ऋण की किश्त नहीं जमा होती है तो उसे हठी बकायेदार नहीं माना जायेगा और वह पूर्व ऋणखाता बंद करने के बाद दोबारा ऋण वितरण हेतु पात्र होगा।
4. यह सुविधा उन्हीं ऋणाभिलाषी कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिन्होंने पूर्व में लिए गये ऋण का सदुपयोग किया हो। इसको सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी शाखा

प्रबन्धक की होगी।ऋण- वितरण सम्बन्धी अन्य औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण कराई जायेंगी।

(च) ऋण प्रार्थना पत्र तैयार करने हेतु अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी-

बैंक द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं अंतर्गत भी ऋण वितरण किया जाता है जिसके ऋण प्रार्थना पत्र सम्बन्धित विभाग के अधिकृत कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा तैयार किये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त बैंक की सामान्य योजनाओं के ऋण प्रार्थना पत्र भी अन्य विभाग के अधिकारियें/कर्मचारियों द्वारा तैयार किये जाते हैं। अधिकृत कर्मचारियों/अधिकारियें का विवरण निम्नवत् हैः-

1. ग्राम विकास अधिकारी, अवर अभियंता लघु सिंचाई, बोरिंग टेक्निशियन, गन्ना विकास, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) सहायक चकबन्दी अधिकारी, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, सहायक उद्यान निरीक्षक, सहकारी सर्वेक्षक, मत्स्य विकास के सहायक निदेशक/वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक, दुग्ध समिति के इंचार्ज, परियोजना पर्यवेक्षक दुग्ध एवं रेशम अधिकारी।
2. प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक
3. बैंक द्वारा संचालित समस्त योजनाओं, अकृषि क्षेत्र एवं एस0आर0टी0ओ0, कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत ऋण पत्रावलियां बैंक के फील्ड स्टाफ द्वारा ही तैयार की जायेंगी।

शासकीय कर्मचारियों द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक ऋण पत्रावली में स्वीकृति से पूर्व कृषक की फोटो का प्रमाणीकरण, बैंक पक्ष में प्रस्तावित बंधक भूमि की स्थानीय जॉच व खसरा खतौनी के मूल अभिलेख से मिलान आदि शाखा के फील्ड स्टाफ द्वारा भी अनिवार्य रूप से कर अपनी स्पष्ट संस्तुति ऋण पत्रावली में की जायेगी। तीन लाख से अधिक के ऋण वितरण के लिए बंधक की जाने वाली भूमि का सर्वेक्षण शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वयं करना अनिवार्य है।

प्रत्येक ऋण प्रकरण में पत्रावली तैयारकर्ता द्वारा बंधक हेतु प्रस्तावित भूमि का अंकित बाजारू मूल्य शाखा प्रबन्धक द्वारा पुष्टि की जायगी। निर्धारित बाजारू मूल्य सही है तथा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण के दोगुने मूल्य से किसी भी दशा में कम नहीं है, इस आशय का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न करना अनिवार्य है तथा यह भी प्रमाणित किया जायेगा कि ऋण अदा न होने की दशा में यदि बंधक की गयी भूमि नीलामी की जाती है तो उससे समस्त बकाया ऋण राशि मय तातारीख ब्याज के अदा हो जायेगा।

(छ) फोटो का प्रमाणीकरण-

बैंक द्वारा निर्धारित ऋण प्रार्थना पत्र (ग्र0वि0बैं0-4) पर ऋणी सदस्य द्वारा लगाये गये फोटो को प्रमाणित करने की निम्न व्यवस्था हैः-

1. ग्राम प्रधान, राजपत्रित अधिकारी के अतिरिक्त ऋण पत्रावली तैयार करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा भी अनिवार्य रूप से स्थानीय जॉच के समय फोटो प्रमाणित किया जाये। प्रतिहस्ताक्षरित फोटो को मान्यता न दी जाये।

2. कृषक के फोटो का प्रमाणीकरण ऋण प्रार्थना पत्र पर चस्पा होने के पश्चात ही किया जाये, जिससे कि फोटो प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर का कुछ अंश फोटो पर तथा अवशेष ऋण प्रार्थना पत्र पर हो जायें। फोटो प्रमाणितकर्ता का नाम व पदनाम (मोहर सहित) स्पष्ट अंकित हो।
3. पृथक से किसी भी कागज पर फोटो प्रमाणित होने के पश्चात ऋण प्रार्थना पत्र पर चस्पा किया जाना मान्य न होगा। इससे फोटो प्रमाणितकर्ता को इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि फोटो प्रमाणीकरण किस कार्य हेतु कराया गया है।
4. बैंक द्वारा सम्बन्धित समस्त विकास विभाग के अधिकृत कर्मचारियें/अधिकारियों के हस्ताक्षर की प्रमाणीकृत सूची सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/जिला स्तरीय राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त की जाये जिसकी एक प्रति ऋण भुगतानकर्ता बैंक को भी भेजी जाये। कर्मचारियों के हस्ताक्षरों/नामों की सूची प्राप्त होने पर शाखा प्रबन्धक प्रमाणितकर्ता अधिकृत अधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनके हस्ताक्षर की पुष्टि भी करेंगे।
5. बैंक के सहायक फील्ड आफिसर/ फील्ड आफिसर/शाखा प्रबन्धक द्वारा तैयार प्रार्थना पत्रों के फोटो प्रमाणीकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से अधिकृत हैं।
6. अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के प्रपत्र को पत्र प्राप्ति रजिस्टर में अवश्य अंकित किया जाये। शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रमाणित हस्ताक्षर के प्रपत्र एक पृथक पत्रावली में रखे जायें, जो कि शाखा आंकिक(लेखा) के चार्ज में रहेगी। प्रत्येक ऋण भुगतान से पूर्व कार्यालय में उपलब्ध प्रमाणित हस्ताक्षरों से ऋण पत्रावली में उपलब्ध कर्मचारियों के हस्ताक्षरों का मिलान शाखा प्रबन्धक एवं शाखा आंकिक अवश्य करेंगे।

(ज) भू-अभिलेखः-

वर्तमान में लेखपाल द्वारा निर्गत वर्तमान खसरा-खतौनी की सत्य प्रतियों के आधार पर बैंक द्वारा ऋण वितरण किया जा रहा है। इन खसरा-खतौनी नकलों पर लेखपाल प्रमाण पत्र भी नियमानुसार अंकित होता है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत खतौनी निर्गत की जा रही हे। कृषक की खसरा खतौनी की नकल तथा चकबंदी होने की दशा में वांछित अभिलेख शाखा प्रबन्धक द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। चकबंदी के मामले में आकार पत्र 11, 23 अथवा 45(जैसी भी स्थिति हो) की नकल संलग्न करना होगा।

खतौनी कम्प्यूटराइज्ड होने की दशा में संबंधित फील्ड कर्मी/पत्रावली तैयारकर्ता द्वारा स्वयं तहसील से खतौनी प्राप्त करके उस पर मिलान अंकित किया जायेगा जिसके लिए निर्धारित शुल्क बैंक के व्यय पर तहसील में जमा किया जायेगा। प्राप्त कम्प्यूटराइज्ड खतौनी में निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर संबंधित फील्ड कर्मी/पत्रावली तैयारकर्ता द्वारा प्रमाणित किये जायेंगें, जिसकी भाषा निम्नवत् होगा (इस आशय की मुहर शाखा पर बनवा ली जाये):-

''प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....(कृषक का नाम) के ग्राम..... ..... की प्राप्त कम्प्यूटराइज्ड खतौनी पर निर्गतकर्ता श्री..... पदनाम..... द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं।''

1 खसरा पूर्व की भॉति कृषकों द्वारा स्वयं बैंक में प्रस्तुत किया जायेगा।

2.द्वितीय ऋण हेतु नयी ऋण पत्रावली तैयार की जायेगी, जिस पर पूर्व में ऋण पत्रावली का संदर्भ अंकित किया जायेगा तथा द्वितीय ऋण के खाते पर प्रथम ऋण के खाते का संदर्भ अंकित किया जाये।

3.द्वितीय ऋण बैंक में प्रचलित समस्त उद्देश्यों हेतु प्रदान किया जायेगा। प्रतिबंध यह होगा कि प्रथम ऋण जिस उद्देश्य हेतु दिया गया हो, दूसरा ऋण उससे भिन्न हो।

4.द्वितीय ऋण हेतु कृषक की भूमि पर उसके भौमिक एवं मालिकाना अधिकार की वर्तमान जानकारी के लिए खसरा-खतौनी की वर्तमान नकलें नियमानुसार प्राप्त की जायेगी तथा स्थानीय जॉच भी की जायेगी।

5. द्वितीय ऋण, प्रथम ऋण के प्रथम किश्त की समयावधि के अंतर्गत अदायगी के पश्चात अथवा प्रथम ऋण के वितरण की तिथि के एक वर्ष के पश्चात, जो भी अवधि बाद में व्यतीत हो (अर्थात जो भी समय अधिक हो), उसके उपरांत ही दिया जायेगा तथा द्वितीय ऋण के निष्पादित बंधक पत्र पर निम्न नोट लिखा जायेगा-

''प्रार्थी---------- पुत्र श्री ----------
नि0ग्राम----------मु0----------रू0----------
उद्देश्य हेतु दिनांक---------- को निष्पादित बंधक पत्र द्वारा लिया था, जिसमें से मूलधन का मु0----------रू0 अदा कर दिया गया है। शेष मूलधन मु0----------रू0 अदा करना अवशेष है, जिसका भी मैं देनदार रहूँगा।''

6. द्वितीय ऋण देने हेतु भार-मुक्त प्रमाण पत्र पूर्व निष्पादित बंधक पत्र के दिनांक से द्वितीय ऋण हेतु निष्पादित बंधक पत्र के एक दिन बाद तक का ही लिया जायेगा।

7. द्वितीय ऋण पर, ऋण देने के समय लागू ब्याज दर प्रभावी होगी।

8. ऐसे बकायेदार कृषक, जो किसी विषम परिस्थिति के कारण अपनी एक या दो किश्त जमा न कर पायें हो और बिना किसी उत्पीड़क कार्यवाही के अपनी बकाया किश्तों की अदायगी कर देते हैं तो वे पुनः ऋण लेते हैं तो अर्ह होंगे। किसी भी दशा में किसी ऋणी सदस्य के ऊपर एक समय में दो ऋण से अधिक नहीं होगा।

इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे बकायेदार कृषक, जो उत्पीड़क कार्यवाही अर्थात कुर्की अथवा नीलामी प्रक्रिया अथवा नीलामी अथवा गिरफ्तारी के पश्चात अपना बकाया अदा करते हैं वे अपना खाता बंद करने के बाद ही प्रस्तर-2 में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे।

9. यदि कृषक के प्रथम ऋण हेतु ऋण प्रार्थना पत्र प्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षरित फोटो लगे हैं तो द्वितीय ऋण के लिए मात्र एक फोटो लेना ही पर्याप्त होगा, जिसे फील्ड स्टाफ/पत्रावली तैयारकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2. <u>ऋण खाता बंद करने के पश्चात पुनः नया ऋण प्रदान किये जाने हेतु मापदण्डः-</u>

बैंक द्वारा प्रदेश के ऐसे कृषकों, जिनके द्वारा पूर्व में लिए गये ऋण की सम्पूर्ण अदायगी कर दी गई हो, उन्हें पुनः नया ऋण निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जायेगाः-

1. बैंक के ऋणी सदस्यों द्वारा उनके पूर्व में लिए गये ऋण की सम्पूर्ण अदायगी के पश्चात ऋण खाता बंद होने की दशा में ही सम्बन्धित कृषक को पुनः नया ऋण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए प्रतिबंध यह होगा कि पुराना ऋण खाता बंद होने के एक सप्ताह (सात दिन) के पश्चात ही सम्बन्धित कृषक का ऋण प्रार्थना पत्र(ऋण पत्रावली) शाखा पर जमा की जायेगी तथा उसके उपरांत ही नियमानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए ऋण प्रदान किया जायेगा।

(झ) सीजनैल्टीः-

बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में भूमि आधारित(फार्म सेक्टर) तथा गैर भूमि आधारित(नान फार्म सेक्टर) उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं में अलग अलग समय पर ऋण वितरण करने की आवश्यकता है क्योंकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन का समय भी अलग अलग होता हे। अतः योजनाओं की सीजनल्टी के अनुसार प्रोजेक्ट को स्थापित करने पर लाभार्थी को प्रोजेक्ट से उचित आय प्राप्त होगी तथा ऋण की वसूली भी सुनिश्चित होगी
बैंक द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु कैलेण्डर निम्नवत् हैः-

क्रमांक	उद्देश्य	ऋण की अवधि
1	बोरिंग, पम्पसेट नलकूप आदि	सम्पूर्ण वर्ष
2	टैक्टर, ट्राली, थ्रेसर आदि	सम्पूर्ण वर्ष
3	अकृषि क्षेत्र	सम्पूर्ण वर्ष
4	लघु सड़क एवं जल परिवाहन परिचालक योजना	सम्पूर्ण वर्ष
5	डेयरी (दुधारू पशु) (क) भैंस (ख) गाय	जुलाई से दिसम्बर, जनवरी से अप्रैल
6	बकरी	वर्षभर
7	भेंड़	वर्षभर
8	खच्चर	वर्षभर
9.	सूकर	वर्षभर
10	मछली पालन	जून से सितम्बर
11	मुर्गी पालन (क) लेयर्स (ख) ब्रायलर	वर्षभर
12	आम विकास	जनवरी से जुलाई फरवरी से मार्च
13	अमरूद विकास	जनवरी से जुलाई फरवरी से मार्च
14	बेर	फरवरी से मार्च अगस्त से सितम्बर
15	**नीबू प्रजातियां**	
	कागदी, नीबू लेमन, संतरा, मालटा, मौसमी, किन्ना एवं ग्रेट फ्रूट	जून से जुलाई व फरवरी से मार्च
16	आंवला सामान्य भूमि	जून से जुलाई

17	आंवला ऊसर भूमि	जून से जुलाई
18	आंवला एवं अमरूद(ऊसर भूमि)	जून से जुलाई
19	लीची	जुलाई से अगस्त
20	अंगूर	जनवरी से नवम्बर
21	लोकाट	जून से जुलाई फरवरी से मार्च
22	पपीता	सितम्बर से मार्च
23	केला	जून से जुलाई फरवरी से मार्च
24	बेल	जून से जुलाई
25	फालसा	जुलाई से अगस्त एवं फरवरी
	गुठलीदार फल	
26	आम, आडू एवं खुबानी	जनवरी से फरवरी
27	परवल	सितम्बर से अक्टूबर
28	कुंदरू	जून से जुलाई
29	मशरूम	वर्षभर कमरे के वातावारण को नियंत्रित करके
	पुष्प योजना	
30	ग्लेडियोलाई	अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर
31	गुलाब	जुलाई से सितम्बर
32	रजनीगंधा	फरवरी से 15 अप्रैल तक

यदि उपरोक्त फसल कलेण्डर में, स्थान विशेष की जलवायु के आधार पर, भिन्नता पाई जाती है तो स्थानीय जिला उद्यान अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर वांछित योजनान्तर्गत ऋण वितरण किया जा सकता है।

(ट) इकाई लागतः-

ऋणी सदस्य द्वारा जिस प्रोजेक्ट हेतु ऋण प्राप्त करने का आवेदन किया गया है उस उद्देश्य हेतु ऋण राशि नाबार्ड द्वारा स्वीकृत इकाई लागत के आधार पर की जायेगी। नाबार्ड द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की वसूली की किश्त, ग्रेस पीरियड एवं अदायगी अवधि निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	**विवरण**	**अन्य विवरण**	**अदायगी अवधि**	**वसूली की किश्त**	**ग्रेस पीरियड**
	(अ) अल्प सिंचाई				
1	सिंचाई कूप	मैदानी क्षेत्र	15 वर्ष	वार्षिक	23 माह
2	सिंचाई कूप	पथरीला क्षेत्र	15 वर्ष	वार्षिक	23 माह
3	सिंचाई कूप	पथरीला क्षेत्र	15 वर्ष	वार्षिक	23 माह
4	पुराने कूप को गहरा करने	पथरीला क्षेत्र	11 वर्ष	वार्षिक	23 माह
	(ब) बोरिंग				

1	कैविटी बोरिंग	पी0वी0सी0पाइप	15 वर्ष	वार्षिक	11 माह
2	जालीदार बोरिंग	पी0वी0सी0पाइप	15 वर्ष	वार्षिक	11 माह
3	कैविटी बोरिंग	लोहे का पाइप	15 वर्ष	वार्षिक	11 माह
4	जालीदार बोरिंग	लोहे का पाइप	15 वर्ष	वार्षिक	11 माह
	(स) मध्यम गहरी बोरिंग (40 मी. से अधिक)				
1	जालीदार बोरिंग	150 एम0एम0 लोहे का पाइप	15 वर्ष	वार्षिक	11 माह
	(द) कम्पलीट पम्पिंग सिस्टम सेट्री फुगल (डी0पी0 सेट सहित)				
1	3.0 हार्स पावर	पम्पिंग सेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
2	5.0 हार्स पावर	पम्पिंग सेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
3	6.5 हार्स पावर	पम्पिंग सेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
4	8.0 हार्स पावर	पम्पिंग सेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
5	10 हार्स पावर	पम्पिंग सेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
	कम्पलीट विद्युत पम्पसेट				
1	3.0 हार्स पावर	कम्पलीट विद्युत पम्पसेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
2	5.0 हार्स पावर	कम्पलीट विद्युत पम्पसेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
3	7.5 हार्स पावर	कम्पलीट विद्युत पम्पसेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
	(5) सब मर्सिबल पम्पसेट				
1	3.0 हार्स पावर	कम्पलीट पम्पसेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
2	5.0 हार्स पावर	कम्पलीट पम्पसेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
3	7.5 हार्स पावर	कम्पलीट पम्पसेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
9	10 हार्स पावर	कम्पलीट पम्पसेट	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
	(6) डिलवरी टैंक	1.5 मी0 X1.5 मी0 X1.5 मी0	15 वर्ष	वार्षिक	प्रोजेक्ट के अनुसार
	(7) पम्प हाउस	3.0 मी0 X3.0 मी0 X2.5 मी0	15 वर्ष	वार्षिक	प्रोजेक्ट के अनुसार
	(8) पाइप लाइन				
1	पाइप कपलर सहित	63 मी.मी.व्यास	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह

		X6.0मी0लम्बाई			
2	पाइप कपलर सहित	75 मि.मी.व्यास X6.0मि.लम्बाई	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
3	पाइप कपलर सहित	90 मि.मी.व्यास X6.0मी0लम्बाई	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
4	पाइप कपलर सहित	110 मि.मी.व्यास X6.0मी0लम्बाई	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
5	पी0वी0सी पाइप कपलर सहित	63 मि.मी.व्यास X6.0मी0लम्बाई	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
6	पी0वी0सी पाइप कपलर सहित	75 मि.मी.व्यास X6.0मी0लम्बाई	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
7	पी0वी0सी पाइप कपलर सहित	90 मि.मी.व्यास X6.0मी0लम्बाई	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
8	पी0वी0सी पाइप कपलर सहित	83 मि.मी.व्यास X6.0मी0लम्बाई	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
9	पी0वी0सी पाइप कपलर सहित	75 मि.मी.व्यास X6.0मी0लम्बाई	9 वर्ष	वार्षिक	11 माह
	(9) स्प्रिंकलर सेट				
1	अल्युमिनियम पाईप	1 हे0 के लिए	07 वर्ष	वार्षिक	11 माह
2	एच.डी.पी.ई. पाईप	1 हे0 के लिए	07 वर्ष	वार्षिक	11 माह
3	अल्युमिनियम पाईप	1.5 हे0 के लिए	07 वर्ष	वार्षिक	11 माह
4	एच.डी.पी.ई. पाईप	1.5 हे0 के लिए	07 वर्ष	वार्षिक	11 माह
5	अल्युमिनियम पाईप	2.5 हे0 के लिए	07 वर्ष	वार्षिक	11 माह
6	एच.डी.पी.ई. पाईप	2.5 हे0 के लिए	07 वर्ष	वार्षिक	11 माह
	(10) ड्रिप सिंचाई				
1	**आम और आवला के बाग के लिए**	1 हे0 हेतु	07 वर्ष	वार्षिक	11 माह
2	**सेब, नीबू, अमरूद के बाग के लिए**	1 हे0 हेतु	07 वर्ष	वार्षिक	11 माह
3	**अंगूर,केला,पपीता**	1 हे0 हेतु	07 वर्ष	वार्षिक	11 माह

4	**गुलाब**	1 हे0 हेतु	07 वर्ष	वार्षिक	36 माह
	कृषि यंत्रीकरण				
1	ट्रैक्टर/पावर ट्रिलर एवं सहयंत्र	विभिन्न अश्व शक्ति	07 वर्ष	छःमाही	शून्य
2	ट्राली	दो पहिया	07 वर्ष	छःमाही	शून्य
3	ट्राली	चार पहिया	07 वर्ष	छःमाही	शून्य
4	ट्राली(मेरठ एवं मुरादाबाद मण्डल)	चार पहिया बड़ी	07 वर्ष	छःमाही	शून्य

डेयरी एवं डेयरी विविधीकरण योजनायेंः-

क्र0सं 0	**विवरण**	**अदायगी अवधि**	**वसूली की किश्त**	**ग्रेस पीरियड**
	डेयरी			
1	2 मुर्रा भैंस/संकर गाय	05 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	शून्य
2	मिनी डेरी 4 मुर्रा भैंस/ संकर गाय	05 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	शून्य
3	वृहद डेरी 10 मुर्रा भैंस / संकर गाय	05 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	शून्य
4	वृहद डेरी 20 मुर्रा भैंस / संकर गाय	05 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	शून्य
5	सघन मिनी डेरी 2 मुर्रा भैंस / संकर गाय	05 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	शून्य
डेयरी विविधीकरणः-				
1	उच्च गुणवत्ता वाले संकर गाय एवं भैंस पालन योजना	4 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	शून्य
2	लूसर्न(हरा-चारा)उत्पादन योजना	3 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	शून्य
3	नर बछड़ा पालन योजना 5 से 6 महीने के 2 नर बछड़े	6 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	2.5वर्ष
4	शुष्क गाभिन गाय/भैंस पालन योजना	4 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	शून्य
एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस सेण्टरः-				
1	भूमि जल जॉच सेवा केन्द्र	6 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	1 वर्ष
2	कृषि यंत्रों हेतु ऐग्री सेवा केन्द्र	6 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	1 वर्ष
3	लघु प्रसंस्करण और कृषि यंत्रीकरण ऐग्रो सेवा केन्द्र	10 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	1 वर्ष
4	निजी पशु चिकित्सा केन्द्र	8 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	1 वर्ष
5	निजी पशु चिकित्सा दवाई	5 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	1 वर्ष

	फुटकर बिक्री केन्द्र			
6	निजी पशु चिकित्सा केन्द्र दुग्ध इकाई सहित	5 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	1 वर्ष
7	निजी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र माडल-1 माडल-2	 7 वर्ष 7 वर्ष	 मासिक/त्रैमासिक मासिक/त्रैमासिक	 1 वर्ष 1 वर्ष
8	मत्स्य बीज उत्पादन, इको हेचरी एवं प्रसार सेवा केन्द्र	5 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	1 वर्ष
9	औद्यानिक क्लीनिक एवं व्यवसायिक सेवाकेन्द्र	5 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	1 वर्ष
10	वर्मी कम्पोस्ट इकाई (जैव खाद इकाई)	8 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	1 वर्ष
11	पौध सुरक्षा एग्रो सेवाकेन्द्र	6 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	1 वर्ष
12	दुग्ध प्रसंस्करण	6 वर्ष	मासिक/त्रैमासिक	1 वर्ष

पशु चालित गाड़ी

क्र0सं 0	**विवरण**	**अदायगी अवधि**	**वसूली की किश्त**	**ग्रेस पीरिएड**
1	गाड़ी 5" – 19"	07 वर्ष	त्रैमासिक/छमाही	शून्य
2	गाड़ी 6" – 19"	07 वर्ष	त्रैमासिक/छमाही	शून्य
3	गाड़ी 7" – 19"	07 वर्ष	त्रैमासिक/छमाही	शून्य
4	गाड़ी 8" – 19"	07 वर्ष	त्रैमासिक/छमाही	शून्य
5	2 पशु	07 वर्ष	त्रैमासिक/छमाही	शून्य
6	2 हरियाना नस्ल	07 वर्ष	त्रैमासिक/छमाही	शून्य

पशु पालन योजनाः-

1	बकरी पालन जमुनापारी /आदि 20 बकरी + एक बकरा	5 वर्ष	त्रैमासिक/छमाही	1 वर्ष
2	बकरी पालन जमुनापारी / आदि 10 बकरी + एक बकरा	5 वर्ष	त्रैमासिक/छमाही	1 वर्ष
3	सूकर पालन 4 सूकरी एक सूकर	5 वर्ष	त्रैमासिक/छमाही	1 वर्ष
4	भेंड़ पालन 1 भेंड़ा 20 भेंड़	7 वर्ष	त्रैमासिक/छमाही	1 वर्ष
कुक्कुट पालनः-				
1	लेयर 5000 मुर्गी अण्डा उत्पादन	8 वर्ष	छमाही	1 वर्ष
2	बायलर 5000 पक्षी	7 वर्ष	छमाही	1वर्ष

अकृषि क्षेत्र की योजनायें:-

क्र0सं0	योजना का नाम	ग्रेस पीरियड	वसूली किश्त अवधि	ऋण अदायगी
1	आटा चक्की	2 माह	मासिक	5 वर्ष
2	मिनी राइस मिल(इजन रहित)	2 माह	मासिक	5 वर्ष
3	मिनी राइस मिल(10 हा0पा0)	2 माह	मासिक	5 वर्ष
4	मिनी राइस मिल(22 हा0पा0)	2 माह	मासिक	5 वर्ष
5	चारा मशीन मय डीजल	2 माह	मासिक	5 वर्ष
6	सिले-सिलाये वस्त्रों की योजना	2 माह	मासिक	5 वर्ष
7	विद्युत सजावट एवं जनरेटर सेट	2 माह	मासिक	5 वर्ष
8	गुड़ प्रसंस्करण	2 माह	मासिक	5 वर्ष
9	तेलघानी(4 बोल्ट)	2 माह	मासिक	5 वर्ष
10	टेण्ट हाउस	2 माह	मासिक	5 वर्ष
11	धन हालर	2 माह	मासिक	5 वर्ष
12	हस्तकरघा उद्योग योजना	2 माह	मासिक	5 वर्ष
13	चूड़ा उद्योग योजना	2 माह	मासिक	5 वर्ष
14	काष्ठ कला	2 माह	मासिक	5 वर्ष
15	मूढ़ा उद्योग	2 माह	मासिक	5 वर्ष
16	कालीन उद्योग	2 माह	मासिक	5 वर्ष
17	कृषि यंत्रीकरण सर्विस सेंटर क-पशु/हस्तचालित योजना	-	छमाही	-
	ख-ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रीकरण सर्विस सेण्टर	-	छमाही	-
	ग-पम्पसेट सहित	-	छमाही	-
18	पत्तल बनाने की योजना	2 माह	वार्षिक	10 वर्ष
19	मीठे पानी में झीगा पालन	एक वर्ष	छमाही	8 वर्ष
20	आलू व केले के चिप्स बनाने की योजना	एक वर्ष		7वर्ष ग्रेस पीरिएड जोड़ कर 8 वर्ष
21	वायरमैन एवं मोटर वाइडिंग उद्योग	2 माह	मासिक	5 वर्ष
22	मार्डन लाण्ड्री योजना	2 माह	मासिक	5 वर्ष
23	जलपान गृह योजना	2 माह	मासिक	5 वर्ष
24	बेकरी उद्योग योजना	2 माह	मासिक	5 वर्ष
25	मूर्ति उद्योग योजना	2 माह	मासिक	5 वर्ष
26	एल.पी.जी.गैस कनेक्शन योजना	शून्य	मासिक	5 वर्ष

उपरोक्कत सूची पूर्ण नहीं है।स्थानीय आवश्यकतानुसार/प्रचलित योजनाओं में भी ऋणवितरण किया जा सकता है।

(ठ) ब्याज दरः-

बैंक द्वारा समय -समय पर निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ऋण वितरण किया जायेगा।

3. स्थानीय जॉच, ऋण क्षमता एवं ऋण भुगतान क्षमताः-

(1) शाखा पर अन्य शासकीय विभागों के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक ऋण पत्रावली में स्वीकृति से पूर्व कृषक की फोटो प्रमाणीकरण, बैंक पक्ष में प्रस्तावित बंधक भूमि की स्थानीय जॉच व खसरा- खतौनी नकलों का मूल अभिलेख से मिलान आदि शाखा के फील्ड स्टाफ द्वारा भी अनिवार्य रूप से कर अपनी स्पष्ट संस्तुति ऋण पत्रावली में की जायेगी।

(2) ऋण अभिलाषी का ऋण प्रार्थना पत्र शाखा पर प्राप्त होने के पश्चात शाखा प्रबन्धक/फील्ड आफिसर/सहा0फील्ड आफिसर द्वारा मौके पर कृषक की भूमि की जांच की जाये। यह भली- भांति सुनिश्चित कर लिया जाये कि बैंक में बंधक हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि पर्याप्त उपजाऊ है तथा उस पर खेती की जा रही है। यह भी सुनिश्चित कर कर लिया जाये कि कहीं कृषक द्वारा बंधक किये जाने वाली भूमि का कोई भी अंश अकृषित अथवा ऊसर/बंजर अथवा नदी के कटान में तो नहीं है, साथ ही स्थानीय जानकारी के आधार पर भूमि के विवादग्रस्त न होने की पुष्टि भी कर ली जाये। तीन लाख से अधिक के लिए बंधक की जाने वाली कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वयं करना अनिवार्य है। कृषक द्वारा मार्जिन मनी का भुगतान करने एवं उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात ही शेष ऋण का भुगतान किया जाये। उक्त पुष्टि के उपरांत ही कृषक की ऋण पत्रावली में एप्रेजल सही तथ्यों एवं वैज्ञानिक आधार पर तैयार की जाये, जिससे भूमि मूल्यांकन व कृषक की ऋण भुगतान क्षमता का सही-सही आंकलन हो सके। मार्जिनमनी का आशय डाउनपेमेंट से है।

(3) कृषक की ऋण क्षमता के आंकलन हेतु नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार पोस्ट डेलवपमेंट इनकम के आधार पर निकाली गई ऋण क्षमता, वृद्धोन्मुख आय के शुद्ध आय का आठगुना का 50%, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर निकाला गया भूमि का मूल्यांकन का 50% तथा भूमि का बाजारू मूल्य का 50%, तीनों में जो सबसे कम हो, उसी सीमा तक ऋण स्वीकृत किया जाये। बाजारू मूल्य का प्रमाण पत्र पत्रावली तैयारकर्ता अधिकारियों के मौका-मुआयना करने के बाद विगत वर्षों के समान भूमि की बिक्री की दृष्टिगत रखते हुए दिया जायेगा।

(4) कृषक की ऋण भुगतान क्षमता का नाबार्ड के निर्देशों के अनुरूप सही-सही आंकलन किया जाये। कतिपय मामलों में कृषक की ऋण भुगतान क्षमता की शाखा प्रबन्धक/फील्ड स्टाफ द्वारा सही गणना नहीं की जा रही है, परिणाम स्वरूप कृषक से ऋण की वसूली में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कृषक की ऋण भुगतान क्षमता, वृद्धोन्मुख आय का न्यूनतम 50% होगी।

(अ) अप्रैजलः-

कृषक की ऋण भुगतान क्षमता नाबार्ड के निर्देशों के अनुरूप सही-सही आकलन किया जाये। फसलों के आधार पर आय-व्यय के अनुसार वृद्धोन्मुख आय एवं ऋण भुगतान क्षमता का सही-सही आकलन निर्धारित प्रारूप पर किया जाये। ऋण भुगतान क्षमता का आंकलन निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया जाये।

(क) **लाभान्वित क्षेत्रः-** लाभान्वित क्षेत्र का तात्पर्य ऋणी सदस्य के उस क्षेत्र से है जिस पर प्रस्तावित योजना क्रियान्वित होगी। बैंक द्वारा दो प्रकार की योजनायें संचालित की जा रही हैं:-

1. फसल पर आधारित जैसे-सिंचाई साधन, ट्रैक्टर, थ्रेसर, कम्बाइन हार्वेस्टर, मत्स्य पालन एवं औद्यानिक योजनायें।
2. फसल पर आधारित नहीं जैसे-मुर्गी पालन, पशुपालन डेंयरी एवं अकृषि क्षेत्र की योजनायें।

फसल पर आधारित योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट हेतु प्रयुक्त भूमि जिन पर प्रोजेक्ट का प्रयोग किया जायेगा वह लाभार्थी का लाभान्वित क्षेत्र होगा। अप्रेजल तैयार करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को इसी लाभान्वित भूमि पर प्रस्तावित योजना से पूर्व तथा प्रस्तावित योजना के पश्चात के फसल चक्र के आरधर पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार दिये गये मापदण्ड जैसे-फसलों के आय एवं व्यय प्रति एकड़ के आधार पर शुद्ध आय, वृद्धोन्मुख आय तथा ऋण भुगतान क्षमता की गणना की जायेगी। प्रस्तावित योजना में प्रोजेक्ट लगने के पूर्व कृषक द्वारा उस भूमि से होने वाली आय में से होने वाले व्यय को घटा कर शुद्ध आय की गणना की जायेगी।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट के स्थापित होने के उपरांत कृषक के फसल चक्र में बदलाव आयेगा और वह उन्नत बीजों का प्रयोग करके अपनी पैदावार में बढ़ोत्तरी करेगा। अतः प्रस्तावित प्रोजेक्ट स्थापित होने के उपरांत कृषक द्वारा नये फसल चक्र के आधार पर विभिन्न फसलों से हुई आय एवं व्यय के उपरांत जो शुद्ध आय आयेगी उसमें से प्रस्तावित योजना के पूर्व की शुद्ध आय को घटाने पर कृषक का वृद्धोन्मुख आय की गणना की जायेगी।

वृद्धोन्मुख आय = प्रस्तावित योजना के पश्चात की शुद्ध आय (-) प्रस्तावित योजना पूर्व की शुद्ध आय

इस प्रकार वृद्धोन्मुख आय का 50 प्रतिशत अंश ऋण भुगतान क्षमता आंकी जायेगी।

(ब) अदेय प्रमाण पत्रः-

ऋण पत्रावली तैयार करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ऋणी सदस्य किसी अन्य वित्तीय संस्था का बकायेदार तो नहीं है। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि शाखा से ऋण के इच्छुक व्यक्ति का अपनी शाखा के बकायेदार न होने का प्रमाण पत्र शाखा प्रबन्धक द्वारा अपने स्वयं के हस्ताक्षर से जारी कर ऋण पत्रावली में संलग्न किया जायेगा।

शाखा प्रबन्धक अपनी उपस्थिति में ग्रामवार ऋण वितरण रजिस्टर तातारीख पूर्ण करायेंगे तथा यह महत्वपूर्ण पंजिका स्वयं शाखा प्रबन्धक अपने अधिकार में रखेगें। अन्य संस्थाओं के बकायेदार न होने के सम्बन्ध में कृषक को अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा लाभार्थी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र दिया जायेगा कि उसने किसी अन्य संस्था/बैंक से ऋण प्राप्त नहीं किया है।

उपरोक्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत ऋणी सदस्य द्वारा ऋण प्रार्थना पत्र समस्त संलग्नकों सहित शाखा पर जमा करेंगे, जमा करते समय लाभार्थी को 100/-प्रति अंश की दर से 01 अंश का मूल्य अर्थात 100.00 रू0 अग्रिम अंशधन तथा 3.00 रू0 प्रवेश शुल्क शाखा पर जमा करना होगा।

ऋण पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत शाखा प्रबन्धक द्वारा कृषक की ऋण पत्रावली की संनिरीक्षा ग्रा0वि0बैं0-14 पर स्वयं की जायेगी। ऋण पत्रावली की संनिरीक्षा के उपरांत यदि ऋण पत्रावली स्वीकृत करने योग्य है तो शाखा प्रबन्ध समिति की बैठक में रखी जायेगी।

(4) ऋण स्वीकृतिः-

शाखा प्रबन्ध समिति द्वारा 10.00 लाख रू0 तक की ऋण पत्रावलियां स्वीकृत की जा सकती हैं यदि ऋण पत्रावली 10.00 लाख से अधिक है तो ऋण प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति स्वीकृति हेतु मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

शाखा प्रबन्ध समिति के समक्ष कृषक की ऋण पत्रावली प्रस्तुत की जायेगी। शाखा प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा प्रत्येक पत्रावली की भली-भॉति जॉच कर गुण-दोष के आधार पर उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जायेगा। समिति द्वारा कृषक की ऋण पत्रावली स्वीकृत किये जाने के

उपरांत उसी दिन शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण स्वीकृत पत्र तैयार कर कृषक के निवास के पते पर पंजीकृत(रजिस्टर्ड) डाक द्वारा भेजा जायेगा। जिसमें ऋण स्वीकृति की धनराशि, उद्देश्य एवं अन्य औपचारिकताओं का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। यदि कृषक पहले आ जाता है तो ऐसी दशा में उसे डुप्लीकेट स्वीकृति पत्र निर्गत कर ऋण वितरण की कार्यवाही की जायेगी। यदि कृषको भेजा गया स्वीकृत पत्र शाखा पर वापस आता है तो ऐसी दशा में शाखा प्रबन्धक स्वयं वापस आने के कारणों का गहन परीक्षण करके तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(i) प्रशासनिक शुल्कः- ऋण प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने के उपरांत कृषक द्वारा प्रशासनिक शुल्क जमा किया जायेगा। लघु एवं सीमांत कृषकों से 0.5% तथा अन्य कृषकों से 1% की दर से प्रशासकीय शुल्क लिया जायेगा परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि लघु/सीमांत कृषकों से इस प्रशासकीय शुल्क का अधिकतम रू0 250.00 एवं अन्य श्रेणी के कृषकों से अधिकतम राशि 500.00 रू0 लिया जायेगा।

(ii) जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाः-

बैंक के ऋणी सदस्यों हेतु जनता दुर्घटना बीमा योजना लागू गयी हैं। यह योजना ऐच्छिक है। इच्छुक सदस्य द्वारा अनुरोध किये जाने पर उसे इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाता है। योजनान्तर्गत बैंक के ऋणी सदस्य जिनकी अधिकतम आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं हो, को प्रीमियम राशि 47/- रू0 जमा करके पांच वर्ष हेतु 50000/- रू0 तक बीमित किया जाता है। ऋणी सदस्य की मृत्यु दुर्घटना से हो जाने अथवा स्थाई रूप से दो अंग भंग हो जाने पर नियमानुसार 50000/- रू0 की धनराशि का क्लेम मिलेगा। इस योजना के विस्तृत निर्देश परिपत्र सं0-सी-183/परि04/ज0दु0बी0यो0/2005-06 दिनांक-23.12.2005 द्वारा प्रेषित किये गये है।

(iii) अंश धनः-

ऋणाभिलाषी द्वारा लिए गये ऋण के सापेक्ष निम्नवत् अंश धन प्राप्त किया जायेगा-

1. लघु/सीमांत कृषक	स्वीकृत ऋण राशि का	5 प्रतिशत
2. अन्य कृषक	स्वीकृत ऋण राशि का	6 प्रतिशत
3. संस्थाओं से	स्वीकृत ऋण राशि का	15000/- रू0

उक्तानुसार ऋणाभिलाषी को स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अंश धन की गणना की जायेगी और उक्त अंशधन में से मु0 100/- रू0 जो प्रार्थना पत्र के साथ जमा किया गया का समायोजन करते हुए अवशेष अंशधन की राशि जमा करायी जायेगी।

(iv) अनुदानः-

समस्त शासकीय योजनाओं जिसमें बैंक द्वारा ऋण वितरण किया जा रहा है में अनुदान का प्राविधान है। बैंक के परिपत्र सं0-सी-95/04-05 दिनांक-20.9.2004 द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं कि शासकीय योजनाओं में शाखा पर अग्रिम अनुदान प्राप्त होने के पश्चात ही ऋण वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

(v) स्टाम्प ड्यूटीः- बैंक द्वारा ऋण वितरण में साधारण बंधक की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस हेतु प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0-सी-99/विधि-2/2008-09 दिनांक-04.11.2008 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि शासन की अधिसूचना सं0-स0वि0क0 नि0-5-2758/11-2008-500(159)-2006 लखनऊ 10 जुलाई 2008 के अनुसार-

''भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची 1-ख के अधीन निम्नलिखित वर्ग की लिखितों पर प्रभार्य शुल्क में छूट प्रदान की गयी है:-

(1) अनुच्छेद 5-करार या करार का ज्ञापन-

(ख-1) यदि वह किसी स्थायी सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित है, जहां, कब्जा का दिया जाना स्वीकार न किया गया हो और न हस्तान्तरण-पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का करार किया गया हो धनराशि की उस सीमा तक जो इस करार में दी गयी प्रतिफल की धनराशि के आधे भाग की रकम पर प्रत्येक एक हजार रूपये अथवा उसके भाग पर चालीस रूपये की दर से अगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो,

(2) अनुच्छेद 35-पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने के लिए कोई करार है-

(क) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (ख) (i), और (ग) (i), धनराशि की उस सीमा तक जो भाटक, जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य, जैसी स्थिति हो, पर प्रत्येक एक हजार या उसके भाग पर बीस रूपये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो।

(3) अनुच्छेद 40-जो (हक विलेखों के निक्षेप, पणयम् या गिरवी (सं0 6),) पोत बंध-पत्र (सं0-16), फसल का बंधक (संख्या 41) जहाजी माल बंधपत्र (संख्या 56), या प्रतिभूति बंधकपत्र (संख्या 57) से सम्बन्धित करार नहीं है-

(एक) खण्ड (क) में धनराशि की उस सीमा तक जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभू रकम पर प्रत्येक एक हजार रूपया उसके भाग पर बीस रूपये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो,

(दो) खण्ड (ख) में धनराशि की उस सीमा तक जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति रकम पर प्रत्येक एक हजार रूपया या उसके भाग पर पांच रूपये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो,

(3) खण्ड (ग) में धनराशि की उस सीमा तक जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बराबर प्रतिफल की धनराशि पर प्रत्येक एक हजार रूपया या उसके भाग पर पांच रूपये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो।

(स्टाम्प शुल्क शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है।)

दिनांक- 23.1.2006 के अनुसार लिए जाने वाले स्टाम्प शुल्क की दर 40/-प्रति हजार है। परन्तु वर्तमान में कृषि क्रियाकलापों हेतु मु0 5.00 लाख ऋण के सापेक्ष होने वाले बंधक पत्र स्टाम्प शुल्क से मुक्त हैं। अकृषि क्षेत्र में यह सीमा मु0 20000/-रू0 तक हैं। शासन द्वारा जारी उक्त अधिसूचना इस कार्यालय के परिपत्र सं0-सी-159/ विधि-2/ 2006-07 दिनांक-25.11.2006 द्वारा प्रेषित की गयी हे।

(vi) बंधक पत्र निष्पादनः-

ऋण स्वीकृति पत्र की शर्तों की पूर्ति किए जाने के पश्चात बंधक पत्र का निष्पादन किया जाता है।

लाभार्थी द्वारा शाखा पर आकर अपनी भूमि बंधक करने की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए उसको दो गवाहों की आवश्यकता होती है जिसमें प्रथम गवाह पत्रावली तैयारकर्ता होगा तथा दूसरा गवाह उसी गॉव का ही व्यक्ति होगा जिसकी भी पत्रावली तैयारकर्ता द्वारा पहचान की जायेगी। बंधक पत्र लेखन का कार्य डीड राइटर, जिसे शाखा द्वारा लाइसेंस निर्गत किया गया हो, से कराया जायेगा। बंधक पत्र का प्रत्येक कालम अत्यंत ही सावधानी पूर्वक भरा जायेगा तथा निर्धारित स्थानों पर शाखा प्रबन्धक द्वारा भूमि बंधककर्ता एवं गवाहों के हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा प्रमाणित किया जायेगा। कृषक को जिस प्रोजेक्ट हेतु ऋण दिया जा रहा है विशेषकर मशीनरी उपकरण को भी बंधक किया जायेगा। जिसके लिए बंधक पत्र पर स्थान भी निर्दिष्ट किया गया है।

शाखा प्रबन्धक द्वारा बंधक पत्र निष्पादन किये जाने के उपरांत बंधक पत्र सब-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन एवं तहसील को प्रेषित किया जायेगा। बंधक पत्र निम्नानुसार प्रेषित किया जायेगाः-

1. शाखा प्रबन्धक प्रत्येक सप्ताह के अंत में सब रजिस्ट्रार (रजि0) एवं तहसील कार्यालय में बंधक पत्र की प्रतियां प्रेषित करेंगे।
2. प्रबन्धक माह में कम से कम दो बार सब रजिस्ट्रार(रजि0) एवं तहसील कार्यालय से सम्पर्क कर इस बात की पुष्टि करेंगे कि जनपद की शाखाओं द्वारा प्रेषित सभी बंधक पत्रों की (अ) सब रजिस्ट्रार(रजि0) कार्यालय से इन्डैक्स नं0-2 तथा (ब) तहसील कार्यालय में खतौनी अभिलेखों में प्रविष्टियां कर दी गई।
3. उपरोक्त की नियमित समीक्षा शाखा प्रबन्धक अपने स्तर से करेंगें तथा किसी भी सब रजिस्ट्रार(रजि0)/तहसील कार्यालय में प्रविष्टियां न होने अथवा इस सम्बन्ध में किसी समस्या होने की दशा में स्वयं संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

बंधक पत्र निष्पादन करने के सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0-सी-62/ ऋण/ 2010-11 दिनांक-23.09.2010 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

(vii) भार मुक्त पत्रः-

बंधक पत्र निष्पादन की कार्यवाही के उपरांत प्रत्येक शाखा पर गठित भार मुक्त प्रमाण पत्र बैंक के पेनल के वकील के माध्यम से बंधक पत्र निष्पादन की तिथि के अगले दिन से पिछले 12 वर्षों तक का बंधक पत्र निष्पादन के अगली तिथि का भारमुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। सब रजिस्ट्रार कार्यालय के 12 वर्षों के अभिलेखो में दर्ज भार की जॉच सहकारी समिति के अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति निःशुल्क किये जाने हेतु अधिकृत हैं। शाखा प्रबन्धक पैनल के अधिवक्ता को निर्धारित प्रारूप पर उक्त आशय का अधिकार पत्र देगें जिससे अभिलेखों की निःशुल्क जॉच की जा सके। एक से अधिक सब रजिस्ट्रार के कार्य क्षेत्र में भूमि अथवा रिकार्ड स्थित होने की दशा में सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में भार की खोज कराई जायेगी। भारतमुक्त प्रमाण पत्र हेतु पेनल के अधिवक्ताओं को एक तहसील की स्थिति में 20/- तथा दो तहसील की स्थिाति में 30/- रू0 की दर से शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

(5) ऋण वितरणः-

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0-सी-26/ऋण/ऋण नीति/2015-16 दिनांक-18.06.2015 के द्वारा ऋण वितरण के सम्बन्ध में ऋण नीति निर्धारित कर आपको अवगत कराया गया है जिसके अंतर्गत समय से पर्याप्त मात्रा में ऋण अभिलाषियों को ऋण उपलब्ध कराना, ऋण की पात्रता, ऋण की प्रतिभूति, उद्देश्य व ऋण वितरण प्रक्रिया, अभिलेखों का रख रखाव, सत्यापन व ऋण जोखिम प्रबन्धन के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।

समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत ऋणी सदस्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर डिमाण्ड प्रोनोट व रसीद भरे जायेगे एवं ऋण पत्रावली तैयारकर्ता द्वारा ऋणी सदस्य का हस्ताक्षर प्रमाणित किया जायेगा। लाभार्थी को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंक द्वारा ऋण के भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(क) ऋण भुगतान प्रक्रिया :-

ऋण भुगतान प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की गयी हैः-

1. कृषि यंत्रीकरण, एस0आर0टी0ओ0, दो पहिया वाहन, अल्प सिंचाई (चिन्हित योजना-पम्पसेट, सबमर्सिबल, स्प्रिंकलर/ड्रिप) एवं अकृषि क्षेत्र (चिन्हित योजना-आटा चक्की, तेलघानी, मिनीराइस मिल, विद्युत सजावट, चारा मशीन मय इंजन, गन्ना कोल्हू) की योजना में मशीन/उपकरण हेतु एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा भुगतान पूर्व व्यवस्था अनुसार लाभार्थी की सहमति से पंजीकृत/अधिकृत आपूर्तिकर्ता एजेंसी को किया जाये।

2. बैंक की अन्य समस्त योजनाओं जैसे-अल्प सिंचाई (प्रस्तर-1 की मदों के अतिरिक्त), डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, बागवानी (फलोद्यान एवं औद्यानिक), पशु चालित वाहन, बायोगैस, एग्रीक्लीनिक एवं अकृषि क्षेत्र की योजनाओं में ऋण वितरण की राशि का भुगतान लाभार्थी को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा किया जाये।
   (उक्त के सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0-सी-08/ऋण/ऋण नीति/2015-16 दिनांक-02.05.2015 द्वारा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।)

(ग) पास बुकः-

ऋण वितरण के उपरांत कृषक को अनिवार्य रूप से पासबुक निम्न निर्देशों के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगीः-

1. प्रत्येक ऋणी सदस्य को पासबुक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।
2. उपलब्ध करायी गयी पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर ऋणी सदस्य की फोटो के प्रमाणीकरण के साथ-साथ वांछित सभी विवरण स्पष्ट रूप से भरे जायें।
3. वितरित ऋण की धनराशि, ब्याज दर किश्तों की तिथि तथा धनराशि, चेक संख्या व तिथि एवं उद्देश्य का स्पष्ट विवरण निर्धारित स्तम्भों में अंकित किया जाये।
4. पासबुक में मुद्रित वसूली सारिणी में किश्तों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। यह भी अलग से उल्लिखित किया जाय कि ऋणी सदस्य द्वारा दिनांक-..... को प्रथम किश्त का भुगतान बैंक की शाखा पर किया जायेगा।
5. लाभार्थी के अंशपूँजी व लाभांश सम्बन्धी विवरण नियत स्थान पर पूर्ण रूप से भरे जायें।
6. ऋणी सदस्यों की किश्तों की लेन-देन की स्पष्ट प्रविष्टि निर्धारित स्तम्भों में की जाये।

शाखा प्रबन्धक ऋण स्वीकृत करते समय उपरोक्त ऋण वितरण प्रक्रिया के अनुसार ऋण स्वीकृत कर ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

<u>योजनावार लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का उल्लेख-</u>

बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनायें संचालित की जाती है, जिसमें सरकार के लाइन डिपार्टमेंट द्वारा भी कुछ प्रमाण पत्र आदि निर्गत किये जाते हैं जैसे-पशु चिकित्सा का प्रमाण पत्र, रवन्ना, बीमा की पालिसी आदि का मूल अभिलेख, को भी लाभाथी की पत्रावली में संलग्न किया जाना आवश्यक होता है। जिसका विस्तृत योजनावार विवरण निम्नवत् है:-

<u>क- लघु सिंचाईः-</u>

लघु सिंचाई हेतु कृषक द्वारा सुझाये गये डीलर के नाम मशीनरी आपूर्ति करने सम्बन्धी अधिकार पत्र की प्रति, सरकारी योजनान्तर्गत बोरिंग पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा मशीनरी की टेस्टिंग रिपोर्ट की प्रति भी लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न की जायेगी।

<u>ख- औद्यानिक योजनाः-</u>

औद्यनिक योजना सम्बन्धी पत्रावली में लाभार्थी द्वारा इंगित विक्रेता द्वारा प्लांटिंग मैटेरियल व अन्य सामान हेतु प्राप्त कराये गये कोटेशन तथा इंगित विक्रेता (जैसी स्थिति हो) के नाम चेक जारी करने सम्बन्धी घोषणा पत्र व रसीद व डिमाण्ड प्रोनोट लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न किया जाता है।

<u>ग- कृषि यत्रीकरणः-</u>

कृषि यंत्रीकरण हेतु उपरोक्त इंगित अभिलेखों/प्रपत्रों के साथ-साथ निम्न अभिलेख भी उपलब्ध कराये जाने आवश्यक हैं:-

1. कृषि यंत्र आपूर्तिकर्ता से प्राप्त कोटेशन की मूलप्रति।
2. लाभार्थी को आपूर्ति किये जाने विषयक प्रमाण पत्र जिस पर लाभार्थी व गवाह के हस्ताक्षर हों।
3. कृषि यंत्र के बीमा सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र/पालिसी।
4. वाहन के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

घ- एस0आर0टी0ओ0:-

1. वाहन आपूर्तिकर्ता से प्राप्त कोटेशन की मूल प्रति।
2. लाभार्थी को आपूर्ति किये जाने विषयक प्रमाण पत्र जिस पर लाभार्थी व गवाहों के हस्ताक्षर हों।
3. वाहन के बीमा सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र/पालिसी।
4. वाहन के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
5. वाहन चलाने वाले वाहन स्वामी के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित फोटो प्रति।
6. स्वयं वाहन के न चलाने की दशा में वाहन स्वामी द्वारा वाहन चालक को अधिकृत किये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।

च- आवास ऋणः-

आवास ऋण हेतु निम्न अभिलेखों को लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न किया जायेगा-

1. यदि भूमि किसी विक्रय हिंबा/वसीयत दान पत्र आदि से प्राप्त हुई तो उसके मूल अभिलेख।
2. यदि लाभार्थी किसी संस्था में सेवारत है तो वेतन से किश्त की कटौती करने का अधिकार पत्र व सेवायोजक की सहमति, कृषि भूमि का आवासीय भूमि में परिवर्तन का आदेश,यदि आवश्यक हो।
3. पंचायत अथवा क्षेत्रीय अथार्टी की अनुमति यदि आवश्यक हो, यदि लाभार्थी बना बनाया गृह क्रय करना चाहते हैं तो निम्न लिखित अभिलेख भी पत्रावली के साथ संलग्न करने होंगें-
   क- भवन स्वामी जिससे भवन क्रय करना प्रस्तावित है उसके द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निष्पादित/विक्रय का रजिस्टर्ड इकरार नामा।
   ख- भवन स्वामी का भवन स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख, जैसे विक्रय प्रमाण पत्र, बटवारा प्रमाण पत्र, दान प्रमाण पत्र, वसीयत प्रमाण तथा खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   ग- विक्रय करने के इकरार नामे के निष्पादन की तिथि से पिछले 12 वर्षों का सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से भारमुक्त प्रमाण पत्र।

छ- मत्स्य पालनः-

मत्स्य पालन हेतु मत्स्य विभाग द्वारा जारी टेक्निकल प्रमाण पत्र जिसमें भूमि व जल की गुणवत्ता के विषय में जानकारी हो प्राप्त करना होता है।

ज- अकृषि क्षेत्रः-

अकृषि क्षेत्र योजनान्तर्गत लाभार्थी की पत्रावली में योजना में प्रयुक्त होने वाली मशीनों का कोटेशन तथा अधिकार पत्र सम्बन्धी अभिलेख संलग्न किये जायेंगे।

1. कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले आपूर्ति कर्ता से भी कोटेशन प्राप्त किया जायेगा जिसे लाभार्थी की पत्रावली मे सलग्न किया जायेगा।
2. यदि लाभार्थी द्वारा किसी ऐसे उद्योग को लगाया जा रहा है जिससे पर्यावरण को हानि पहुँचना सम्भावित है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संस्तुति/सहमति प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।
3. यदि लाभार्थी द्वारा किसी ऐसे उत्पाद का निर्माण किया जाता है जिसमें पूर्व परीक्षण की आवश्यकता हो तो इस दशा में लाभार्थी के पास उपलब्ध परीक्षण प्रयोगशाला के सम्बन्ध में भी अभिलेख उपब्ध कराना होगा।
4. लाभार्थी की पत्रावली में बीमा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की मूल प्रति भी संलग्न की जायेगी।

झ- डेयरी योजनाः-

डेयरी योजनान्तर्गत निम्न अभिलेखों को लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न किया जाना आवश्यक हैः-

1. पशु चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिस पर पशु का स्पष्ट वर्णन उल्लिखित हो, की मूल प्रति।
2. पशु क्रय सम्बन्धी रवन्ना तथा पशु मेले से सम्बन्धित रसीद की मूल प्रति अथवा प्रमाणित प्रति।
3. पशुधन सम्बन्धित बीमा के प्रपत्रों की मूल प्रति, जिस पर पशु टैग नं0 स्पष्ट रूप से अंकित हो।

ट- डनलप कार्टः-

डनलप कार्ट हेतु निम्न अभिलेखों को भी आवेदन पत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।

1. जिस एजेंसी, एग्री सेण्टर, पंचायत उद्योग अथवा निजी मैन्युफैक्चरर्स/बढ़ई द्वारा आपूर्ति की जाती है, से कोटेशन प्राप्त कर गाड़ी की नाप व प्रयुक्त होने वाले टायरों के विषय में जानकारी के साथ अभिलेख उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी/स्टाक मैन द्वारा पशु के स्वास्थ्य एवं रोग रहित होने का प्रमाण पत्र तथा टीकाकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र का वर्णन भी पत्रावली में संलग्न किया जाना चाहिए।
3. पशुओं के बीमा सम्बन्धी मूल अभिलेख भी लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न किये जानी चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजनाओं में लगायी जाने वाली अप्रेजल रिपोर्ट जिसमें तकनीकी, आर्थिक, वाणिज्यिक, प्रबन्धकीय तथा संगठनात्मक तथा वित्तीय विषय का समावेश होता है वो भी स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर आंकलित कर लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न करना अति आवश्यक है।

.....

वृद्धोन्मुख आय तथा ऋण भुगतान क्षमता की गणना

वृद्धोन्मुख आय तथा ऋण भुगतान क्षमता की गणना करने हेतु प्रक्रिया सम्बन्धित मार्गदर्शिका

प्रधान कार्यालय द्वारा ऋणी सदस्यों की ऋण भुगतान क्षमता का आंकलन करने हेतु समय-समय पर निर्देश प्रेषित किये जाते रहे हैं, किन्तु ऋणी सदस्यों की ऋण हेतु बनाई गई पत्रावलियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ऋण पत्रावलियों को तैयार करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऋण भुगतान क्षमता का आंकलन सही सही करने में कदाचित त्रुटियां रह जाती हैं। परिणाम स्वरूप कुछ लाभार्थी ऋण प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। अतः फसलों के आधार पर आय व्यय के अनुसार वृद्धोन्मुख आय व ऋण भुगतान क्षमता के सही सही आंकलन हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया निम्नवत् हैः-

1. **मूल्यांकन प्रतिवेदन में ऋण भुगतान क्षमता की आंकलन विधिः-**

सर्वप्रथम जॉच अधिकारी/फील्ड आफिसर/सहा0फील्ड आफिसर ऋणी सदस्यों के प्रक्षेत्र (फार्म) की स्थलीय जॉच कर प्रस्तावित योजना द्वारा लाभान्वित क्षेत्र का निर्धारण करेंगें।

1.1 लाभान्वित क्षेत्रः-

लाभान्वित क्षेत्र ऋणी सदस्य के उस प्रक्षेत्र से तात्पर्य है जिस पर प्रस्तावित योजना क्रियान्वित होगी। यह उल्लेखनीय है कि बैंक द्वारा दो प्रकार की योजनायें संचालित की जा रही हैं।

(क) भूमि पर आधारित जैसे-सिंचाई साधन, ट्रैक्टर, थ्रेसर, कम्बाइन हार्वेस्टर, मत्स्य पालन व औद्यानिक योजनायें आदि।

(ख) भूमि पर आधारित नहीं है, जैसे-मुर्गी, पशुपालन, डेयरी, अकृषि क्षेत्र आदि।

भूमि आधारित योजनान्तर्गत जिस भूमि पर इन योजनाओं को प्रयोग किया जायेगा वह लाभार्थी का लाभन्वित क्षेत्र होगा। जॉच अधिकारी/कर्मचारी को इसी लाभान्वित भूमि पर प्रस्तावित योजना से पूर्व तथा प्रस्तावित योजना के पश्चात के फसल चक्र के आधार पर शुद्ध आय, वृद्धोन्मुख आय तथा ऋण भुगतान क्षमता निकालनी है। वृद्धोन्मुख आय के आंकलन हेतु सर्वप्रथम ऋणी सदस्य को लाभान्वित भूमि पर प्रस्तावित योजना से पूर्व तथा प्रस्तावित योजना के पश्चात की शुद्ध आय ज्ञात करना आवश्यक है।

1.2 फसल चक्र(क्रापिंग पैटर्न)-

प्रस्तावित योजना से पूर्व की शुद्ध आय ज्ञात करने हेतु आवश्यक है कि ऋणी सदस्य के लाभान्वित क्षेत्र पर पिछले एक वर्ष में खरीफ, रबी तथा जायद में बोई गयी फसलों की जानकारी लाभार्थी से व्यक्तिगत साक्षात्कार कर सूचीबद्ध की जायेगी जिसे अप्रेजल प्रोफार्मा में योजना पूर्व फसल चक्र में इंगित किया जायेगा। फसलों की सूची के साथ-साथ उनसे आच्छादित क्षेत्र को भी फसलों के सम्मुख दर्शाया जायेगा। इसी प्रकार लाभार्थी द्वारा अपनाई गयी योजना के पश्चात के फसल चक्र का भी उल्लेख किया जायेगा। उपरोक्त दोनों स्थितियों में सभी फसलों से आच्छादित क्षेत्र जोड़कर फसलों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल का जोड़ किया जायेगा तथा इसी आधार पर फसल सघनतों का आंकलन किया जायेगा।

उदाहरणार्थ

(2 एकड़ के आधार पर)

क्र0सं0	फसल (योजना के पूर्व)	क्षेत्र	क्षेत्र(योजना के पश्चात)
1	धान (देशी)	0.40	1.00
2	धान(अ0उ0)	--	0.40
3	बाजरा	0.40	0.40

4	मक्का	0.30	0.30
5	मूँगफली	--	--
6	गन्ना	--	0.10
7	बाजरा/अरहर	0.10	--
8	गेहूँ	0.80	1.20
9	जौ	0.40	--
10	चना	0.80	0.20
11	मटर	0.20	0.10
12	लाही	--	0.20
13	आलू	--	0.20
14	मूँग/जायद	--	0.10
योग		2.90	4.00
	फसल गहनता	145 प्रति0	200 प्रतिशत

<u>परिकल्पनायेंः-</u>

(1) प्रस्तावित योजना के पश्चात अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक रखा जायेगा।

(2) देशी जातियों के अंतर्गत क्षेत्रफल को 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक घटाया जायेगा।

(3) नकदी फसलों जैसे-आलू, गन्ना तथा अन्य सब्जियों के अंतर्गत 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत क्षेत्र रखा जा सकता है।

(4) दलहनी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल को 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत क्षेत्र रखा जा सकता है।

(5) मक्का, मूँगफली, तिलहन तथा रेशेदार फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है।

उहदारण-

	योजना पूर्व	योजना के पश्चात
(क) लाभान्वित क्षेत्र	2 एकड़ लाभान्वित क्षेत्र	2 एकड़
(ख) फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 2.90 एकड़	फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल	4 एकड़
(ग) फसल सघनता	=(कुल क्षेत्रफल/ लाभान्वित क्षेत्रफल)x100 =145%	4/2 X 100 =200%

इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण की सहायता से प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कृषक द्वारा बोई गयी फसलों के अंतर्गत फसल गहनता का आंकलन किया जायेगा।

1.3 प्रस्तावित योजना के पूर्व आय-व्यय और शुद्ध आयः-

1. **<u>आय</u>**-लाभार्थी कृषक की आय की गणना स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर आच्छादित फसलों का क्षेत्रफल व प्रति एकड़ उपज को समर्थन मूल्य से गुणा करके कुल आय का आंकलन किया जाये।

यही प्रक्रिया योजना पूर्व व योजना पश्चात के कृषकों की कुल आय के आंगणन हेतु अपनायी जायेगी।

2. <u>व्ययः-</u> कृषक लाभार्थियों के लाभान्वित परिक्षेत्र में होने वाले व्यय के औसत आंकड़े प्रति एकड़ की दर से स्थानीय सर्वेक्षण अथवा तकनीकी समिति की रिपोर्ट (जिला कृषि अधिकारी के पास उपलब्ध रहती है।) के आधार पर ज्ञात किया जायेगा। उक्त आंकड़ों को लाभार्थी कृषक के विभिन्न फसलों के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्रफल से गुणा करके व्यय का आंकलन किया जाये। इन आंकड़ों को योजना पश्चात व योजना पूर्व के फसल चक्र के आधार पर ज्ञात किया जाये। विभिन्न फसलों के आंगणित व्यय का योग परिक्षेत्र में फसलों के कुल व्यय को दर्शाता है। (कुल व्यय विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र (एकड़) व्यय प्रति एकड़ फसल के आधार पर)

3. <u>शुद्ध आयः-</u> कृषक के परिक्षेत्र में योजना पश्चात व योजना पूर्व फसल से प्राप्त कुल आय में से उस पर किया गया कुल व्यय घटाकर फसल से प्राप्त शुद्ध आय सुगमता पूर्वक निकाली जा सकती है।

शुद्ध आय = कुल आय-कुल व्यय इस प्रकार विभिन्न फसलों की शुद्ध आय का योग पूरे परिक्षेत्र से प्राप्त शुद्ध आय को दर्शित करता है।

4. <u>वृद्धोन्मुख आयः-</u>

प्रस्तावित योजना के पश्चात की कुल शुद्ध आय में से प्रस्तावित योजना के पूर्व की कुल शुद्ध आय को घटाकर वृद्धोन्मुख आय प्राप्त की जाती है। यदि लाभार्थी द्वारा दूसरे कृषकों को पानी बेंचा जाता है तो पानी के विक्रय से आय प्रस्तावित योजना के पश्चात की शुद्ध आय में जोड़ दी जायेगी।

इस प्रकार प्रति जोत वृद्धोन्मुख आय को ज्ञात कर लिया जाता है।

<u>ऋण भुगतान क्षमता-</u>

वृद्धोन्मुख आय का 50 प्रतिशत अंश ऋण भुगतान क्षमता आंकी जायेगी।

लघु सिंचाई योजना

<u>विषय-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर योजनान्तर्गत ऋण वितरण</u> <u>के सम्बध में।</u>

प्रदेश में औद्यानिक विकास की प्रबल सम्भावनायें हैं। आवश्यकता है कि बागवानी फसलों के क्षेत्र में विकास एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर वृद्धि की जाये। पौधों की सिंचाई पर उपयोग होने वाली जलमात्रा का सदुपयोग इस प्रकार किया जाये कि न केवल गुणवत्ता युक्त उत्पादन एवं क्षेत्र में वृद्धि हो बल्कि जल व ऊर्जा की बचत हो सके। जिसके फलस्वरूप लागत में कमी लाकर कृषक अपनी उपज से और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। कृषक यदि अपनी फसल की सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई तकनीकियों, सहयंत्रों को अपना कर करता है तो लागत में कमी के साथ-साथ आय में भी वृद्धि करते हुए प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है। उक्त कार्य हेतु कृषक को ड्रिप व स्प्रिंकलर से सिंचाई पद्धति के माध्यम से पौंधों की जड़ों की सीधे विभिन्न प्रकार के संयंत्रों, पाइप तकनीकियों को अपनाकर उनकी उम्र, आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध कराकर गुणवत्तायुक्त उत्पादक, जल व ऊर्जा की बचत में भी योगदान कर सकता है।

ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से लाभः-

- पानी केवल पौधों की जड़ों में देने से पानी की निश्चित बचत।
- पानी देने के लिए मेड़ व नालियॉ बनाने की आवश्यकता नहीं।
- पैदावार तथा फसल की गुणवत्ता में अत्यधिक वृद्धि।
- केवल जड़ों में पानी देने से खरपतवार पर प्रभावी नियंत्रण।
- पौधों की जड़ों में सिंचाई के साथ उर्वरक एवं कीटनाशी के प्रयोग से परम्परागत छिड़काव पद्धति की तुलना में उर्वरक/रसायन की बचत।
- ड्रिप सिंचाई पद्धति से लवणीय भूमि में भी बागवानी सम्भव।
- ऊॅची-नीची(ऊबड़-खाबड़) जमीन में पौधों की सिचाई भली-भॉति सम्भव।
- बीमारी एवं कीड़े-मकोड़ों की समस्या पर नियत्रण।
- सिंचाई कार्य में व्यय होने वाले समय की बचत के फलस्वरूप अन्य कार्यों में समय का उपयोग।

<u>चिन्हित फसल</u>ः-

1. **<u>फल उद्यान</u>**ः- आम, अमरूद, आंवला, नींबू/बेर/बेल, पपीता एवं केला आदि के स्थापित बागों अथवा नवीन रोपित उद्यानों को आच्छादित किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई पद्धति को अधिकतम 05 वर्षों तक के रोपित बागों में स्थापित करने को प्राथमिकता दिया जाये।
2. **<u>सब्जियां</u>**ः- टमाटर, बैगन, भिण्डी, मिर्च, गोभीवर्गीय, कद्दूवर्गीय एवं अन्य सब्जियां।

3. **<u>अलंकृत एवं औषधीय-सगंध पौध</u>:-** रजनीगंधा, ग्लैयिोलस, गुलाब, औषधीय एवं सगन्ध पौधे तथा अन्य क्लाज स्पेसिंग क्राप्स आदि।

4. **<u>आलू</u>**

<u>स्प्रिंकलर सिंचाई</u>:-

बागवानी फसलों में माइक्रो, मिनी, पोर्टेबल, सेमी परमानेन्ट एवं रेनगन प्रकार के स्प्रिंकलर लगाये जा सकते हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना मुख्यरूप से मटर,आलू,गाजर एवं अन्य व्यावसायिक पत्तेदार सब्जिों एवं कृषि फसलों में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित की जायेगी।

<u>पात्र व्यक्ति</u>:-

उक्त योजनान्तर्गत नियमानुसार सभी पात्र व्यक्ति को ऋण दिया जा सकता है।

<u>क्षेत्र</u>:-योजना मुख्यतःडी0पी0ए0पी0,अति दोहित व क्रिटिकल व सेमी क्रिटिकल क्षेत्रों में क्रियान्वित की जायेगी। जिसकी सूची संलग्न है।

<u>पात्रता के मापदण्ड</u>:-

1. सम्बन्धित महिला अथवा पुरूष कृषक भूमि का स्वामी हो और राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भू-स्वामी के रूप में स्वतंत्र अथवा सयुंक्त रूप से जर्द हो। यदि महिला कृषक संयुक्त रूप से खातेदार है तो उसकी भागीदारी के अनुपात में ही अनुदान अनुमन्य होगा।
2. उसकी भूमि पर बोरिंग अथवा कुआं हो तथा संचालन हेतु विद्युत/डीजल चालित पम्पसेट हो।
3. बुन्देलखण्ड के झांसी एवं चित्रकूट मण्डल तथा मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में बंधियों तथा नदियों से उपलब्ध सिंचाई स्रोत भी मान्य होंगे परन्तु यह प्रतिबंध होगे कि कृषक के पास स्वयं का पम्पसेट अथवा मोटर अवश्य हो।
4. वह अनुदान की राशि के अतिरिक्त कृषक अंश भुगतान हेतु सहमत हो।
5. वह उसके निरन्तर एवं बौछारी प्रयोग हेतु अनुबंध के लिए तैयार हो।
6. विगत वर्षों में उसने स्वयं अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य ने किसी योजना में स्प्रिंकलर सेट हेतु अनुदान न लिया हो।

<u>इकाई लागत</u>:- समय-समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित की जाती है।

<u>अनुदान</u>:- शासन के अनुसार।

<u>पात्रता के मापदण्ड</u>:-

1. कृषक के पास वास्तविक उपलब्ध भूमि को आधार मानकर स्प्रिंकलर सेट में पाइप इत्यादि की संख्या निर्धारित की जायेगी। परन्तु यह किसी भी दशा में एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर देय नहीं होगा। 0.5 (आधा) हेक्टेयर तथा 1.00 (एक) हेक्टेयर हेतु अनुमन्य पाइप तथा अन्य सामग्री का विवरण **परिशिष्ट 4 में उपलब्ध है।**

<u>चयन प्रक्रिया</u>:-

1.लाभार्थी कृषकों का अनुमोदन ग्राम स्तर पर गठित ग्राम कृषि उत्पादन समिति अथवा ग्राम विकास समिति की बैठक में किया जायेगा। और उसके कार्यवृत्त में इसका विवरण अंकित किया जायेगा।

2. **(अ)** मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक कृषि निरीक्षक, सहायक भूमि रक्षक निरीक्षक, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक,सहायक विकास अधिकारी (कृषि) आदि प्रार्थना पत्र तैयार करने तथा उसे समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत होंगे।

(ब) कोई कृषक स्वयं भी निराधरित प्रपत्र पर अपना प्रार्थना पत्र ग्राम कृषि उत्पादन समिति अथवा ग्राम विकास समिति को प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थना पत्र के साथ एक फोटो, भू स्वामित्व से संबंधित राजस्व अभिलेख, खेत में सिंचाई स्रोत का प्रमाण तथा कृषक की सहमति एवं आंगणन संलग्न होगा।

3. सत्यापित प्रार्थना पत्र उप कृषि निदेशक(प्रसार)/जिला कृषि अधिकारी **(यथा स्थिति)** को भेजा जायेगा। जो संकलित प्रार्थना पत्रों को जनपदीय समिति से अनुमोदित करायेंगे। जिन जनपदों में उप कृषि निदेशक का पद सृजित नहीं है वहां जिला कृषि अधिकारी योजना का संचालन करेंगे तथा वही समिति के संयोजक होगें।

4. स्प्रिंकलर सेट के लाभार्थियों का चयन जनपद स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा किया जायेगा:-

1. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
3. संबंधित उप सम्भागीय कृषि प्रभार अधिकारी	सदस्य
4. यू0पी0एग्रो के स्थानीय अभियंता	सदस्य
5. उप कृषि निदेशक (प्रसार)	संयोजक

समिति प्रर्थना पत्र के अनुमोदन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षण व्यवस्था तथा कृषक द्वारा चयनित कम्पनी के पालन की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

<u>स्थापना एवं सत्यापन प्रक्रिया</u>:-

1. कृषक के खेत पर स्प्रिंकलर सेट की स्थापना विभाग के किसी अधिकारी निर्माता कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि की संयुक्त देख-रेख में किया जायेगा।
2. स्प्रिंकलर सेट की स्थापना के उपरांत कृषक से अनुबंध पत्र लिया जायेगा **(परिशिष्ट-2)** जिनमें स्प्रिंकलर सेट के संतोषक जनक कार्य करने की पुष्टि तथा उसके निरन्तर उपयोग का अनुबंध होगा।
3. स्थापना के बाद स्प्रिंकलर सेट का शत-प्रतिशत सत्यापन संबंधित उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी तथा जनपद के उप निदेशक (प्रसार)/जिला कृषि अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यह संयुक्त अथवा स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। **(परिशिष्ट-3)**
4. कुल स्थापित सेटों की संख्या का 20 प्रतिशत का पुर्न-सत्यापन मण्डलीय उप कृषि

निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक(प्रसार) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5. इसी प्रकार उप कृषि निदेशक(प्रसार)/ जिला कृषि अधिकारी द्वारा 20 प्रतिशत स्थापित सेट का पुर्नसत्यापन किया जायेगा परन्तु दोनो अधिकारी एक ही सेट को पुर्नसत्यापित नहीं करेंगे वरन अलग-अलग सेटों का सत्यापन करेंगे।
6. मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) 05 प्रतिशत स्थापित सेटों का पुर्न-सत्यापन करेंगे।
7. सत्यापन की प्रगति जनपद स्तर तथा मण्डल स्तर पर एक रजिस्टर पर रखी जायेगी। प्रत्येक माह की सूचना मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

****

फलोद्यान योजना

फलोद्यान योजना–

जनपदवार फलदार एवं अन्य वृक्षों की सूची

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	उपर्युक्त फल किस्म एवं इधन वृक्ष
1	आगरा	आगरा	अमरूद,नीबू प्रजाति,फालसा,अंगूर
		मथुरा	अमरूद,नीबू प्रजाति,फालसा
		अलीगढ़	अमरूद,आंवला,पापुलर, गुलाब
		एटा	अमरूद, नींबू, प्रजाति, बेर
		मैनपुरी	अमरूद, नींबू, प्रजाति, बेर
2	इलाहाबाद	इलाहाबाद	आम, अमरूद, पापुलर
		इटावा	आम,अमरूद,बेर
		फर्रूखाबाद	आम,अमरूद,गुलाब,बेला
		कानपुर	आम,अमरूद
		फतेहपुर	आम,अमरूद
3	बरेली	बरेली	आम,अमरूद, मचान विधि से सब्जी की खोती, पापुलर,यूकोलिप्टेस
		शाहजहॉपुर	आम,अमरूद, पापुलर,
		पीलीभीत	आम,अमरूद, पापुलर,यूकोलिप्टेस
		बदायूँ	आम,अमरूद, पापुलर
4	मुरादाबाद	मुरादाबाद	आम,अमरूद, बेल
		धामपुर	आम,अमरूद, मेंथा,बेल
		बिजनौर	आम,अमरूद,
5	गोरखपुर	गोरखपुर	आम,अमरूद,केला,कटहल,पापुलर,यूकेलिप्टस
		बस्ती	आम,अमरूद,केला,कटहल,पापुलर,यूकेलिप्टस
		देवरिया	आम,अमरूद,केला,कटहल,पापुलर,यूकेलिप्टस
		आजमगढ़	आम,अमरूद,केला,कटहल,पापुलर,यूकेलिप्टस
6	झांसी	झांसी	अमरूद, नीबू प्रजाति
		ललितपुर	अमरूद, नीबू प्रजाति
		जालौन	अमरूद, नीबू प्रजाति
		हमीरपुर	अमरूद, नीबू, पान
		बांदा	अमरूद, नीबू, पान
7	लखनऊ	लखनऊ	आम,अमरूद, पापुलर,यूकोलिप्टेस
		हरदोई	आम,अमरूद, पापुलर,यूकोलिप्टेस
		सीतापुर	आम,अमरूद, पापुलर,यूकोलिप्टेस
		उन्नाव	आम,अमरूद, पापुलर,यूकोलिप्टेस
		रायबरेली	आम,अमरूद, पापुलर,यूकोलिप्टेस
8	फैजाबाद	फैजाबाद	आम,अमरूद, पापुलर,यूकोलिप्टेस
		बाराबंकी	आम,अमरूद, पापुलर,यूकोलिप्टेस
		सुल्तानपुर	आम,अमरूद, पापुलर,यूकोलिप्टेस
		प्रतापगढ़	आम,अमरूद, पापुलर,यूकोलिप्टेस
		बहराइच	आम,अमरूद, पापुलर,यूकोलिप्टेस

उपरोक्त के अतिरिक्त नियंत्रित जलवायु (ग्रीन हाउस, पाली हाउस) आदि में भी ऋण वितरण किये जाने की योजना है।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, के माध्यम से संचालित औद्यानिक विकास योजनाओं की जेस्टेशन अवधि ऋण एवं वसूली का विवरण

क्रमांक	फल उद्यान किस्म	ग्रेस पीरिएड	ऋण अवधि
1	नाशपाती	10 वर्ष	15 वर्ष
2	गूठलदार फल(प्लमखुबानी व आडू)	5 वर्ष	9 वर्ष
3	नींबू प्रजाति	5 वर्ष	09 वर्ष
4	पपीता	1 वर्ष	3 वर्ष
5	ग्लोडियोजलाई/रजनीगंधा	1 वर्ष	06 वर्ष
6	लीची	4 वर्ष	9 वर्ष
7	आम	5 वर्ष	9 वर्ष
8	अमरूद	4 वर्ष	9 वर्ष
9	बेर	4 वर्ष	9 वर्ष
10	आंवला	5 वर्ष	9 वर्ष
11	नींबू	5 वर्ष	9 वर्ष

औद्यानिक विकास योजना में ऋण वितरण हेतु तकनीकी फसल चक्र कार्यक्रम (क्राप कलेण्डर) एवं क्रेडिट कलेण्डर हेतु

औद्याानिक विकास योजनायें जैसे फलदार वृक्ष, ''नये उद्यान लगाना'', पौधशाला स्थापना, पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार, सब्जी की खेती, मचान विधि से खेती, कुन्दरू एवं परवल आदि, फूलों की खेती, ग्लोडियोलाई, रजनीगंधा, गुलाब(शोभाकार) गुलादावदी आदि, सगंध एवं औषधीय पौधों की खेती, मशरूम, पालीग्रीन हाउस, कृषि वानिकी आदि एवं रेशम उत्पादन आदि के लिए विभिन्न प्रकार की औद्यानिक किस्मों/वृक्षों/पौधों का रोपण मुख्यता वर्षाकाल व शीतकाल में किया जाता है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखकर क्षेत्रों में विद्यमान औद्यानिक विकास संभावनाओं के आधार पर औद्यानिक फसलों/फूलों आदि को उगाने हेतु वार्षिक फसल कलेण्डर, ऋण वितरण क्रेडिट कलेण्डर के आधार पर ऋण दिया जायेगा। फलन के समय को आधार मानकर ही उक्त योजनान्तर्गत वसूली किया जाना चाहिए, ताकि बागों/फसलों से प्राप्त होने वाली आय से कृषक ऋण का भुगतान कर सकें।

विविधीकरण योजनान्तर्गत योजनाओं का क्रेडिट कैलेण्डर

क्रमांक	योजना का नाम	ऋण वितरण की अवधि	वसूली हेतु उचित अवधि
1	आम विकास	जून से जुलाई	जून से जुलाई
2	अमरूद विकास	फरवरी से मार्च	जुलाई से अगस्त
3	बेर	अगस्त से सितम्बर	फरवरी से अप्रैल
नीबू प्रजातियां			
4	कागदी नीबू, लेमन, संतरा, माल्टा, मौसमी किन्नौ एवं ग्रेवफ्रूट	ज्न से जुलाई व फरवरी से मार्च	अगस्त,सितम्बर नवम्बर, दिसम्बर
5	आंवला सामान्य भूमि	जून से जुलाई	अक्टूबर, दिसम्बर, फरवरी
6	आंवला ऊसर भूमि	जून से जुलाई	अक्टूबर, दिसम्बर, फरवरी
7	आंवला अमरूद ऊसर भूमि	जून से जुलाई	अक्टूबर, दिसम्बर, फरवरी
8	लीची	जून से अगस्त	मई-जून
9	अंगूर	जनवरी से अक्टूबर	जून-जुलाई
10	लोकाट	जून से जुलाई सितम्बर से मार्च	मार्च-अपैल
11	पपीता	सितम्बर से मार्च	रोपाई के 12 माह बाद
12	केला	जून से जुलाई	अगस्त, अक्टूबर से दिसम्बर
13	बेल	जून से जुलाई	अप्रैल - मई
14	फालसा	जुलाई से अगस्त एवं फरवरी	फरवरी - मार्च
पुष्प योजना			
15	ग्लेडियोलाई	अगस्त, सितम्बर,अक्टूबर	फरवरी, मार्च, अप्रैल
16	गुलाब	जुलाई से सितम्बर	नवम्बर, फरवरी, मार्च
17	रजनीगंधा	फरवरी से 15 अप्रैल तक	वर्षभर
डेयरी (दुधारू पशु)			
18(क)	भैंस	जुलाई से दिसम्बर	प्रतिमाह
(ख)	गाय	जनवरी से अप्रैल	प्रतिमाह
19	बकरी	वर्षभर	ऋण वितरण के द्वितीय वर्ष
20	भेंड़	वर्षभर	ऋण वितरण के द्वितीय वर्ष
21	खच्चर	वर्षभर	प्रतिवर्ष
22	सुकर	वर्षभर	प्रतिवर्ष
23	मछली पालन	जून से सितम्बर	दिसम्बर से अप्रैल
मुर्गी पालन			
23(क)	अण्डज	वर्षभर	प्रतिवर्ष
(ख)	मांस हेतु	वर्षभर	प्रतिवर्ष

फसल कलेण्डर के आधार पर ऋण वितरण का कार्यक्रम

ऋण वितरण हेतु निर्धारित वर्षाकालीन फसलें		**ऋण वितरण का क्रेडिट कलेण्डर शीत कालीन फसलें**	
ऋण दिये जाने हेतु क्रिया कलाप	**माह**	**ऋण दिये जाने हेतु निर्धारित क्रिया कलाप**	**माह**
1. ऋण प्रार्थना पत्रों का एकत्रीकरण	अप्रैल से जून	1. ऋण प्रार्थना पत्रों का एकत्रीकरण एवं निस्तारण	जुलाई से सितम्बर से अक्टूबर अंत तक
2. प्रथम किश्त का वितरण		**2.प्रथम किश्त का वितरण**	
(क) पौध रोपण सामग्री हेतु	जून माह के अंत तक	वर्षाकालीन फसलों हेतु निर्धारित क्रिया कलापों के अनुसार ही	माह दिसम्बर के अंत तक
(ख) गड्ढों की खुदाई की खाद तथा			
(ग)बाड़ लगाना (फेन्सिग)			
2 द्वितीय किश्त		**3.द्वितीय किश्त का विवरण**	
(क)पौध रोपण सामग्री हेतु	जुलाई माह के अंत तक	वर्षाकालीन फसलों हेतु निर्धारित क्रिया कलापों के अनुसार ही	माह जनवरी के अंत तक
(ख) पौध लगाने/स्टेकिंग आदि हेतु श्रम			
(ग) अंतः फसल(इण्टर क्राप) उगाने हेतु			
4.तृतीय किश्त		**4. तृतीय किश्त का विवरण**	
(क)निराई गुड़ाई व अन्य अंतः स्थान हेतु	माह सितम्बर के अंत तक	वर्षाकालीन फसलों हेतु निर्धारित क्रिया कलापों के अनुसार ही	अप्रैल माह के अंत तक
(ख) पौधों में कीट व रोग की रोकथाम हेतु दवा आदि			
(ग) पौधों/पेड़ों में उर्वरक का प्रयोग हेतु व तुड़ाई हेतु			
(घ) अन्य विविध व्यय			
5. दूसरे वर्ष से औद्यानिक किस्त के फल के आने तक		5. दूसरे वर्ष से औद्यानिक किस्म के फल आने तक गर्भावस्था (जेस्टेशन पीरिएड) में उद्यान के रख-रखाव की वार्षिक किश्त दी जाये	जुलाई से अक्टूबर

औद्यानिक विकास योजना

विषयः– अमरूद उद्यान विकास योजना।

अमरूद उद्यान विकास के लिए इकाई लागत ऋण किश्तों का ब्योरा, उद्यान से वर्षवार आय, आर्थिक एवं तकनीकी अप्रेजल माडल, ऋण की वसूली एवं अन्य महत्वूपर्ण ध्यान में रखने वाले बिन्दु निम्नवत आपको इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि अमरूद उद्यान विकास के लिए लाभार्थी को अधिक से अधिक बैंक ऋण से लाभान्वित किया जाये। बैंक के फील्ड स्टाफ एवं उद्यान विभाग के निरीक्षक/अधिकारियों को भी इस प्रकिया से निश्चित रूप से अवगत करा दिया जाये।

एक हेक्टयर क्षेत्र में अमरूद उद्यान विकास की इकाई लागतः– **(परिवर्तनीय है)**

दूरी– **6 . 6 मीटर**

पौध सं0– **270**

क्र0सं0	मदवार विवरण	वर्षवार लागत (रू0 में)				योग
		1	2	3	4	
1	भूमि की तैयारी	1650	––	––	––	1650
2	रेखांकित गड्ढों की सं0 तथा भराई	3300	––	––	––	3300
3	पौध सामग्री/रोपाई	3850	––	––	––	3850
4	खाद, उर्वरक एवं उपयोग	1375	1190	1360	1430	5355
5	सिंचाई	1375	850	760	550	3535
6	निकाई–गुड़ाई	385	350	425	310	1470
7	पौध रक्षा	2750	850	760	660	5020
8	घेरबाड़	6600	––	––	––	6600
9	अंतरफसल	6600	––	––	––	6600
10	अन्य विविध	715	500	325	350	1890
	योग	28600	3740	3630	3300	39270

नोटः–इकाई लागत में यदि संशोधन की आवश्यकता है तो जिला उद्यान अधिकारी की संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रधान कार्यालय को भेजें। चौथे वर्ष के बाद, पांचवें वर्ष में 3750 रू0 एवं उसके पश्चात 4200 रू0 वार्षिक रख–ररखाव पर व्यय औसतन मानकर गणना की जाये।

2. ऋण किश्तों का ब्योरा–

वर्षवार विवरण (रू0 में) (परिवर्तनीय है)

क्र0सं0	विवरण	1	2	3	4	योग
1	प्रथमवर्ष (पौध सामग्री के अतिरिक्त)	24752	3740	3630	3300	35420
2	पौध सामग्री की धनराशि उद्यान विभाग या पंजीकृत पौधशालाओं की	3850	––	––	––	3850
	योग	28600	3740	3630	3300	39270

शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रथम किश्त का भुगतान डाउन पेमेंट घटाने के बाद किया जायेगा।

3. फलोत्पादन आय एवं व्ययः– **(परिवर्तनीय है)**

फलोत्पादन	4	5	6	7	8	9	10वर्ष अधिक
1. (प्रति हेक्ट0) कि0	4000	7000	10000	15000	19000	20000	22000
2. बिक्री दर प्रत कि0	8.00						
3. आय(रू0 में)	32000	56000	80000	120000	152000	160000	176000

4. आर्थिक एवं तकनीकी अप्रेजल रिपोर्ट संलग्न माडल के आधार पर तैयार कर बैंक का फील्ड स्टाफ/उद्यान विभाग के निरीक्षक/अधिकारी लाभार्थी की ऋण पत्रावली में प्रेषित करेंगे।

5. ऋण की वसूलीः–

योजना का ग्रेस पीरिएड चार वर्ष का होगा एवं ऋण की वसूली 09 वर्षों में बैंक के नियमानुसार की जायेगी।

अन्य विशेष बिन्दु जो अमरूद उद्याान विकास योजना के क्रियान्वयन में अपनाया जाय वे निम्नवत् हैः–

1. यदि लाभार्थी एक हेक्टयर से अधिक क्षेत्र में अमरूद का उद्यान लगाता है तो इकाई लागत उसी अनुपात में बढ़ जायेगा और उसी के अनुसार ऋण वितरण किया जायेगा। आधा हेक्टेयर से कम उद्यान क्षेत्र के लिए आर्थिक दृष्टि से ऋण देना उचित नहीं है।
2. यदि लाभार्थी केवल प्रथम वर्ष उद्यान लगाने के लिए ऋण लेना चाहता है तो उससे एक प्रार्थना पत्र ले लिया जाय कि वह आगामी वर्षों में उद्यानों के रख–रखव पर व्यय अपने पास से करेगा। इस प्रकार केवल प्रथम वर्ष की ऋण धनराशि के आधार पर ही ऋण पत्रावली तैयार कर अन्य कार्यवाही की जायेगी।
3. प्रथम वर्ष मे उद्यान रोपण सामग्री (पौधों की कीमत आदि) उद्यान विभाग अथवा पंजीकृत पौधशालाओं को दी जायेगी एवं ऋण धनराशि लाभार्थी को दे दी जायेगी। उद्यान रोपण सामग्री उद्यान निरीक्षक/अधिकारी/बैंक फील्ड स्टाफ की संस्तुति पर लाभार्थी क्रय करेंगे। मूल्य का भुगतान ऋणी सदस्य द्वारा नियमानुसार प्राप्ति चेक को पृष्ठांकित कर दिया जायेगा। इस धनराशि को सम्बन्धित आपत्तिकर्ता को दिया जायेगा।

   अमरूद की एल–49 प्रजाति तकनीकी आधार पर सर्वश्रेष्ठ है उसका रोपण अनिवार्य रूप से लिया जायेगा इसके अतिरिक्त इलाहाबाद सफेदा आदि भी साथ में लगायेंगे।

****

विषयः- औद्यानिक विकास योजनान्तर्गत मचान विधि से सब्जी की खेती की ऋण वितरण प्रक्रियॉ।

कृषक को अपनी कृषि योग्य भूमि से अधिक से अधिक आय अर्जित करने के लिए यह आवश्यक है कि वह रबी एवं खरीफ फसलों के अतिरिक्त ऐसी फसलों का चयन करें जिससे कि कम समय में अधिक आय अर्जित कर सकें। इसको दृष्टिगत रखते हुए यह उचित होगा कि कृषक अपनी भूमि के कुछ हिस्से में औद्यानिक विकास से सम्बन्धित कार्यकलाप अपनायें। कृषक यदि अपनी कृषि योग्य भूमि में मचान विधि से सब्जी की खेती करता है तो ऐसी स्थिति में कम समय में वह अधिक आय अर्जित कर सकता है। बैंक द्वारा मचान विधि से सब्जी की खेती जेसे-लौकी, तरोई, करेला, चिचिण्डा, परवल एवं कुन्दरख की खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को ही उक्त उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाय जो वास्तव में सब्जी की खेती से सम्बन्धित आवश्यक ज्ञान रखते हों।

मचान विधि से सब्जी की खेती सामान्यतः जनपद- मुरादाबाद एवं बरेली में काफी कृषकों द्वारा अपनायी जा रही है, अब अन्य जनपदों में भी कृषक सब्जी की खेती मचान विधि से करने को तत्पर हैं।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने, श्रम का पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से मचान विधि से खीरा वर्गीय फसलों के उत्पादन हेतु योजनान्तर्गत ऋण वितरण की रूपरेखा प्रेषित की जा रही है जिसमें ऋण वितरण हेतु निम्न प्रक्रियॉ को अपनाया जायेगा।

लाभार्थियों का चयन :-

ऋण की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि बैंक के फील्ड स्टाफ अथवा उद्यान विभाग के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी द्वारा मचान विधि से सब्जी की खेती हेतु लाभार्थियों का चयन करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही ऋण पत्रावली तैयार किया जाये-

1- सब्जी की खेती हेतु उपयुक्त जलवायु एवं खेत की मृदा का परीक्षण करवाया जाना आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके।

2- इस उद्देश्य हेतु उन्हीं क्षेत्रों में ऋण वितरण किया जाना उपयुक्त होगा, जहॉ पर यातायात के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों ताकि कृषक अपने उत्पाद का विक्री हेतु आसानी से शहर/ मण्डी तक पहुॅचा सके ताकि उसे उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

3- ऋण पत्रावली स्वीकृत करते समय सीजनल्टी को दृष्टिगत रखते हुए ऋण पत्रावली तैयार करके ऋण वितरण कराया जाय ताकि ऋण की शत-प्रतिशत सदुपयोगिता सुनिश्चित हो सके।

4- कृषक को कम से कम आधा एकड़ की भूमि पर मचान विधि से खेती करना चाहिये। यदि इससे कम भूमि पर कृषक मचान विधि से खेती करता है तो उसे पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा।

इकाई लागतः-

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित (मचान विधि से सब्जी उत्पादन हेतु) इकाई लागत के अनुसार -

सब्जी	मचान हेतु इकाई लागत	खेती हेतु इकाई लागत -	योग- (प्रति एकड़)
1-लौकी,तरोई,करेला, चिचिण्डा			
2-परवल			
3-कुन्दरू			

उपरोक्त सब्जियों की खेती की मवार इकाई लागत संलग्न है।

सब्जी की खेती से प्रथम वर्ष में होने वाले व्यय ऋण के रूप में दिया जायेगा। इसके उपरान्त आगामी वर्षों में मचान विधि से सब्जी की खेती के लिए मचान बनाने पर जो अतिरिक्त धन का व्यय होगा उसके लिए ऋण नहीं दिया जायेगा । उक्त व्यय को लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषक को मचान विधि से सब्जी की खेती करने हेतु वास्तव में जितनी धनराशि की आवश्यकता हो उसके अनुरूप ही उसे ऋण प्रदान किया जाय। उपरोक्त तालिका में नाबार्ड द्वारा जो इकाई लागत निर्धारित की गयी है वह यदि कम है तो ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि शाखा/ वरिष्ठ प्रबन्धक अपने जनपदों में जिला उद्यान अधिकारी से सम्पर्क कर उपरोक्त उद्देश्यों हेतु संशोधित इकाई लागत का प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को प्रेषित करें ताकि उसके अनुसार इकाई लागत निर्धारित करके ऋण वितरण की अनुमति प्रदान की जाये जिससे ऋण की गुणवत्ता बनी रहे।

ऋण पत्रावली तैयार करना :-

मचान विधि से सब्जी की खेती हेतु बैंक के फील्ड स्टाफ के साथ-साथ उद्यान विभाग के कर्मचारी/अधिकारी जो मुख्यालय द्वारा अधिकृत हैं उनके द्वारा ही कृषक की ऋा पत्रावली तैयार की जायेगी एवं उन्हीं के द्वारा अप्रेजल भी लगाया जायेगा। विभिन्न सब्जियों के सम्बन्ध में अप्रेजल का प्रारूप संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि ऋण पत्रावली तैयार करने वाले कर्मचारी/ अधिकारी निर्धारित प्रारूप पर वास्तविक ऑकड़ों के आधार पर ही योजना का अप्रेजल तैयार करें ताकि प्रोजेक्ट से अर्जित होने वाली आय की सही-सही गणना की जा सके तथा ऋण की वसूली सुनिश्चित हो सके।

मचान विधि से सब्जी की खेती हेतु ऋण वितरण करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ऋण वितरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेः-

(क). नाबार्ड द्वारा विभिन्न सब्जियों की एक एकड़ (0.40 हे0) की इकाई लागत निर्धारित की गयी है, यदि कृषक एक एकड़ से अधिक अथवा कम के खेत में मचान विधि से सब्जी की खेती करना चाहता है, तो एक एकड़ की इकाई लागत के अनुपात में ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा। मचान विधि से सब्जी की खेती के लिए आधा एकड़ से कम क्षेत्र के लिए ऋण देना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं होगा।

(ख). सब्जी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति का चयन किया जाना आवश्यक है। उत्तम प्रजाति के बीज उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत सब्जी बीज विक्रेता अथवा ख्याति प्राप्त सब्जी के बीज उत्पादकों से ही क्रय किया जाय।

ऋण वितरण प्रक्रियॉ :-

लाभार्थी की ऋण पत्रावली बैंक के फील्ड स्टाफ अथवा उद्यान विभाग के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जायेगा। लघु, मध्यम एवं बड़े कृषकों से 5, 10 एवं 15 प्रतिशत डाउन पेमेण्ट घटाकर मचान विधि से सब्जी की खेती हेतु दो किश्तों में ऋण वितरण किया जायेगा। प्रथम किश्त में मचान निर्माण के लिए विभिन्न सामग्रियों की व्यवस्था हेतु सीधे आर्डर चेक कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रथम किश्त के भुगतान के उपरान्त ऋण सदुपयोगिता प्रमाणपत्र ऋण वितरणके 15 दिनों के अन्दर पत्रावली तैयार करने वाले कर्मचारी द्वारा दिया जायेगा जिसके उपरान्त सब्जी की खेती में आने वाले विभिन्न व्ययों हेतु कृषक को द्वितीय किश्त के रूप में भुगतान किया जायेगा। सब्जी के उत्तम प्रजाति के बीज हेतु उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत सब्जी बीज विक्रेता अथवा ख्याति प्राप्त पंजीकृत सब्जी के बीज उत्पादकों को कृषक की संस्तुति प्राप्त कर चेक द्वारा सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति/फर्म के पक्ष में निर्गत किया जायेगा। यदि लाभार्थी स्वयं उन्नत किस्म के बीज क्रय करना चाहता है तो ऐसी दशा में लाभार्थी को सीधे चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा। विभिन्न सब्जी के प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि निम्न तालिका में दी जा रही है :-

सब्जी	किश्तें	लागत	डाउन पेमेण्ट (औसत 10 %)	ऋण राशि
1-लौकी,तरोई,करेला ,चिचिण्डा	प्रथम किश्त			
	द्वितीय किश्त			
	योग-			
2-परवल	प्रथम किश्त			
	द्वितीय किश्त			
	योग-			
3-कुन्दरू	प्रथम किश्त			
	द्वितीय किश्त			
	योग-			

प्रतिभूति:-कृषक का ऋण स्वीकृत करते समय कृषक के ऋण राशि के दो-गुने मूल्य की भार-रहित कृषित भूमि बैंक के पक्ष में बन्धक रखी जायेगी।

ऋण वसूली:-वितरित ऋण की वसूली नियमानुसार की जायेगी। जिसमें ग्रेस पीरियड शून्य होगा।

व्याज दर:-बैंक द्वारा प्रचलित निर्धारित व्याज दर के अनुसार लाभार्थी से व्याज लिया जायेगा।

सत्यापन:-वितरित ऋण का अन्तिम किश्त वितरित होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वयं प्रोजेक्ट का सत्यापन किया जायेगा।

क्र0सं0	कुन्दरू की खेती		परवल की खेती
	अ-मचान बनाने पर व्यय		
1.	बॉस	1.	
2.	लोहे का तार	2.	
3.	रस्सी	3.	
4.	मजदूर	4.	
5.	अरहर की लकड़ी	5.	
6.	सामग्री की ढुलाई	6.	
	योग-		
1.	ब-खेती पर व्यय	1.	
2.	भूमि की तैयारी	2.	
3.	पौध रोपण	3.	
4.	गोबर की खाद	4.	
5.	रसायन खाद	5.	
6.	पौध सुरक्षा	6.	
7.	सिंचाई	7.	
8.	निराई-गुड़ाई	8.	
	योग-		

****

अकृषि क्षेत्र सम्बन्धी योजना

अकृषि क्षेत्र योजना से सम्बन्धित

प्रोजेक्ट अप्रेजल

उद्यमियों को ऋण स्वीकृत करने के पूर्व प्राप्त होने वाली योजनाओं का मूल्यांकन (अप्रेजल) करना नितांत आवश्यक है। परियोजना का अप्रेजल निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा-

1. उद्यमियों के बारे में जॉच
2. तकनीकी सम्भावना (टेक्नीकल बायोक्वालिटी)
3. वाणिज्यिक सम्भावना (कामर्शियल क्वालिटी)
4. आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहारिकता(इकलरेमिक एण्ड फाइनेन्सियल बायबिलीटी)
5. स्टाफ एवं प्रबन्ध व्यवस्था।
6. ऋण की अवधि, स्थान अवधि एवं किश्तों की चुकौती

अप्रेजल के दौरान यह भी जॉच करना होगा कि प्रस्तावित परियोजना कोई उद्योग है या ''जॉब वर्क है, तदनुसार प्रार्थना पत्र में संलग्न ''इण्टरव्यू कम अप्रेजल'' फार्म उद्यमी से व्यक्तिगत रूप से चर्चा के उपरांत तथा अन्य सूचनाओं की जॉच के उपरांत पूर्ण करना होगा तथा सर्वे रिपोर्ट देना होगा।

1.उद्यमियों के बारे में जॉचः-

चूँकि लघु इकाईयों में अधिकतर मालिक या साझेदार को स्वयं श्रम व्यवस्था हिसाब-किताब, क्रय-विक्रय तथा उत्पादन व्यवस्था पर नियंत्रण रखना होता है तथा कुछ इकाई हेतु मार्जिन इत्यादि की व्यवस्था भी करना पड़ेगा। अतः उल्लिखित बिन्दुओं के अलावा यह भी देखा जाये किः-

क- क्या उद्यमी द्वारा जिस योजना के लिए अनुरोध किया गया है उसमें अनुभव प्राप्त है या कहीं और प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। जैसे यंत्र चलाने तथा विनिर्माण कार्य की तकनीकी जानकारी उत्पादन माल का क्वालिटी कण्ट्रोल इत्यादि। यदि हो तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

ख- क्या लाभार्थी बही खाता तथा मूल्य गणना में विवेक पूर्ण तथा अच्छा जानकार है।

ग- क्या लाभार्थी के पास आवश्यक मार्जिन मनी उपलब्ध है।

घ- क्या इसको कच्चे माल के श्रोतों,मूल्यों, गुणों तथा इस सम्बन्ध में बाजार परिस्थिति का अच्छा ज्ञान है।

ड- क्या वह व्यवहार कुशल एवं कठिन श्रम प्रबन्धक है।

2.तकनीकी सम्भाव्यताः-

परियोजना में उल्लिखित स्थान, जमीन, कार्यस्थल व स्थान, संयंत्र और मशीन उपकरण एवं औजारों के बारे में विवरण, मशीन की मरम्मत तथा रख रखाव स्थापना(इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुविधा इत्यादि योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर जॉच करना आवश्यक होगाः-

(अ) स्थानः-

1. क्या कार्यस्थल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां, तो क्या स्थानीय नगर महापालिका, उद्योग विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु मंजूरी प्राप्त है अन्यथा की स्थिति में भी आब्जेक्शन प्रमाण पत्र लेना होगा।
2. क्या प्रस्तावित स्थान पर योजना को सफलतापूर्वक चलाने हेतु आवश्यक सुविधा, जैसे-पानी, बिजली, सड़क यातायात के साधन, पुलिस स्टेशन, डाकघर, दूरभाष आदि उपलब्ध हैं। यह बिन्दु महत्व रखता है, जब स्थान नगर या बड़े शहरों से दूर हो।
3. क्या स्थान, मुख्य कच्चा माल विक्रय केन्द्र तथा श्रम के श्रोतों से समीप है।

4. क्या पर्यावरण निगम द्वारा इकाई को नो आब्जेक्शन प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है यदि हो तो प्राप्त करें। यह प्रमाण उन इकाईयों के लिए विशेष तौर से है, जिनमें से जहरीली गैस, धुऑ तथा मल पदार्थ निकलता है, जो जन सामान्य के लिए हानिकारक है।

(ब) कार्य स्थल एवं सरंचनाः-

1. क्या मकान/कार्यस्थल निजी है अथवा किराये या पट्टे पर है, यदि निजी है तो उद्यमी से उसका पत्र प्राप्त करना होगा तथा सब रजिस्ट्रार कार्यालय से 12 वर्ष की विधिक जॉच करके बिना भार (एन0ई0सी0) पत्र तथा सहमति पत्र लिपि बंधन करने के बाद अपने कब्जे में रख लेना होगा। यदि किराये अथवा पट्टे पर है तो लीज डीड प्राप्त करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि लीज कम से कम उतने वर्षों की हो जितने वर्ष के लिए ऋण दिया जा रहा है। यदि अवधि कम है तो सर्वे रिपोर्ट में इंगित करें लीज समाप्त होने के उपरांत कार्य चलाने की व्यवस्था क्या है।
2. क्या कार्य स्थल, जहां पर यंत्र मशीनरी इत्यादि लगाने के लिए प्रस्तावित है, उपयुक्त है क्या कर्मचारी को कार्य करने के लिए मशीनरी चलाने हेतु कार्यालय में पर्याप्त स्थान है तथा भविष्य में होने वाले विस्तार के लिए जगह पर्याप्त है।
3. क्या मकान में कच्चे माल का भण्डारण तथा उत्पादित माल को रखने के लिए पर्याप्त स्थान है।

(स) संयंत्र मशीनरी औजार इत्यादिः-

1. क्या परियोजना में उद्यमी द्वारा नई मशीनरी अथवा पुरानी मशीनरी खरीदने हेतु प्रस्ताव किया है, यदि मशीनरी तथा औजार खरीदना प्रस्तावित है तो जॉच करें कि क्या उद्यमी द्वारा उसका सही-सही मूल्य दर्शाया गया इसके लिए उद्यमी से तीन प्रसिद्ध कम्पनियों/फर्मों से कोटेशन लेना आवश्यक है। तद्नुसार उसके मूल्य का निर्धारण करना चाहिए।
2. मशीन के निर्माता तथा उसका कौन सा माडल है।
3. क्या योजना में दर्शाये गये उत्पादन के अनुरूप मशीन की कार्य क्षमता पर्याप्त है।
4. यदि योजना में पुरानी मशीन खरीदना प्रस्तावित है तो उसके मूल्य का क्या आधार है। ऐसी मशीन की कार्यक्षमता क्वालिटी की जॉच आयु इत्यादि का निर्धारण किसी अनुभवी व्यक्ति/ फर्म द्वारा किया जाना चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र के साथ संलग्न होना आवश्यक है। अन्यथा की दशा में पुरानी मशीन हेतु ऋण सुविधा नहीं देना चाहिए।
5. क्या मशीन संतुष्टि (ब्रेक इवन प्वाइंट) पूर्ण कर सकती है तथा उसमें प्रस्तावित उत्पादन के अनुसार कार्य क्षमता है।
6. क्या यंत्र तत्समय (अप टू-डेट) अर्थात नयी टेक्नीक के आधार पर निर्मित है तथा क्वालिटी एवं मेक आई0एस0आई0 द्वारा अनुमोदित है।

(द) मशीन को स्थापित करनाः-

इस सम्बन्ध में निम्न बातों की जानकारी करें।

1. मशीन किसके द्वारा स्थापित (स्टाल) की जायेगी। यदि उधारकर्ता स्वयं करेगा तो क्या उसके पास उक्त कार्य करने हेतु आवश्यक अनुभव है यदि वह कार्य किसी एक्सपर्ट संस्था द्वारा कराया जायेगा, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर इत्यादि प्रोजेक्ट में दिया गया है या नहीं। कन्ट्रेक्टर की इस बारे में क्या शर्तें है आदि के बारे में जॉच करें।
2. क्या मशीन को स्थापित करने हेतु लागत आवश्यकता के अनुरूप है।
3. क्या मशीन को स्थापित करने के समय समस्त सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किये गये है।

(य) **मशीन की मरम्मत तथा रख-रखावः-**

1. क्या मशीन की मतम्मत तथा रख-रखाव की वाजिब व्यवस्था प्रोजेक्ट में की गयी है यदि नहीं तो प्रोजेक्ट को तद्नुसार ठीक कराया जाये।
2. क्या मशीन की मरम्मत तथा रख-रखाव की व्यवस्था उद्यमी द्वारा स्वयं की जायेगी, यदि हां तो क्या उसके पास इस कार्य का पर्याप्त अनुभव है, यदि नहीं तो वह क्या इस कार्य हेतु किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा या इस कार्य को किसी अन्य संस्था द्वारा कराया जायेगा तो क्या इस कार्य हेतु योजना स्थल आस-पास पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है इत्यादि।

''टिप्पणीः-

यहां पर कुल बिक्री से प्राप्त धनराशि तथा उत्पादन खर्च (कास्ट आफ प्रोडेक्शन) बराबर हो जाता है तो ब्रेक इवेन प्वाइंट कहते हैं।

(र) **अवस्थापना(इन्फ्रास्ट्रक्चर)ः-**

क-विद्युत आपूर्ति एवं जल की व्यवस्थाः-

1. कार्य स्थल में क्या राज्य विद्युत परिषद द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था है। यदि नहीं तो विद्युत आपूर्ति में कटौती या बंदी की स्थिति में अन्य विकल्प जैसे जनरेटर/अन्य ईधन आदि की क्या व्यवस्था है।
2. क्या इकाई को जल आपूर्ति हेतु जल निगम, ट्यूबवेल, हैण्डपम्प या कुऑ द्वारा जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

ख- सड़क तथा परिवहन की सुविधाः-

क्या परिवहन की सुविधा के अनुरूप सड़क, इकाई से जुड़ी है अथवा कच्चा माल जाने और तैयार माल पहुँचाने के लिए परिवहन व्यवस्था जैसे-रेल, ट्रक इत्यादि उपलब्ध है।

ग- क्या परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दूरभाष तथा डाकघर की सुविधा कार्यक्षेत्र में उपलब्ध है।

घ-1. क्या इकाई द्वारा लघु उद्योग (एस0एस0आई0) पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया है, यदि हां तो प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त करें। यदि नहीं तो स्टाम्प पेपर पर लिखित आश्वासन लेना होगा कि निश्चित समय के अंदर स्थायी पंजीकरण प्राप्त कर लिया जायेगा।

2. यदि कार्य क्षेत्र में केन्द्रीय आबकारी अधिनियम लागू होता है तो क्या इसके लिए पंजीकरण करा लिया है। यदि इकाई पहले से ही कहीं कार्यरत है तो क्या आवश्यक कर (टैक्स) दिया जा रहा है या नहीं उल्लेख करें।

3. वाणिज्यिक सम्भाव्यता (कामर्शियल फिजीविलिटी)ः-

कच्चे माल की खरीद, रूप तथा उत्पादित माल की मांग एवं विपणन की व्यवस्था उपरोक्त विषय पर विस्तृत जानकारी परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस सम्बन्ध मे ंनिम्न बिन्दुओं पर विशेष जानकारी लेना आवश्यक है।

अ- क्या प्रस्तावित इकाई के लिए आवश्यक कच्चा माल आसानी से स्थायी या समीपवर्ती स्थानों से ठीक दूरी पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यदि नहीं, तो क्या कच्चा माल को दूर से खरीदने के लिए काफी खर्च पड़ेगा। यदि हां, तो ऐसी इकाई को ऋण विधा या तो नहीं प्रदान करना चाहिए या बहुत सावधानी के साथ कराना चाहिए।

ब- कुछ माल कोटे के आधार पर उसके निर्माता से सीधे तथा खुले बाजार में भी उपलब्ध होता है, लेकिन उनके मूल्यों में काफी अंतर होता है। इस सम्बन्ध में काच्चे माल के स्रोत के बार में जानकारी लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

स- क्या इकाई के लिए कच्चे माल को आयात किया जायेगा यदि हां तो क्या इकाई ने आयात लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

कच्चे माल की प्रकृतिः-

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की जॉच करें कि क्याः-

1. क्या माल कृषि स्रोतों पर आधारित है।
2. जंगल के स्रोतों पर आधारित है।
3. भूमिगत स्रोतों पर आधारित है।
4. जल से अप्राप्त स्रोतों पर आधारित है।
5. किसी अन्य इकाई का उत्पादन या उप उत्पादन है।
6. क्या कच्चा माल कुछ समय उपयोग न करने पर आसानी से नष्ट होने योग्य है, क्या उसके भण्डारण के लिए विशेष बचाव व सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान किये गये हैं। जहां तक सम्भव हो ऐसी इकाईयों को बित्त पोषित करने पर विचार करना चाहिए।

4. उत्पादन माल की प्रकृतिः-

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर जॉच करेंः-

1. क्या उत्पादन माल अधिक समय तक भण्डारण किया जा सकता है या नहीं।
2. क्या उत्पादन माल एक दो दिन में नष्ट होने योग्य है या सीधे उपभोग होने योग्य है।
3. क्या उत्पादन यंत्र या कोई अन्य वस्तु है, जिसे अधिक दिनों तक बिक्री न होने के कारण सुरक्षित ढग से रखा जा सकता हैं
4. क्या उत्पादन प्रचलित बाजार की परिस्थिति के अनुकूल है।

उत्पादन माल का उपयोगः-

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर जॉच करेंः-

1. क्या उत्पादित माल सीधे उपभोग योग्य है।
2. क्या यह कृषि कार्यों में उपयोग किया जायेगा।
3. क्या यह किसी अन्य इकाई के लिए इनपुट के तौर पर उपयोग किया जायेगा।
4. क्या यह कोई औजार या कोइ अन्य वस्तु है, जो सामान्य जीवन, उत्पादन अथवा घरेलू कार्यों में उपयोग की जायेगी।
5. क्या उत्पादन जॉब, वर्क, मौसमी मांग के अधीन तो नहीं है तद्नुसार ही वित्तीय सहायता पर विचार किया जाना चाहिए।

विपणन(मार्केटंग):-

1. परियोजना में दी गई सूचनाओं के अनुसार यह जॉच करना नितांत आवश्यक है कि उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तु की क्या मांग है। प्रतिस्पर्धा में कौन कौन सी इकाईयां हैं उनकी संख्या क्या है, उत्पादित माल के विक्रय की क्या-क्या योजना बनायी गयी हैं। वह किस वर्ग के लिए होगा विपणन का कार्यक्षेत्र क्या है, इत्यादि। क्या इसकी बिक्री उद्यमी द्वारा स्वयं की जायेगी या इस कार्य हेतु किसी एजेण्ट अथवा वितरक को नियुक्त किया जायेगा और उसी के माध्यम से विपणन किया जायेगा। यदि उद्यमी स्वयं अपना माल विक्रय सीधे खरीददार को करता है तो अपने सर्वे रिपोर्ट में इंगित करें कि क्या उद्यमी द्वारा प्रस्तावित क्रेता से सम्पर्क किया गया है अथवा क्या किसी से पहले से आदेश प्राप्त किया है या केवल आश्वासन/पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान लगाया गया है।

2. क्या उद्यमी द्वारा नया उत्पादन बाजार में प्रस्तुत किया जा रहा है या पूर्व प्रचलित है। यदि नया है तो क्या बाद में प्रचलित अन्य इकाईयों के उत्पादन के मुकाबले इस उत्पादन की क्या गुणवत्ता है तथा क्या इसे आसानी से किया जा रहा है, प्रतिस्पर्धा किन कारणें से उल्लेख करें।
3. उपरोक्त उत्पादन की मौजूदा मांग किस तरह अभी तक पूरी होती रही है। मांग तथा पूर्ति में क्या अंतर है। प्रस्तावित इकाई द्वारा भविष्य में आने वाले उत्पादन की क्या पर्याप्त मांग बनी रहेगी।
4. यदि इकाई किसी अन्य इकाई के लिए इनपुट के उत्पादन का कार्य करेगी तो जॉच करें कि क्या जिस इकाई के लिए उत्पादन किया जायेगा, उस की मौजूदा इनपुट की पूर्ति किसी तरह होती है तथा भविष्य में उस इकाई की सम्बन्ध में क्या योजना है क्या प्रस्तावित इकाई से कोई दीर्घकालीन उत्पादन माल की आपूर्ति करने का अनुबंध किया है। यदि हां तो प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
5. जॉब वर्क की दशा में यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या इकाई द्वारा किसी पक्ष में इस सम्बन्ध में मांग प्रस्तुत की गयी है। संदिग्ध मामलों में यह उचित होगा कि इकाई द्वारा प्राप्त आदेश को सम्बन्धित पार्टी से मिलकर प्रमाणित करा लिया जाये।
6. यदि उत्पादन की बिक्री के लिए विषेष प्रयत्न की आवश्यकता है तो ऐसी दशा में इकाई द्वारा विपणन, प्रसार, प्रचार के लिए योजना में क्या व्यवस्था की गयी है।

स्टाफ एवं प्रबन्ध व्यवस्थाः-

1. क्या मशीन को उद्यमी द्वारा स्वयं चलाया जायेगा या उसके लिए कोई अनुभवी व्यक्ति/ व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा, यदि उद्यमी इस कार्य को स्वयं करेगा तो क्या ऐसा करने का उसके पास पर्याप्त अनुभव है तथा सहायता हेतु व्यक्ति है। यदि कोई प्रमाण पत्र हो तो प्राप्त करें।
2. यदि मशीन के संचालन हेतु किसी अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त करना है तो सुनिश्चित करना होगा कि उनकी क्या संख्या है तथा क्या कार्य हेतु साधरणतया अनुभवी/निपुण/ व्यक्ति पर्याप्त संख्या में आसानी से स्थानीय उपलब्ध हो सकते हैं। यदि नहीं तो ऐसी योजना का वित्त पोषण सामान्यतया नहीं करना चाहिए।
3. कुछ योजनायें ऐसी भी हो सकती हैं कि जहां पर विशेष कौशल वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो। ऐसी स्थिति में इस योजना का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता एवं स्थान की पृष्ठभूमि में करना चाहिए।
4. सुनिश्चित करें कि क्या परियोजना में दर्शायी गयी अनुभवी व्यक्ति एवं साधारण व्यक्तियों की संख्या जिनकी नियुक्ति परियोजना के संचालन हेतु की जायेगी, वह कार्य की दृष्टि से न्यायसंगत एवं पर्याप्त है। यदि अधिक हो तो उनकी आवश्यकतानुसार उद्यमी से वार्ता करने के उपरांत ठीक करें।
5. नियुक्त स्टाफ की कार्यक्षमता को निर्धारित करने हेतु क्या मापदण्ड निश्चित किया गया है तथा उनके वेतन मजदूरी की दर योजना में बाजिब ढंग से अंकित की गयी है।
6. क्या कर्मचारियों को आवकाश वेतन की मंजूरी तथा अन्य सामान्य सुविधा दी गयी हैं आदि का प्राविधान योजना में है।

6-वित्तीय व्यवहार्यता (फाइनेन्शियल बाइबेलिटी):-

इस सम्बंध में परियोजना में दर्शायी गयी समस्त मूल्यों जैसे खरीदी जाने वाले समस्त मशीनें, औजार एवं यंत्रों पर खर्च तथा उनके स्थापित होने पर होने वाले खर्च, योजना में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर खर्च, वेतन खर्च,फर्नीचर एवं फिक्सर पर खर्च कार्यालय एवं इकाई को संचालित करने हेतु होने वाले अन्य खर्च जैसे-बिजली,ऊर्जा पानी दूरभाष इत्यादि का सही सही मूल्यांकन करना आवश्यक

है। साथ ही यह भी जांच करना आवश्यक है कि योजना में दर्शाये गये कुल उत्पादित माल की बिक्री प्रति वर्ष या प्रतिमाह कितनी हो सकती है तथा किस दर से होगी। उपरोक्त बिन्दुओं पर कुल उत्पादन खर्च तथा बिक्री की आय की जानकारी बाजार में प्रचलित दर के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।यह भी सुनिश्चित करें कि योजना में दर्शाये गये समस्त मूल्य दर तथा कच्चे माल की आवश्यकता इत्यादि सभी ठीक है और तदनुसार इकाई द्वारा प्रतिवर्ष इस परियोजना से कितना लाभ प्राप्त होगा, इस सम्बंध में उद्यमों से 5 वर्ष का फण्ड फलों स्टेटमेंट प्राप्त करना आवश्यक है।

परियोजना बैंक द्वारा वित्त पोषित करने योग्य है या नही, इस सम्बंध में निम्न बिन्दुओं पर जांच करना आवश्यक है:-

अ. योजना से प्रतिवर्ष किस प्रकार लाभ प्राप्त होगा?

ब. क्या योजना द्वारा प्रतिवर्ष इतना लाभ प्राप्त हो सकेगा कि वो अपनी कार्यशील पूँजी तथा आवश्यकताओं के साथ-साथ निर्धारित अवधि में ऋण की किश्तों की अदायगी कर लें?

स. यदि योजना द्वारा प्रतिवर्ष लाभांश, समस्त खर्च को निकालने के उपरांत 20 से 25 प्रतिशत के बीच है तथा यह भी निश्चित हो जाता है कि भविष्य में यह इकाई सफलतापूर्वक कार्य करती रहेगी तो ऐसी योजना को उपरोक्त शर्तों के पूर्ण होने पर वित्त पोषण किया जाना चाहिये।

7.ऋण की अवधि, प्रारंभिक स्थगन अवधि तथा ऋण के किश्तों का निर्धारण:-

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अधिकतम ऋण कितने वर्ष के लिये किया जायेगा तथा प्रारभिंक स्थगन अवधि क्या होगी। ऋण की किश्तों का निर्धारण सामान्यतया योजना द्वारा प्राप्त कुल शुद्व लाभ का 50 से 60 प्रतिशत जैसी स्थिति हो, के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिये।

8.वर्तमान में चालू इकाईयों के विषय में ऋण स्वीकृत के पूर्व तकनीकी समीक्षा:-

चालू इकाईयों का सर्वेक्षण एक ही आधार पर होगा, जैसा कि उपर्युक्त वर्णित नई इकाईयों के लिये किया गया है। फिर भी एक महत्वपूर्ण अन्तर है अर्थात चालू इकाईयों के कार्य कलापों का भूतपूर्व सम्पादन उपलब्ध रहता है, जिसका परीक्षण समीक्षा के दौरान किया जा सकता है। इस लिये इकाई के स्थान पर जाकर मुलाकात कर क्रियात्मक ज्ञान तथा अर्न्तदृष्टि प्राप्त हो सकती है।

सर्वप्रथम इकाई द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत संतुलन पत्र तथा लाभ हानि प्रतिवेदन पिछले तीन वर्ष के अध्ययन द्वारा पूर्व ज्ञान कर लेने से जांच करने में सुविधा होगी। भेंट के दौरान निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिये:-

अ. इकाई का नाम बोर्ड प्रवेश मार्ग या द्वार पर लगा है या शेड के अन्दर है यदि इकाई के नाम के अतिरिक्त किसी और का नाम अंकित है तो किस आशय से लगाया गया है, इसकी जानकारी करें। यदि परिसर किसी इकाई के साथ भाग बांट कर कार्य कर रहा है तो देखना होगा कि क्या गतिविधि या स्टाक अन्य सुविधायें मिश्रित नही है।

ब.इकाई द्वारा दी गयी सूची के अनुसार मशीनरी मौजूद है या नही तथा मशीन का रख रखाव एवं सचांलन की प्रत्येक मशीन की मौलिक क्रय मूल्य की तुलना में क्या है,जांच के दौरान यदि कोई बड़ी मशीनरी शिथिलता पायी, तो ऐसा क्यों।

स. उत्पादन क्रम का निरीक्षण का समय इकाई द्वारा क्या तरीका अपनाया गया है, जिससे उन्हें कार्यकुशलता का ज्ञान हो सके।

द.निरीक्षण के दौरान श्रम सम्बंधी तकनीकी कर्मचारियों के पर्यवेक्षण योग्यता इत्यादि उनसे सम्पर्क द्वारा जानने की चेष्टा करनी चाहिये। इस प्रकार की जानकारी साधारण वित्तीय रिर्पोट में नही मिल पाती है। परन्तु बैंक के लिये आवश्यक है।

य.प्रस्तावक से वार्ता के दौरान जानकारी करें कि इकाई के लिये कच्चा माल कंहा से लिया जाता है तथा उसके ग्राहक कौन कौन से है एवं जॉब वर्क किससे करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त इकाई के बराबर

कितने समय के लिये माल मिलता है तथा अपने ग्राहकों को उधार पर कितने समय के लिये छूट की सुविधा है।
र.क्या इकाई मशीनरी के अवमूल्यन का प्राविधान करती है इसके लिये अवमूल्यन की दर शिफट पर निर्भर करती है, तदनुसार सुनिश्चित करें।
ल.क्या मशीन तथा उपकरण का इश्योरेंस कराया गया है।

आवेदन पत्र की समीक्षा-

चालू इकाई का परीक्षण नई इकाई के तुल्य करने के अलावा पिछले तीन वर्ष के संतुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खातों में प्रस्तुत इकाई के वास्तविक सम्पादन के आधार पर निम्न जानकारी प्राप्त करें।
अ.क्या इकाई की बिक्री पिछले तीन वर्षो से बढ़ रही या घट रही है, यदि घट रही है तो क्यों।
ब. इकाई द्वारा चालू वर्ष में बिक्री (सभांवित) पिछले वर्ष बिक्री की तुलना में तथा प्रचलित बाजार का साधारण झुकाव।
स.ध्यान दे कि यदि स्टॉक के मूल्य तथा बिक्री के अनुपात में कोई महत्वपूर्ण बदलाव पिछले तीन वर्षो में हुआ है,यदि हो, तो क्यों।
द.स्टॉक की गणना का विश्लेषण कच्चा माल,उत्पादन क्रम में लगा माल तथा तैयार माल को अलग अलग बांट कर देखें कि क्या कुल परिमाण का सम्बंध सम्पूर्ण बिक्री के हिसाब से विवेक संगत है। यदि कच्चा माल का स्टांक बहुत अधिक है, तो संभावना है कि इकाई आवश्यकता से अधिक स्टाक उपयोग कर रही है या उसे प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रही है या कच्चा माल अपने ग्राहकों से पा रही होगी।
य.इसी प्रकार यदि तैयार माल प्रचुर मात्रा में है तो इस बात का सूचक है कि संचित माल की रददी किस्म या अप्रचलित होने विपणन्यता संदेहजनक है अथवा यदि संतोषजनक है तो अन्य कारणों जैसे मूल्यों आदि में गिरावट आने व विक्रय मूल्य बढ जाने से कठिनाई हो रही है।
र.यदि विक्री का अनुपात संयत्र एवं उपकरणों के मूल्य से बहुत कम है तो किसी शिथिल क्षमता का द्योतक है अनुपात असामान्य उच्च है तो इसका अर्थ है कि इकाई अधिक मात्रा में घटकों का विनिर्माण बाहय मशीनों से करा रही है और स्वंय बहुत अल्प मात्रा में उत्पादन या संयोजन कर रही है अथवा उत्पादन के अतिरिक्त अन्य व्यापारिक गतिविधियों में समर्पित है।
ल. अपनी जांच के दौरान देखें कि विगत वर्षो में क्या स्थूल लाभ तथा शुद्व लाभ की बिक्री अनुपात सामान्य रहे है नही तो पता लगाये क्यों।
व.ट्रेडिंग तथा लाभ हानि खातों में दर्शित यदि कोई असामान्य तरीके के या विशाल खर्चे जैसे मरम्मत या रख रखाव पर भारी खर्च या ऊर्जा पर बहुत कम खर्च हो तो यादगार के लिये लिखें। ट्रेडिंग तथा लाभ हानि,खातों से इसके व्यापारिक गतिविधियों के खाते का सूत्र मिल सकता है।

खाता एवं अभिलेख-

रोकड़ बही खाता(कैश बुक) विक्रय खाता, विविध ऋण खाता, बही जो साधारणतया बुक डेटस रजिस्टर के नाम से जाना जाता है क्या उचित रीति से रखे जा रहे है यदि उक्त खातों से अदेयतन(रीसेन्ट)स्थिति उपलब्ध क्रय एवं विक्रय की नकद एवं उधार की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सकती है तथा क्रय वही से चुकता स्टाक पता लग सकता है। इसके आधार पर ऋण सीमा का निर्धारण होता है बुक डेटस के विरूद्ध भी ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकती है बशर्ते डेटस 3 माह से पुराना न हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त स्टाक रजिस्टर तथा फर्नीचर एवं फिक्सर रजिस्टर सही ढंग से रखा जाना भी आवश्यक है।

रोकड़ स्टाक इस टेड की सूचना का सत्यापन उधारकर्ता के सम्बन्धित खातों से करना चाहिए। तैयार माल जमा व सावधानी से अंकित कर लें ताकि उसका ओवर वैल्युशन नहीं हो सके।

रजिस्टर्ड फर्म, साझेदारी फर्म, क्लब सोसाइटी कम्पनी तथा अन्य सार्वजनिक निकायों के बारे में ऋण प्रस्ताव विचार करने से पहले देख लें तथा प्राप्त करें कि क्या- साझेदारी विलेख सत्यापित है।

यदि रजिस्टर्ड फर्म के अभिलेखों से लेख की जॉच कर लें क्लब, सोसाइटी आदि से प्राप्त उपविधियों का सत्यापन उधार ग्रहण क्षमता, उद्देश्य प्रबन्ध कमेटी के अधिकार आदि के विषय में जानकारी करने के लिए तथा संस्था द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति कम्पनी (मर्यादित) के मामले में मेमोरियल आफ एसोसियेशन डायरेक्टरों की वर्तमान सूची तथा इनकारर्पोरेशन सर्टीफिकेट।

<u>वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों हेतु पूँजी निवेश सब्सिडी अनुदान योजना के सम्बन्ध में।</u>
<u>विषयः-राष्ट्रीय जैव कृषि सम्बन्धी परियोजनान्तर्गत निविष्टियों वस्तुओं (Bio-Inputs) की</u>

उपरोक्त विषयक योजना नाबार्ड ने अपने पत्रॉक-रा0बैं0यू0पी0/आई0सी0डी0/57/पी0 और एच0-76/2005-06 दि0-05.04.2005 द्वारा उपरोक्त योजना की स्वीकृति दी है तथा यह अपेक्षा की गई है कि इसे लागू करने हेतु दिशा-निर्देश दिया जाय। उक्त के परिप्रेक्ष्य में बैंक द्वारा योजना बनाकर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप निम्न योजनान्तर्गत ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें। बैंक द्वारा क्रियान्वित नयी योजनाओं का विवरण निम्नवत् हैः-

1. जैव उर्वरक इकाई (Bio Fertiliser Unit)
2. वर्मी कल्चर हैचरी इकाई (Vermi Cluture Hatcheries)
3. फ्रूट एवं बेजीटेबल कम्पोर्स्ट (Furit and Vegetable Waste Compost Unit)

(1). <u>प्रस्तावना :-</u>

(1) कीटनाशक और रसायन से मुक्त गुणवत्ता प्रधान उत्पाद और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति उपभोक्ताआं की बढ़ती जागरूकता के साथ जैव कृषि व्यापक महत्व प्राप्त कर रही है। देश में बड़े पैमाने पर जैव कृषि के संवर्धन हेतु जैव उर्वरक (Bio-Fertiliser) वर्मी कम्पोस्ट, फल और सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट (**Furit and Vegetable Waste Compost**) जैसे जैव निविष्ट वस्तुओं की आपूर्ति आवश्यक समझी गयी। ऐसी निविष्ट की आपूर्ति रासायनिक उर्वरकों के प्रयोगों की अनुपूरक होगी और इस प्रकार इससे रासायनिक उर्वरकों पर अत्याधिक निर्भरता में कमी आयेगी।

2- केन्द्र सरकार की 10वीं पंचवर्षीय योजना में जैव कृषि की एक प्रमुख बलक्षेत्र के रूप में पहचान की गयी है ताकि अन्तराष्ट्रीय बाजार में उच्चतर प्रीमियम वाले जैव खाद्य क्षेत्र में वैश्विक रूप से प्रतियोगिता की जा सके। इसे देखते हुए भारत सरकार ने **"जैव कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना के अर्न्तगत जैव निविष्ट वस्तुओं की वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों हेतु पूँजी निवेश सब्सिडी योजना की घोषण की है जिसमें इकाइयों को सब्सिडी के रूप में सहायता दी जायेगी।"**

3- प्रत्येक इकाई को इस योजना के अर्न्तगत परियोजना की पूँजी लागत केक 25 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दी जायेगी जिसकी अधिकतम राशि जैव उर्वरक इकाइयों हेतु रू0 20 लाख, वर्मी कम्पोस्ट हेचरी हेतु रू0 1.50 लाख व सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन हेतु रू0 40.00 लाख होगी। शेष लागत बैंकों से सावधि ऋण (50%) और मार्जिन मनी (25%) द्वारा पूरी की जायेगी। सब्सिडी ऋण से सम्बद्ध और अन्त में दी जायेगी।

4- यह योजना राज्य सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग के सहयोग से नेशनल सेण्टर फार आर्गेनिक फार्मिंग , गाजियाबाद और इसके छः क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। नाबार्ड इस योजना के अर्न्तगत दिये गये सावधि ऋण हेतु पात्र वित्त पोषक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देने के साथ-2 सब्सिडी का संचालन और योजना की प्रगति का अनुप्रर्वतन करेगा। नाबार्ड प्रचलित व्याज दर पर 95% की दर से पुनर्वित्त प्रदान करेगा।

5- यह सेण्ट्रल सेक्टर प्लॉन स्कीम सब्सिडी के साथ वर्ष 2004-05 के दौरान नाबार्ड के माध्यम से क्रार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है और वित्तपोषक बैंकों द्वारा दिनॉक 15.02.2005 को या उसके पश्चात् मन्जूर नई, वर्तमान इकाइयों के विस्तार/नवीनीकरण पर लागू होगी। सब्सिडी की

मन्जूरी और निर्गमन, निधियों की उपलब्धता और इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-2 पर जारी अनुदेशों की अनुपालन के अधीन होगा। बैंक द्वारा उधारकर्त्ताओं को जारी किये जाने वाले मन्जूरी पत्रों में उक्त शर्त को अनिवार्य रूप से डाल दिया जाय।

6- नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को अनुदान हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अनुदान का निस्तारण होगा।

2- अनुदान-

(क). उपरोक्त तीनों योजनाओं में 50 % अनुदान की धनराशि को योजना का प्रोफाइल तथा क्लेम निर्धारित प्रारूप पर नाबार्ड को प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।इसके पश्चात् एनेक्जर–1 पर नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से क्लेम करने पर प्राप्त होगा। यह लाभार्थी के सब्सिडी रिजर्व फण्ड एकाउण्ट में सुरक्षित रहेगी। इसका समायोजन बैंक द्वारा पीरियड समाप्त होने पर किया जायेगा।

(ख). अनुदान का शेष 50 प्रतिशत के वितरण की प्रक्रियॉ :-

अनुदान का शेष 50 प्रतिशत ज्वाइण्ट इन्सपेक्शन कमेटी (इसमें बैंक नाबार्ड व एन0सो0ओ0एफ0 के अधिकारी होंगें) के निरीक्षण के उपरान्त एनेक्जर-2 पर क्लेम करने पर प्राप्त होगा।

3- सदुपयोगिता प्रमाणपत्र :-

सदुपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रारूप एनेक्जर-2 पर है। इस प्रारूप पर नाबार्ड को सूचना दी जायेगी।

4- प्रशिक्षण एवं प्रचार :-

नेशनल सेण्टर आफ आर्गेनिक फार्मिंग (एन0सोओ0एफ0) गाजियाबाद एवं इसके छः क्षेत्रीय कार्यालयों को जो उत्तर प्रदेश शासन के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित हैं, द्वारा प्रशिक्षण तथा प्रचार किया जायेगा।

ऋण पत्रावलियॉ केवल बैंक के फील्ड स्टाफ एवं शाखा प्रबन्धक द्वारा तैयार की जानी हैं, योजनाओं में प्रयोग में आने वाली मशीनरियों का बीमा लाभार्थी द्वारा अपने व्यय पर कराया जाना है।लाभार्थी द्वारा कराये गये बीमा कवर नोट ऋणी सदस्य की ऋण पत्रावली में सुरक्षित रखा जायेगा। क्रय की गयी मशीनरी को बैंक पक्ष में बन्धक किया जायेगा।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि माडल रूप में समस्त योजनाओं में निर्दिष्ट नियमों व प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित योजनाओं में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें । साथ ही ऋण वितरण की सदुपयोगिता पर विशेष ही ऋण वितरण की सदुपयोगिता पर विशेष बल दिया जाये।

(1). जैव उर्वरक इकाई (बायो फर्टिलाइजर यूनिट)

(क). इकाई स्थापित करने हेतु स्थान का चयन-

यह योजना ऐसे स्थान पर स्थापित की जा सकती है जो तकनीकी व व्यापार की दृष्टि से उपयोग हो। जो इकाई स्थापित की जायेगी वह इस प्रकार स्थापित की जायेगी कि आवश्यकता पड़ने पर उसका विस्तार किया जा सके।

(ख). **इकाई लागत-नाबार्ड के निर्देशानुसार समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।**

प्रोजेक्ट आऊट -ले/मॉडल प्रोजेक्ट-150 टी0पी0ए0/शिफ्ट बॉयो-फर्टिलाइजर यूनिट कास्ट मॉडल- **(धनराशि लाखों में)**

(A)- 1-. भूमि का मूल्य 2000 वर्ग मीटर

2- जमीन का समतलीकरण

3-फेन्सिंग और कम्पाउण्ड बॉल एवं दो गेट **(योग 01 से 03 तक)**

(B)- 4- सिविल स्ट्रक्चर–

इस्टरलाइजेशन,इन्क्यूबेसन एवं क्वालिटी कण्ट्रोल,मेचोरेसन,कैरियर–प्रेपरेशन,स्टोरेज, स्टाफ।

(C)- 5- प्लाण्ट एवं मशीनरी

6. अन्य फिक्चर्स

7.फर्नीचर्स एवं फिक्चर्स

8.इलेक्ट्रिक इन्स्टॉलेशन 70 एच0पी0 एवं अन्य सामान

9.वेल एवं पम्पसेट, ओवरहेड टैंक, (ऐच्छिक)

10.जनरेटर 70के0वी0ए0 हेतु

11.वेहिकिल–एल0सी0वी0, जीप

(योग 06 से 11 तक)

(D)- 12-कण्टीजेंसी

13.व्याज एवं प्रथम वर्ष का खर्च

14.मार्जिन मनी फार वर्किंग कैपिटल

15.पीलिमनरी एवं प्री–ऑपरेटिव खर्चे

(योग 12 से 15 तक)

कुल योग–(A+B+C+D)=

मार्जिन मनी 25 %

अनुदान

बैंक ऋण 50 %

(ग).योजना पूर्ण करने की अवधि 12 महीने हैं।

(घ).ऋण वापसी की अवधि 02 वर्ष के ग्रेस पीरियड के साथ 10 वर्ष का ऋण होगा।

(ड़).ऋण से सृजित अस्तियों का बीमा कराना आवश्यक है।

(II). वर्मी कल्चर हेचरीज –

(क). स्थान का चयन–

यह योजना ऐसे स्थान पर स्थापित की जायेगी जहॉ तकनीकी रूप से स्थापित हो सके तथा वित्तीय रूप से लाभदायक हो एवं इस बात का ध्यान रखा जाय कि योजना हेतु रॉ–मैटेरियल तथा मार्केटिंग उपलब्ध हो।

(ख). केचुयें का प्रकार–

केचुआ तीन प्रकार का होता है।

1. एपीजेडक 2. ऐनेजेइक 3. ऐण्डोजेइक

ये तीनों प्रकार के केचुऍ भूमि में अच्छी तरह रहते हैं तथा भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। इनकी वृद्वि अच्छी होती है।

(ग). आवास–

वर्मी कल्चर हेचरी का आवास बनाते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हेचरी के बेड बनाये जायेंगे उनके बीच में खाली स्थान न हो ताकि जो

कार्यकर्ता देख–रेख करने वाले हो, उनके कार्य में व्यवधान न पड़े। आवास, बॉस, लकड़ी तथा पत्थर के खम्भे से तैयार किये जायें। शेड को इस तरह बनाया जाय कि वर्षा के पानी से बेड़ों का बचाव हो सके एवं हवा सुचारू रूप से मिल सके।

(घ). इकाई लागत–

प्रोजेक्ट ले–आउट मॉडल/प्रोजेक्ट ऑन 150 टी0पी0ए0 वर्मी हेचरी के साथ–साथ कम्पोस्टिंग यूनिट का मॉडल–

(धनराशि लाखों में)

1. जमीन की लागत व साइट का विकास
2. इमारत एवं अन्य कार्य की लागत
3. इम्पलीमेण्ट एवं मशीनरी
4. 10 के0वी0ए0 की बिजली व वॉयरिंग
5. फर्नीचर एवं फिक्चर्स
6. प्रीलिमिनरी एवं प्री–ऑपरेटिव खर्चे
7. कण्टीजेंसी
8. ऑपरेशनल कास्ट फार दि इयर मैक्जिमम कैपीसिटी यूटीलाइजेशन
9. प्रथम वर्ष का व्याज एवं अन्य खर्चें

योग–

मार्जिन मनी– 25 %
अनुदान– 25%
बैंक ऋण– 50%

(च). भुगतान अवधि– बैंक के नियमानुसार भुगतान अवधि निर्धारित की जायेगी।

****

कृषि क्लीनिक व कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना

विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत ऋण की सुविधा कृषि स्नातकों को व्यक्तिगत रूप से तथा संयुक्त/समूह के रूप में करने का प्रावधान है।

उद्देश्य-

1. राज्य सरकार के प्रसार कार्यक्रम में प्रभावी सहयोग।
2. इच्छुक लाभार्थियों को निवेशों की आपूर्ति करने में सहयोग।
3. कृषि स्नातकों को स्वरोजगार देना।

कृषि/एग्री क्लीनिक से तात्पर्य-

एग्री क्लीनिक द्वारा किसानों की कृषि फसलों को उगाने के लिए शस्य कार्य(क्राप प्रैक्टिस), तकनीकी मार्गदर्शन, पौध सुरक्षा कार्य, उत्पादन का विपणन तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु पशु चिकित्सा संबंधी सुझाव देना प्रमुख हैं। इससे कृषि फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

कृषि व्यवसाय केन्द्र/एग्री बिजनेस सेन्टर से तात्पर्य-

इन केन्द्रों का मुख्य कार्य निवेश की आपूर्ति, कृषि यंत्र किराये पर देना तथा विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाओं को उपलब्ध कराना। कृषि स्नातक योजना को आर्थिक रूप से लाभकर बनाने के लिए एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस सेन्टर दोनों एक साथ भी अपना सकते है।

योजनाओं का विस्तृत विवरण-

योजना का नाम, इकाई लागत, डाउन पेमेंट, बैंक ऋण, ब्याज दर, ऋण अवधि, ग्रेस पीरिएड इत्यादि निम्नवत् हैं-

इकाई लागत-

कृषि स्नातक लाभार्थी व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से समूह के साथ में भी योजनाओं को अपना सकते हैं। व्यक्तिगत एक लाभार्थी हेतु अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रूप्ये तथा संयुक्त/समूह के रूप में 50 लाख रूपये हैं। समूहों में सामान्य तौर पर 5 लाभार्थी होंगे, जिनमें से एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो तथा व्यवसाय विकास एवं प्रबन्ध में अनुभव प्राप्त हो, योजना आटोमेटिक रिफायनेंस के अंतर्गत होगी। अधिकतम इकाई लागत 25 लाख रूप्ये हैं, जिसमें से पुनर्वित्त केवल 15 लाख का ही प्राप्त होगा इसलिए 15 लाख तक की योजनाओं हेतु ही ऋण दिया जायेगा। योजना में यह भी शर्त है कि यदि ऋण सीमा 25 लाख से अधिक की जाती है तो नाबार्ड को योजना भेजकर इसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

मार्जिन मनीः-

लघु/सीमांत कृषक 5 प्रतिशत मध्यम को 10 प्रतिशत अन्य को 15 प्रतिशत डाउन पेमेंट का प्राविधान है। यदि लाभार्थी मार्जिन मनी देने में समर्थ नहीं है, तो मार्जिन मनी का 50 प्रतिशत नाबार्ड द्वारा ब्याज रहित ऋण बैंक को देय होगा और बैंक उस पर सेवा शुल्क 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ले सकता है।

प्रतिभूतिः-

ऋण राशि से दो गुने मूल्य की भार रहित भूमि। प्रोजेक्ट की लागत का 1/2 भाग हाइपोथिकेशन के रूप में भी प्रतिभूति के लिए रखा जायेगा।

ऋण भुगतान-

स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही सामान्य प्रक्रिया के अनुसार/ऋण की अदायगी किश्तों में की जायेगी।

बैंक के फील्ड आफिसर/सहायक फील्ड आफिसर ऋण प्रार्थना पत्र तैयार करेंगे, स्वीकृति उपरांत सदुपयोगिता सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकार के नोडल अधिकारी, जो योजना क्षेत्र में कार्यरत हैं, यह कार्य विधिवत कर सकते हैं।

<u>लाभार्थी चयन</u>-

कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विकास केन्द्रों से विचार-विमर्श कर लाभार्थी का चयन किया जायेगा। ऐसे लाभार्थी जिनके पास अपेक्षित भूमि है, यो उनके पास यदि पर्याप्त भूमि नहीं है, तो अन्य लाभार्थियों को सहभागीदार बनाकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी की कृषि स्नातक उपाधि की सत्यापित फोटो प्रति भी पत्रावली के मूल से मिलान करने के पश्चात रखें।

<u>पुनर्वित्त प्राप्ति</u>-

शत-प्रतिशत पुनर्वित्त नाबार्ड से। इस प्रकार प्रदेश व केन्द्र सरकार पर इस योजना में अंश का वहन नहीं होगा।

<u>वसूली-</u>

ग्रेस पीरिएड के पश्चात मासिक किश्तों में, क्योंकि आय प्रतिदिन/मासिक प्राप्त होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु केंचुवा पालन (वर्मी कम्पोस्ट)

प्रस्तावनाः-

कार्बनिक खेती तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से कृषकों को जागृत करने तथा घटती हुई मृदा उर्वरा शक्ति को संरक्षित करना व निर्यातोन्मुख योजनाओं को संचालित करना भारतीय कृषि का प्रमुख उददेश्य हो गया है। चाहें औद्यानिक फसल हो अथवा औषधीय फसल हो। विदेशों में कार्बनिक(औरगेनिक) तथा रसायन रहित उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा जैव विविधता का अपार भण्डार है। अतः जैविक खेती को वर्तमान में ''एग्रो डलर'' को प्राप्त करने हेतु आवश्यक माध्यम बनाया जा सकता है।

2. योजना का उद्देश्यः-

(क) कृषि क्लीनिक के माध्यम से कृषकों को वांछित जाति के केंचुवे उपलब्ध कराना तथा कृषकों व उद्यमियों को इस दिशा मे प्रशिक्षित करना।

(ख) कृषि क्लीनिक के माध्यम से प्रयोगात्मक रूप से उत्पादन के तरीकों को प्रसारित करना।

3. **योजना का कार्य क्षेत्र-**

संदर्भित योजना को शहरी क्षेत्र के आस-पास तथा शहरी क्षेत्रों के पास विद्यमान गांवों में संचालित किया जायेगा। जिससे योजना हेतु पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध हो सकें। संदर्भित इकाई को उन क्षेत्रों में स्थापित करना उचित होगा जहॉ फल-फूल और सब्जी का पर्याप्त उत्पादन सघन रूप से किया जा रहा हे।

4. योजना के प्रमुख घटकः-

(क) शेडः- वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु बांस, लकड़ी, पत्थर के खेमों पर छाजन छॉ कर बनाया जाता है।

(ख) वर्मी बेडः- सामान्यतया 75 सेमी से 90 सेमी तक मोटे बेड का निर्माण किया जाता है ताकि पानी अच्छी तरह फिल्टर हो सके। समस्त बेड का क्षेत्र जमीन के ऊपर बनाया जाना है।

(ग) भूमिः- आधा से एक एकड़ जमीन वर्मी कम्पोस्ट हेतु उपयुक्त होती है। यहां तक कम उत्पादक भूमि भी इस कार्य के लिए प्रयोग की जा सकती है।

(घ) भवन एवं फर्नीचरः- केंचुवा/वर्मी कम्पोस्ट के औद्योगिक उत्पादन के लिए भवन, कार्यालय, स्टोर, कच्चा माल हेतु भण्डारण तथा रहने के लिए भवन की आवश्यकता होती है जिस पर समुचित धन का व्यय होगा।

(ड़) सीड स्टाकः- योजना को शुरू करने हेतु 350 वर्ग प्रति घन मीटर बेड़ आवश्यक होगा जो दो-तीन चक्र में वांछित उत्पादन दे सकेंगे।

(च) मशीनः- कच्चे माल को टुकड़ों में काटने व फैलाने तथा पानी आदि हेतु उपकरण या यंत्र की आवश्यकता होगी।

(छ) ढुलाईः- वर्मी कम्पोस्ट की इकाई हेतु ढुलाई का माध्यम अति आवश्यक है। यदि कोई इकाई 1000 टन प्रति वर्ष की क्षमता रखती है तो 3 टन क्षमता के मिनी ट्रक हेतु ऋण दिया जा सकता है।

5. अन्यः- इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु भी ऋण दिया जायेगा।

6. लाभार्थीः- कृषि स्नातक/डिप्लोमाधारी को ही इस योजनान्तर्गत ऋण दिया जायेगा।

7. मारजिन मनीः- बैंक के नियमानुसार लाभार्थी को 15-20 प्रतिशत मारजिन मनी दिया जायेगा।

8. ब्याजः- बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज जो समय-समय पर लागू हो, कृषकों से प्राप्त किया जायेगा।

9. ऋण वापसी की अवधिः- एक वर्ष के ग्रेस पीरिएड को सम्मिलित करते हुए 8 वर्ष होगी।

10. **किश्तों का निर्धारणः-** प्रथम किश्त शेड व बेड हेतु, द्वितीय किश्त पानी की व्यवस्था नादेय टेंक तथा फीड स्टाफ व हैडिलिंग हेतु तथा तृतीय किश्त मशीन सहयंत्र व आफिस तथा स्टोर निर्माण हेतु दी जायेगी। प्रत्येक किश्त की सदुपयोगिता का सत्यापन करने के उपरांत ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

11. योजना की लागतः- समय-समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित की जाती है।

मेंथा (मिन्ट) योजना

मेंथा (मिन्ट) तेल आसवन/तेल आसवन तथा क्रिस्टलीकरण इकाई की स्थापना हेतु ऋण वितरण

मेंथा की खेती तथा लघु तेल उत्पाद इकाई स्थापना हेतु ऋण वितरण प्रक्रिया एवं मार्ग दर्शन तथा इन इकाईयों में आसवन/आसवन एवं क्रिस्टलीकरण के लिए ऋण वितरण की किश्तें निम्नत होगीः-

प्रथम किश्त

1.वर्किंग शेड (15' X 15')	रू0	18000.00
2. गोदाम (20' X 15')	रू0	36000.00

द्वितीय किश्त

1.बोरिंग सहित पम्पसेट/ट्यूबवेल	रू0	15000.00

तृतीय किश्त

1.ओवर हेड टेंक(प्लास्टिक/सीमेंट)	रू0	6000.00
2. कण्डेसर युक्त आसवन टंकी	रू0	6000.00
3. चेन पुली सहित क्रेन	रू0	1000.00
4. स्टोरेज टंकी-2	रू0	1000.00
5. फिल्टर एवं कुप्पी-1 सेट	रू0	500.00
6. ढुलाई, विद्युतीकरण, भट्टी निर्माण तथा फिटिंग चार्जेज	रू0	8750.00
योग-	रू0	145250.00

नोट- उपरोक्त मदों में जो लाभार्थी के पास पूर्व से है को छोड़कर अवशेष के लिए ही ऋण राशि स्वीकृत की जायेगी।

2. बैंक स्टाफ द्वारा प्रत्येक किश्त की सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही आगामी किश्त के लिए ऋण वितरित किया जायेगा।

3. उपरोक्त ऋण की 9 वर्षों के अंदर वसूली की जायेगी तथा उसमें ग्रेस पीरिएड अनुमन्य नहीं है।

(ख) तेल आसवन और क्रिस्टल उत्पाद इकाई (400 वर्ग मीटर भूमि में)

प्रथम किश्तः-

1. वर्किंक शेड (20' X 20')	रू0	32000.00
2. बायलर कक्ष (10' X 20')	रू0	24000.00
3. हिमीकरण (रिफ्रीजरेशन)	रू0	48000.00
4. गोदाम (20' X 15')	रू0	36000.00
5. कार्यालय एवं अन्य (प्रसाधन रसोई आदि) (20' X 15')	रू0	36000.00
योग	रू0	176000.00

द्वितीय किश्त

1. बोरिंग सहित ट्यूबवेल/पम्पसेट	रू0	15000.00

तृतीय किश्त

1.ओवर हेड टेंक(प्लास्टिक/सीमेंट)	रू0	60000.00
2. कण्डेसर-3 युक्त (2000 ली0) क्षमता की आसवन टंकी	रू0	60000.00
3. सहयंत्रों सहित हारीजेण्टल पाष्प जनरेटर (कोयला/लकड़ी युक्त कुकिंग पेसर) 600 घंटा क्षमता (1000 पी0सी0एफ0)	रू0	100000.00
क. पुली सहित क्रेन-2	रू0	1000.00
5. स्टोरेज टैंक-5	रू0	2500.00
6. फिल्टर कुप्पी आदि	रू0	500.00
योग-	रू0	200000.00

चतुर्थ किश्तः-

(क्रिस्टल उत्पादन इकाई)

1. डीप फ्रीजन(कम्प्रेशर, मोटर सहित) (क्षमता 300 घंटे)	रू0	25000.00
2. 5 किलोवाट जनरेटर	रू0	14000.00
3. सेन्ट्रीगेज-1	रू0	6000.00
4. स्टोरेज टंकी-2	रू0	3000.00
5. एक्जास्ट फैन-2	रू0	2000.00
6. अन्य लघु उपकरण(बाल्टी,सीढ़ आदि)	रू0	2000.00
7. ढुलाई, विद्युतीकरण, भट्टी निर्माण तथा फिटिंग चार्जेज	रू0	27300.00
योग-	रू0	79300.00

नोट-

1. उपरोक्त मदों में जो लाभार्थी के पास पूर्व से ही है को छोड़कर अवशेष के लिए ऋण की राशि स्वीकत की जायेगी।
2. बैंक स्टाफ द्वारा प्रत्येक किश्त की सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही अगली किश्त के लिए ऋण वितरित किया जायेगा।
3. उपरोक्त ऋण की 9 वर्षों के अंदर वार्षिक वसूली की जायेगी तथा ग्रेस पीरिएड अनुमनय नहीं है।

कृषि यन्त्रीकरण

विषय– कृषि यन्त्रीकरण योजनान्तर्गत लेजर लैण्ड लेवलर हेतु ऋण–वितरण के सम्बन्ध में।

प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों जहॉ की भूमि ऊँची–नीची है उसे समतल करके कृषि योग्य बनाकर कृषक अपनी आय में वृद्धि करते हुए जीविकोपार्जन का नया स्रोत सृजित कर सकते है। उक्त कार्य आधुनिक तरीके से लेजर लैण्ड लेवलर द्वारा किया जा रहा है जिससे फसल की उपजाऊ क्षमता में वृद्धिहोती है एवं पानी की बचत के साथ–साथ समय की बचत भी होती है। जिन कृषकों के पास स्वयं का ट्रैक्टर है उन्हें लैण्ड लेवलर हेतु ऋण–वितरण किया जायेगा।

योजना की इकाई लागत–

प्र0का0 द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–सी–55/तक0प्र0/2016–17 दिनॉक 29.08.16 द्वारा निर्धारित कृषि यन्त्रीकरण के प्रोजेक्टों के अंकित इकाई लागत के अनुसार लेजर लैण्ड लेवलर की इकाई लागत मु0 4.40 लाख रू0 निर्धारित की गयी है। यदि प्रतिष्ठित कम्पनी को लेवलर हेतु स्थानीय मूल्यों के अनुसार कृषक कोटेशन प्रस्तुत करता है तो उसे मान्यता दी जा सकती है किन्तु यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी भी दशा में लेवलर का मूल्य निर्धारित इकाई लागत के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। सेण्ट्रल फर्म मशीनरी टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट अथवा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त मेक को ही वरीयता दी जायेगी। योजना की इकाई लागत समय–समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः इकाई लागत परिवर्तनशील है।

मार्जिन मनी–

लाभार्थी को मार्जिन मनी के रूप में कुल इकाई लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत धनराशि स्वयं वहन करना होगा।

योजना की आर्थिकी–

कृषक के लेजर लैण्ड लेवलर का मुख्यतः आय, उसे किराये पर देकर चलाने से होगी। अतः यदि कृषक द्वारा प्रतिवर्ष 1000 घण्टे लेजर लैण्ड लेवलर का वार्षिक संचालन किराये हेतु किया जाता है तो उसकी आय एवं व्यय निम्नवत् होंगे–

1000 घण्टे के वार्षिक संचालन पर वार्षिक व्यय–

1. डीजल का खर्च 2,25,000.00
   (मूल्य 50/–प्रतिलीटर, खपत 4.5 प्रति लीटर प्रति घण्टा)
2. मोबिल ऑयल का खर्च 12,000.00

3.	सर्विसिंग पर व्यय	23,000.00
4.	ड्राइवर पर व्यय (60/–प्रति घण्टा)	6,000.00
5.	बीमा एवं अन्य व्यय	20,000.00
	कुल व्यय –	3,37,000.00

(यह ऑगणन परिवर्तनीय हैं)

1000 घण्टे के वार्षिक संचालन से वार्षिक आय–

लेजर लैण्ड लेवलर को एक घण्टा किराये पर देने पर कृषक को रू0 625/– मिलते हैं, अतः वर्ष में उसे 6.25 लाख की आमदनी होगी। अतः कुल व्यय निकालने के बाद 2.88 लाख रूपये आमदनी हो सकती है।

ऋण–वितरण प्रकियॉ –

उपरोक्त योजनान्र्तगत बैंक नियमानुसार ऋण–वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

लेजर लैण्ड लेवलर के उपयोग के लाभ–

लेजर लैण्ड लेवलर के उपयोग करने पर जैसा कि उपरोक्तानुसार अवगत कराया गया है कि ऊॅची–नीची भूमि को समतल करके अपनी उपज में वृद्धि करेंगे साथ ही जीविकोपार्जन के नये स्रोत भी सृजित होंगे और अधिक उपज होने पर कृषक आर्थिक रूप से सम्पन्न हों सकेंगे। इसके अतिरिक्त्त अन्य लाभ भी निम्नवत् हैं–

भूमि समतल होने पर सिंचाई हेतु उपयोग किये जाने वाले पानी में बचत होगी।

1. खर–पतवार की उपज कम होगी।
2. कृषि योग्य भूमि के एरिया में वृद्धि होगी जिससे उपज में वृद्धि होगी।
3. कृषि योग्य भूमि तैयार करने में समय की बचत होगी
4. .उपजाऊ भूमि निर्माण मं सहायक होगा।
5. श्रमिक व्यय की बचत होगी ।
6. सिंचाई में ईधन/ बिजली की बचत होगी।

बीमा–

लेजर लैण्ड लेवलर क्रय करते समय प्रत्येक दशा में इसका कम्प्रीहेंसिव बीमा करवाया जायेगा तथा लेजर लैण्ड लेवलर को बैंक के पक्ष में बन्धक होने का उल्लेख भी किया जायेगा। बीमा पॉलिसी की फोटो प्रति लाभार्थी की ऋण पत्रावली में संलग्न की जायेगी।

ऋण वसूली–

उपरोक्त योजनान्र्तगत कोई भी ग्रेस परीरियड नहीं होगा एवं ऋण वापसी की अवधि 5 वर्ष होगी तथा ऋण वसूली छमाही किश्त में देय होगी।

व्याज दर –

बैंक द्वारा समय–समय पर लागू की गई व्याज दरों के अनुसार लाभार्थी से व्याज लिया जायेगा।

प्रतिभूति–

ऋण–वितरण की प्रतिभूति के रूप में ऋण राशि के दो गुने मूल्य की कृषि योग्य भूमि बैंक के पक्ष में रखी जायेगी और इसके साथ–साथ प्रोजेक्ट का बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेशन भी कराया जायेगा। भूमि के मूल्यॉकन की गणना स्थानीय मूल्य अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर, जो भी कम हो, किया जायेगा। बैंक द्वारा केवल नये लेजर लैण्ड लेवलर हेतु भी ऋण दिया जायेगा।

लेजर लैण्ड लेवलर योजना के अर्न्तगत वितरित ऋण मुख्यालय द्वारा कृषि यन्त्रीकरण योजनान्तर्गत प्रेषित किया जायेगा।

****

विषय–कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत रोटावेटर हेतु ऋण–वितरण के सम्बन्ध में।

प्रदेश के कृषकों की खेती की जुताई व बुआई में गुणात्मक वृद्धि एवं कम से समय में तथा कम लागत में कार्यों को सम्पादित करने के लिए जिन कृषकों के पास कम से कम 45 हा0पा0 का ट्रैक्टर है उसे रोटावेटर हेतु ऋण वितरण किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि लाभार्थी के पास उपलब्ध ट्रैक्टर का पूर्ण ब्योरा मय कागजातों की फोटो प्रति के साथ लाभार्थी की पत्रावली में संलग्न किया जायेगा।

रोटावेटर एक कृषि यंत्र है। इससे न केवल खेत की जुताई बल्कि बोवाई भी की जा सकेगी। माह अक्टूबर–नवम्बर में गन्ना कटाई के तुरन्त बाद रबी के सीजन में गेहूँ की बुवाई हेतु सामान्यतः परम्परागत कृषि पद्यति में हल–बैल, हैरो, कल्टीवेटर से खेत तैयार करने में 3–4 सप्ताह का समय लगता है जबकि यह सभी प्रक्रिया रोटावेटर मात्र एक बार में ही पूर्ण हो जायेगी। इसके द्वारा खेत की जुताई करने पर मिट्टी में मानी रोकने की क्षमता वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप एक फसल में एक सिंचाई की बचत होगी साथ ही खाद इत्यादि उर्वरक भी अपेक्षाकृत कम मात्रा में लगेंगे।

योजना की इकाई लागतः–

रोटावेटर की इकाई लागत कोटेशन के आधार पर निर्धारित की जायेगी एवं लाभार्थी को मार्जिन मनी के रूप में कुल इकाई लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा। रोटावेटर का मेक सेन्ट्रल फर्म मशीनरी ट्रैस्टिंग इन्स्टीट्यूट अथवा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।

योजना की आर्थिकीः–

रोटावेटर इस्तेमाल के पूर्व यदि एक एकड़ खेत में गेहूँ बोने के लिए तैयार किया जाता है तो तीन जुताई करने में 6–8 घण्टे लगेगें।

रोटा वेटर इस्तेमाल के बाद के लाभः–

मात्र दो बाद खेत की जुताई में ही गेहूँ बोने हेतु खेत तैयार हो जाता है।

अन्य लाभः–

1. रोटावेटर से एक एकड़ खेत की प्रथम जुताई तथा दूसरी जुताई करनी होती है जिसमें जो व्यय होता है,वह हैरो द्वारा जुताई में व्यय की तुलना में कम होगा।
2. हैरो द्वारा एकड़ खेत को तैयार करने में बुवाई तक 3 सप्ताह का समय लगता है जबकि उक्त कार्य रोटावेटर द्वारा मात्र 4 घण्टे में पूर्ण किया जा सकता है।
3. रोटा वेटर के उपयोग से कृषि भूमि में 2 फसल लेने बजाय 3 फसलें ली जा सकती है।

4. रोटावेटर द्वारा खेत की जुताई के अतिरिक्त गेहूँ, आलू, सरसों एवं चना आदि की बुवाई की जा सकती है।
5. रोटावेटर का ऋणी कृषक अपने खेतों की समय से बुआई करने के पश्चात किराये के रूप में भी उपयोग कर अपनी आय की वृद्धि कर सकता हैं।

6. <u>रोटावेटर के उपयोग करने पर मृदा की जैविक महत्ता–</u>

(अ) यह मिट्टी की समुचित खुदाई एक बार में ट्रैक्टर द्वारा उपयोग किये जाने वाले मिट्टी पलट हल की अपेक्षा 10 गुना बेहतर तरीके से करता है।

(ब) रोटावेटर की जुताई से मिट्टी में जल रोकने की क्षमता में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप फसल में एक सिंचाई की आवश्यकता कम होगी। इस प्रकार उक्त कार्य से बचत हो सकेगी।

(स) रोटावेटर के उपयोग से बिना अतिरिक्त लागत के गेहूँ की उपज में प्रति एकड़ 5–6 कुन्तल वृद्धि हो सकेगी, जिससे अतिरिक्त आय में वृद्धि होगी।

(द) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उर्वरक खाद दर प्रति एकड़ अधिक है जिसे रोटावेटर के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाये बिना ही उर्वरक खाद में कमी होगी।

इस प्रकार रोटा वेटर के उपयोग से प्रति एकड़ शुद्ध लाभ वृद्धि की सम्भावना हैः–

<u>शुद्ध लाभ प्रति एकड़</u>

रोटा वेटर की इकाई लागतः– समय–समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः इकाई लागत परिवर्तनीय है।

मार्जिन मनी (15 प्रतिशत)

बैंक ऋण

ब्याज–समय–समय पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों के अनुसार।

<u>रोटावेटर से प्रति एकड़ वार्षिक लाभ</u>–

वर्ष में 4 एकड़ पर वार्षिक लाभ–

छःमाही किश्त

इस प्रकार 4 एकड़ के कृषक को वार्षिक लाभ होने की सम्भावना होगी।

<u>ऋण वितरण प्रकियाः–</u>

रोटावेटर हेतु ऋण ऋण प्रार्थना पत्र तैयार करने तथा उसकी तकनीकी/आर्थिकी अप्रेजल(संलग्न) बनाने, सदुपयोगिता/कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं सत्यापन कार्य करने हेतु बैंक के फील्ड आफिसर/शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक को ही अधिकृत किया जाता है। ऋण वितरण के समय लाभार्थी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि रोटावेटर की ऋण राशि उसके द्वारा इंगित विक्रेता को एकाउण्टपेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाये। यदि बैंक

द्वारा डीलर के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवाया जायेगा तो ड्राफ्ट पर पड़ने वाला कमीशन लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। शाखा प्रबन्धक अपने सम्मुख रोटावेटर की डिलवरी कृषक को कराने के बाद चेक/ड्राफ्ट विक्रेता को हस्तगत करेंगे।

बीमाः–

रोटावेटर क्रय करते समय इसका कम्प्रीहेंसिव बीमा करवाया जायेगा तथा रोटावेटर को बैंक के पक्ष में बंधक होने का उल्लेख भी किया जायेगा। बीमा पालिसी की फोटो प्रति लाभार्थी की ऋण पत्रावली में संलग्न की जायेगी।

ऋण वसूलीः–

उपरोक्त योजनान्तर्गत कोई भी ग्रेस पीरिएड नहीं होगा एवं ऋण वापसी की अवधि 05 वर्ष होगी तथा ऋण की वसूली छःमाही किश्त में देय होगी।

ब्याज दरः–

बैंक द्वारा समय–समय पर ब्याज दरों के अनुसार।

प्रतिभूतिः–

ऋण वितरण की प्रतिभूति के रूप में ऋण राशि के दो गुने मूल्य की कृषियोग्य भूमि बैंक के पक्ष में बंधक रखी जायेगी और इसके साथ–साथ प्रोजेक्ट का बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेशन भी कराया जायेगा। भूमि के मूल्यांकन की गणना जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा। लाभार्थी के पास स्वयं की 4 एकड़ कृषित भूमि होना अनिवार्य है ताकि रोटावेटर का स्वयं की भूमि पर उपयोग होने की दशा में ऋण वापसी सुनिश्चित की जा सके। बैंक द्वारा केवल नये रोटावेटर हेतु ही ऋण दिया जायेगा।

रोटावेटर योजना के अंतर्गत वितरित ऋण मुख्यालय द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत प्रेषित किया जायेगा।

****

कृषि यन्त्र सर्विस सेण्टर की योजना का अप्रेजल परिकल्पनायें –

कृषि यंत्रों के पूल की आर्थिकी निम्नलिखित परिक्लपनाओं पर आधारित हैः–

(1). लागत पर व्याज निर्धारण दर पर प्रति — बैंक द्वारा निर्धारित
(2). रख–रखाव व मरम्मत पर व्यय कुल मूल्य का — 10 प्रतिशत
(3). बीमा पर व्यय कुल मूल्य का — 1 प्रतिशत व 3 प्रतिशत
(4). यन्त्रों की औसत आयु — 10 वर्ष
(5). लाभार्थी का स्वयं का पारिश्रमिक — (परिवर्तनीय)
(6). कृषि यन्त्रों की आर्थिक उपादेयता हेतु अवधि –

हस्तचालित यन्त्र– 40 दिन
ट्रैक्टर–चालितयन्त्र–100 दिन

आर्थिक मूल्यॉकन

क0सं0	पशु/हस्तचालित यन्त्र	मूल्य–	ट्रैक्टर चालित	औसत मूल्य
1	मिट्टी पलट यन्त्र		मिट्टी पलट यन्त्र	
2	डिस्क हैरो (6 टाइन)		डिस्क हैरो	
3	कल्टीवेटर (5 टाइन)		कल्टीवेटर	
4	हैरो पटेला		हैरो	
5	सीड व फर्टीलाइजर		सीड ड्रिल	
6	विनोवर (औसाई यन्त्र)		रिंजर	
7	धान थ्रेसर		प्लास्टर	
8	हैण्ड हो		लेवलर	
9	दॉतेदार हंसिया		धान थ्रेसर	
10	हस्त चालित मक्का छीने का यन्त्र		धान रोपड़ यन्त्र	
11	स्प्रेयर			
12	डस्टर			
13	धान रोपड़ यन्त्र			
14	चारा काटने का यन्त्र			
15	मशीन चालित चारा			
16	मशीन चालित चारा काटने का यन्त्र			

(अनुमानित यू0 पी0 एग्रो से प्राप्त सूचना के आधार पर)

योजना का आर्थिक विश्लेषण –

(क). कृषि यन्त्रों की स्थायी लागत–

प–स/ल

प–यंत्रों का मूल्य
स–समाप्ति मूल्य
ल–अवधि

(अ). ह्रास– वर्ष

(ख). व्याज

(ग). मरम्मत व रख–रखाव

(घ). बीमा

एक दिन का स्थायी लागत

अस्थायी व्यय –

पारिश्रमिक (परिवर्तनीय है)

(क). वार्षिक पारिश्रमिक

(ख). एक दिन का पारिश्रमिक

(ग). कुल व्यय अस्थायी पूँजी स्थायी पूँजी

एक दिन का किराया प्रति यंत्र रू0 दिन

पम्पिंग सेट–

क– पम्पिंग सेट का मूल्य

ख– स्थायी व्यय

क. ह्रास–

ख. व्याज–

ग. मरम्मत व रख–रखाव

घ. बीमा प्रतिशत

अस्थायी व्यय–

1– श्रमिक पर व्यय **(परिवर्तनीय है)**

2– श्रमिक प्रति घण्टा

3– प्रति घण्टा डीजल

4– प्रति घण्टा अस्थायी लागत–

5– कुल लागत प्रति घण्टा

लाभार्थी द्वारा वॉछित लाभ–10 प्रतिशत

किराये पर चलाने का मूल्य– रूपये/घण्टा

लाभार्थी द्वारा वॉछित लाभ– 10 प्रतिशत

किराये पर चलाने का मूल्य–

ट्रैक्टर से चलने वाले यन्त्रों की आर्थिकी–

स्थायी लागत–
क. ह्रास–
ख. मरम्मत व रख–रखाव
ग. बीमा
योग–
एक दिन की स्थायी लागत /अस्थायी लागत–
क. पारिश्रमिक
ख. वर्ष भर का पारिश्रमिक
ग. एक दिन का पारिश्रमिक
कुल व्यय–
लाभार्थी यदि 10 प्रतिशत लाभ चाहता है कि या
कुल व्यय–
क. कृषि यन्त्रों पर
ख. पर्मपिंग सेट पर
योग–
कुल आय (क). कृषि यन्त्रों से
(ख). पम्पिंग सेट पर
योग–
शुद्व लाभ– प्रति वर्ष
हस्तचालित यन्त्रों से आय–
कुल आय–
1– कृषि यन्त्रों पर
2– पम्पिंग सेट पर
कुल व्यय–
1– कृषि यन्त्रों पर
2– पम्पिंग सेट पर
शुद्व लाभ–
कुल वित्तीय परिव्यय
हस्तचालित कृषि यन्त्र
पम्पिंग सेट
डाउन पेमेण्ट–10 प्रतिशत
बैंक ऋण
बैंक ऋण की किश्त या
प्रत्येक छः माह पर
ट्रैक्टर चलित यन्त्र
पम्पिंग सेट
डाउन पेमेण्ट 10 प्रतिशत
बैंक ऋण
बैंक ऋण की किश्त छः माह पर
समस्त मशीन कोटेशन के आधार पर क्रय की जायेगी।

****

कृषि यंत्रीकरण योजना

ट्रैक्टरः-

ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक ट्रैक्टर की कीमत का 85 प्रतिशत तक ऋण देता है। ऋण 9 वर्षों में लौटाना होता है। ट्रैक्टर के साथ तीन सहयंत्र हेतु भी ऋण दिया जाता है।

ट्रैक्टर ट्रालीः-

बैंक द्वारा ट्रैक्टर में प्रयुक्त होने वाली ट्राली का भी ऋण दिया जाता है।

थ्रेसर सेटः-

इस स्कीम में थ्रेसर सेट हेतु ऋण दिये जाते हैं। ऋण 5 वर्षों में लौटाना होता है।

कम्बाईन हार्वेस्टरः-

इस स्कीम में कम्बाईन हार्वेस्टर मशीन खरीदने हेतु बैंक कुल कीमत का 85 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है। ऋण वापसी 9 वर्षों में होती है।

ट्रैक्टर योजनान्तर्गत लाभार्थी की ऋण भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण स्वीकृति करने के सम्बन्ध में:-

1. रोटा वेटर
2. लेसर लैण्ड लेवलर
3. ट्रैक्टर/पावर टीलर का अप्रेजल बैंक के फील्ड आफिसर एवं शाखा प्रबन्धक द्वारा स्थानीय जॉच के आधार पर किया जायेगा।
4. ट्रैक्टर/पावर टीलर के साथ 3 सहयंत्रों हेतु भी ऋण दिया जाता है। अतएव संलग्न अप्रेजल फार्म के स्तम्भ -4 पर ट्रैक्टर/पावर टीलर तथा उसके 3 सहयंत्रों का विवरण एवं मूल्य दर्शाते हुए स्तम्भ-5 में कुल प्रोजेक्ट लागत का अंकन किया जायेगा। ट्रैक्टर/पावर ट्रीलर तीन सहयंत्रों के प्रोजेक्ट लागत का 15 प्रतिशत डाउन पेमेंट निकाल कर स्तर नं0-7 में बैंक ऋण अंकित किया जायेगा।
5. वर्ष में ट्रैक्टर का अनुमानित प्रयोग न्यूनतम 1000 घंटे किया जाना आवश्यक है, जिसमें से लाभार्थी द्वारा स्वयं अपने फार्म पर कार्य किया जाता है तथा अवशेष घंटों में ट्रैक्टर को कस्टम सर्विस पर चलाकर धन अर्जित किया जाता है। अतएव कृषक से पूछ कर अप्रेजल कर्ता को स्तम्भ 8 के कालम ''क'' एवं ''ख'' में क्रमशः फार्म पर तथा कस्टम सर्विस में प्रयुक्त ट्रैक्टर के घंटों का अंकन किया जायेगा।
6. स्तम्भ 9 में लाभार्थी के मालिकाना अधिकार की कुल भूमि का विवरण अंकित किया जायगा तथा स्तम्भ-10 में ट्रैक्टर द्वारा लाभार्थी को लाभान्वित भूमि (जोती जाने वाली भूमि का रकबा) का क्षेत्रफल अंकित किया जायेगा।

7. प्रस्तावित योजना (अर्थात ट्रैक्टर /पावर टीलर सहयंत्रों के क्रय में पूर्व) से पूर्व फसलों का आय, व्यय एवं शुद्ध आय स्तम्भ-11 में पूर्व से उपलब्ध कराये गये फसलों के आय व्यय के नार्म्स के आधार पर निकाला जायेगा।
8. प्रस्तावित योजना के पश्चात (ट्रैक्टर /पावर टीलर, सहयंत्रों के क्रय के पश्चात) फसलों का आय, व्यय एवं शुद्ध आय पूर्व में उपलब्ध कराये गये फसलों के आय-व्यय के नार्म्स के आधार पर निकाल कर स्तम्भ 13 में अंकित किया जायेगा तथा स्तम्भ 14 में प्रस्तावित योजना के पश्चात वार्षिक शुद्ध आय की जा सके।
9. सतम्भ 15 में ट्रैक्टर को कस्टम सर्विस पर चलाने पर प्राप्त कुल आय अंकित किया जायेगा, तथा स्तम्भ 16 में कस्टम सर्विस पर होने वाले व्यय का अंकन किया जायेगा। स्तम्भ 17 में कस्टम सर्विस से प्राप्त शुद्ध आय निकाली जायेगी। इस प्रकार उपरोक्त प्रक्रिया से कस्टम सर्विस से प्राप्त शुद्ध आय तथा प्रस्तावित योजना के पश्चात खेती से प्राप्त वार्षिक शुद्ध आय को जोड़ कर लाभार्थी की योजना के पश्चात कुल वार्षिक शुद्ध आय स्तम्भ 18 में निकाली जायेगी।
10. स्तम्भ 18 में अंकित वार्षिक शुद्ध आय में से प्रस्तावित योजना से पूर्व खेती से प्राप्त शुद्ध आय (स्तम्भ 14) को हटाकर लाभार्थी की वार्षिक वृद्धोन्मुख आय स्तम्भ 19 में निकाली जायेगी।
11. वार्षिक वृद्धोन्मुख आय का 50 प्रतिशत लाभार्थी की वार्षिक ऋण भुगतान क्षमता होगी। जिसके आधार पर कृषक की अ़र्द्धवार्षिक ऋण भुगतान क्षमता ज्ञात किया जायेगा।

10.यदि कृषक/लाभार्थी की अर्द्धवार्षिक किश्त ऋण भुगतान क्षमता से कम आती है, तो ऋण स्वीकृत किया जायेगा। यदि अर्द्धवार्षिक किश्त से अर्द्धवार्षिक ऋण भुगतान कम आती है, तो वार्षिक ऋण भुगतान क्षमता के अनुरूप ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय-लखनऊ।

"ट्रैक्टर ऋण हेतु अप्रेजल रिपोर्ट"

1. लाभार्थी का नाम- .....
2. पता- .....
   ब्लाक..... जनपद.....
3. प्रार्थी द्वारा मांगा गया ऋण(शब्दों में).....
4. ट्रैक्टर/पावर टीलर एवं तीन सहयंत्रों का विवरण तथा लागत-
   (क) ट्रैक्टर/पावर टीलर का विवरण
   1. ट्रैक्टर/पावर टीलर का मेक एवं माडल .....
   2. अश्वशक्ति .....
   (ख) प्रोजेक्ट लागत का विवरण-
   1. ट्रैक्टर/पावर टीलर का मूल्य रू0 .....
   2. ट्रैक्टर/पावर टीलर के तीन सहयंत्रों की लागत का विवरणः-
   (अ) ट्रैक्टर ट्राली का मूल्य रू0 .....
   .
   (ब) डिस्क हैरो (डिस्क) रू0 .....
   (स) कल्टीवेटर(टाइन) रू0 .....
   .
   (द) पटेला/फर्टीलाइजर(कमसीड ड्रिल) रू0 .....
   .
5. कुल प्रोजेक्ट लागत रू0.....
6. डाउन पेमेंट(प्रोजेक्ट लागत का 15 प्रति0) रू0.....
7. बैंक ऋण(प्रोजेक्ट - डाउन पेमेंट) रू0.....
   वर्ष में ट्रैक्टर का अनुमानित प्रयोग न्यूनतम(1000 घटे)
   (क) फार्म पर .....घंटे
   (ख) कस्टम पर .....घंटे
   (ग) ट्रैक्टर का कुल प्रयोग .....घंटे
8. लाभार्थी के मालिकाना अधिकार में कुल भूमि का विवरणः-(एकड़ में)

कुल भूमि क्षेत्रफल (एकड़ में)	कृषित भूमि (एकड़ में)			बागान की भूमि (एकड़ में)	अन्य भूमि (कृषि योग्य भूमि)(एकड़ में)	भूमि/मिट्टी की किस्म	सिंचाई का विद्यमान साधन
	सिंचित	असिंचित	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8

9. लाभार्थी की प्रस्तावित योजनान्तर्गत लाभान्वित (जोती जाने वाली) भूमि (एकड़ में)
   (अ) सिंचित भूमि .....
   (ब) असिंचित भूमि .....
   (स) सिंचाई का साधन .....

10. लाभार्थी की प्रस्तावित योजना से पूर्व फसलों का आय-व्यय एवं शुद्ध आय का विवरण-

(रूपयों में)

क्र0 सं0	फसल का नाम	क्षेत्र फल	आय(रूपये में)		व्यय(रूपये में)		शुद्ध आय
			नार्म्स प्रति (एकड़)	कुल आय	नार्म्स प्रति (एकड़)	कुल आय	(5 - 7)
1	देशी धान						
2	देशी मक्का						
3	देशी ज्वार						
4	देशी चरी						
5	मूँगफली						
6	अरहर						
7	ज्वार						
8	बजरा						
9	गेहूँ						
10	चना						
11	मटर						
12	आलू/सब्जी						
13	बरसीम						
14	गन्ना						
15	अन्य						
	योग						

11. लाभार्थी की प्रस्तावित योजना से पूर्व प्राप्त वार्षिक शुद्ध आय.....

(स्तम्भ-11 के कालम 8 के अनुसार)

12. लाभार्थी की प्रस्तावित योजना के पश्चात का आय-व्यय एवं शुद्ध आय का विवरण-

क्र0सं 0	फसल का नाम	क्षेत्र फल	आय(रूपये में) प्रति एकड़		व्यय(रूपये में) प्रति एकड़		शुद्ध आय
				कुल आय		कुल आय	(5 - 7)

कुल बोया गया क्षेत्रफल

योग- फसल की गहनता प्रतिशत में = (कुल क्षेत्रफल/शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल) X 100

13. लाभार्थी की प्रस्तावित योजना के पश्चात वार्षिक शुद्ध आय..... रू0 में
(स्तम्भ-13 के कालम के अनुसार)

14. लाभार्थी को कस्टम 9 सर्विस से प्राप्त आय-
(क) कस्टम सर्विस के घंटे .....

(ख) दर प्रति घंटा .....

(ग) कस्टम सर्विस से कुल आय(क ग ख.....रू0

15. कस्टम सर्विस पर होने वाला व्यय-

(क) आपरेशनल व्यय प्रति घंटा .....रू0

(ख) कस्टम सर्विस पर कुल व्यय(16क ग 15क)रू0.....

1. लाभार्थी को कस्टम सर्विस से प्राप्त शुद्ध आय (14-15)रू0.....
2. लाभार्थी को योजना के पश्चात प्राप्त होने वाली वार्षिक कुल शुद्ध आय.....
   आय(कृषि से तथा कस्टम सर्विस से)(14 17)रू0.....
1. लाभार्थी की वार्षिक वृद्धोन्मुख आय(18-12) रू.....
2. लाभार्थी की वार्षिक ऋण भुगतान क्षमता(वृद्धोन्मुख आय का 50 प्रतिशत)रू0.....
   (क) अर्ध वार्षिक ऋण भुगतान क्षमता रू0.....
1. ऋण की छमाही किशत.....रू0

पावर ट्रीलर

तकनीकि /विशेषतायेंः-

(क) पावर टीलर द्वारा एक दिन (8 घंटे) में जुताई की क्षमता	3-5 (एकड़)
(ख) पावर टीलर द्वारा एक दिन (8 घंटे) में	80-85 मि00मी0
(ग) एक दिन मे ंपलेवा करने की क्षमता	3-4 एकड़
(घ) भार ढोने की क्षमता	1 टन
(च) एक दिन में कटाई की क्षमता	8-6 एकड़
(छ) एक घंटे में लगने वाला (डीजल+मोबिल)	0.75 ली0

आंगणन-

(क) पूँजीगत व्ययः- (उदाहरण है) (परिवर्तयनीय)

1. वाटर कूल्ड कण्डेसर टाईप डीजल इंजन/रोटरी सिस्टम इन विद जनरेटर (सीट के साथ)		97450.00
2. केज व्हील		2950.00
3. टेल स्किड़		500.00
4. व्हील चेन्जर		200.00
5. टिलिंग ब्लेड(1 सेट)		400.00
6. हिच ब्राकेट		550.00
7. 5 टाइन क्ल्टीवेटर		3450.00
8. मिट्टी पलट कण्टीवेटर	4035.00	
9. रिजा		5000.00
10. ट्राली		25000.00
		135635.00
कुल लागत		140000.00
मार्जिन मनी दर 15 प्रतिशत =	21000.00	
ऋण राशि =		119000.00

8 घंटे या एक दिन के आधार पर

(ख) व्यय- **(परिवर्तनीय है)**

1.	डीजल+ मोबिल की खपत दर 0.75 ली0/घंटा	6 लीटर
2.	6 लीटर डीजल का मूल्य 16/- लीटर	96.00
3.	सहायक/ड्राइवर	40.00
4.	रख-रखाव पर व्यय(अधिकतम सीमा में)	40.00
	योग	**176.00**
	कुल आवर्ती व्यय=	**176.00 प्रति दिन**

आर्थिकी-

परिकल्पना की जाती है कि कुछ लाभार्थी पाटर टीलर का उपयोग बागानों में अंतः सघन हेतु अथवा सब्जी/फल आदि के उत्पादन में अथवा एक फसली या द्विफसली के रूप में करेगा। गन्ना उत्पादक कृषक की जोत बड़ी होती है। अतः गन्ना उत्पादक लघु कृषकों की तुलना में ट्रैक्टर को वरीयता देते हैं। इस प्रकार एक फसली फसल चक्र में 180 दिन तथा द्विफसली में 300 दिनों हेतु पावर ट्रिलर का उपयोग किया जाता है।

	एक फसली (180 दिन)	द्विफसली (300 दिन)
(क) कुल व्ययः-		**(परिवर्तनीय है)**
1.	180 = 276.00 = 31680.00	52800.00
	प्रचलित ब्याज दर प्रयोग करें।	
2.	ऋण पर ब्याज दर 14.50 प्रतिशत (ऋण की 1/2 राशि पर) अर्द्धवार्षिक	4314 8920.00
3.	ह्रास दर 5प्रति0 180 दिनों हेतु	
	व दर 10प्रति0 300 दिनों हेतु 3500/39494.00	7000.00
	या 39500	68427.00
	या	68500.00

ट्रिलर से प्राप्त आयः-

उत्तर प्रदेश में पावर ट्रिलर का किराये पर चलाये जाने का प्रचलन नहीं है किन्तु योजेना की आर्थिकी में किराये पर चलाये जाने की परिकल्पना की गयी है। किराये पर चलाये जाने पर ट्रैक्टर हेतु प्रचलित मूल्य का 50 प्रतिशत ट्रिलर हेतु आंका गया है। वर्तमान में ट्रैक्टर का प्रचलित औसत किराया 150.00 रू0प्रति घंटा है। अतः ट्रिलर का किराया मु0 75/- रू0 प्रति घंटा निर्धारित कर आर्थिकी की गणना की गई है।

आय रू0 75.00 प्रति घंटा की दर से एक फली द्वि/बहु फसली (परिवर्तनीय है)

(क) जुताई+ पटेला 80 दिन हेतु (क) जुताई+ पटेला 100 दिन हेतु दर 75/घंटा

	(80 X 8 X 75) = 48000.00	(180 X 8 X 120) = 172800.00
	144000.00	244800.00
व्यय- (-)	3950.00	(-) 68500.00
शुद्ध आय	104500.00	(-) 176300.00
वार्षिक किश्त (-)	31000.00	(-) 31000.00

वार्षिक लाभ	73500.00	145300.00
मासिक लाभ	6125.00	12408.00
लाभ/प्रतिदिन	408.33	484.33

(1) यदि 8 घंटे प्रति दिन के आधार पर एक फसली क्षेत्र में 180 दिन तथा द्वि/बहुफसली क्षेत्र मे यदि 300 दिन प्रति वर्ष की दर से उपभोग किया जाता है तो लाभार्थी द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान आसानी से किया जा सकता है।

(2) भूमि की सीमा, ऋण की सुरक्षा तथा ऋण प्राप्त करने की क्षमता हेतु निर्धारित की जाती है। अतः ऋण के दुगुने मूल्य की भूमि बंधक रख कर ऋण दिया जा सकता है।

(3) लाभार्थी की ऋण भुगतान क्षमता सकल आय पर निर्भर करती है। अतः लाभार्थी किराये पर चलाकर, ढुलाई तथा अन्य कार्यों से आय सृजित कर ऋण का भुगतान कर सकता है।

कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत कम्बाइन हार्वेस्टर हेतु ऋण वितरण

कम्बाइन हार्वेस्टर हेतु ऋण प्रार्थना पत्र तैयार करने तथा उसकी तकनीकी/आर्थिक अप्रेजल बनाने हेतु एक सदुपयोगिता/कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं सत्यापन का कार्य करने हेतु बैंक के फील्ड आफिसर/शाखा प्रबन्धक को ही अधिकृत किया गया हे।

(2) कम्बाईन हार्वेस्टर हेतु ऋण पत्रावली तैयार करते समय क्षेत्र की क्रापिंग पैटर्न एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख कर ही पत्रावली बनायी जाये, जिसमें यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिन क्षेत्रों में गेहूँ धान का फसल चक्र हो, उनमें कम से कम 500 हेक्टर गेहूँ 300 हेक्टर धान की फसल तथा धान के फसलचक्र में धान के प्रत्येक फसल (हार्वेस्टीज) में कम से कम 300 हेक्टर धान हेतु कस्टम सर्विस उपलब्ध हो।

(3) कम्बाईन हार्वेस्टर कर ऋण रू0 5.00 लाख से अधिक का होता है। अतः कृषक की ऋण पत्रावली 2 प्रतियों में बनायी जायेगी, जिसकी मूल प्रति स्वीकृति हेतु प्रधान कार्यालय को भेजी जायेगी। द्वितीय प्रति शाखा स्तर पर रखी जायेगी, जिस पर ऋण स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ऋण वितरण आदि सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

(4) कम्बाईन हार्वेस्टर हेतु उन्हीं मामलें में ऋण स्वीकृत किया जायेगा, जो कम्बाईन हार्वेस्टर (सी0एफ0एम0टी0आई0आई0) बुधनी, मध्य प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा बी0आई0एस0कोड-आई0एस0-9164, 1979 के अंतर्गत प्रमाण्ति हो।

(5) ऋण की प्रतिभूति के रूप में ऋण राशि के दोगुने मूल्य की कृषि (भूमि भार रहित) (कम से 10 एकड़) बैंक के पक्ष में बंधक रखी जायेगी और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट को बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेशन भी कराया जायेगा। भूमि के मूल्यांकन की गणना जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा। बैंक द्वारा केवल नये कम्बाईन हार्वेस्टरों एवं उनके साथ आवश्यक एसेसरीज के लिए ही ऋण दिया जायेगा।

(6) प्रधान कार्यालय के ऋण स्वीकृत पत्र प्राप्ति होने के उपरांत कृषक द्वारा जो धनराशि डाउन पेमेंट(न्यूनतम 25 प्रतिशत) के रूप में अपने निजी श्रोत से लगायी जानी है, उसे पहले कम्बाईन हार्वेस्टर के अधिकृत विक्रेता के पास कृषक द्वारा जमा की जायेगी और ऐसी जमा की रसीद की मूल प्रति शाखा में जमा की जायेगी।

(7) लाभार्थी से इस आशय का घोषणपत्र प्राप्त किया जायेगा कि कम्बाईन हार्वेस्टर की ऋण राशि उसके द्वारा इंगित विक्रेता को एकाउण्टपेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाये।

(8) यदि बैंक द्वारा डीलर के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवाया जायेगा तो ऐसे बैंक ड्राफ्ट पर पड़ने वाला ड्राफ्ट कमीशन लाभार्थी को वहन करना पड़ेगा।

(9) शाखा प्रबन्धक अपने सम्मुख कम्बाईन हार्वेस्टर की डिलीवरी कृषक को कराने के बाद चेक/ ड्राफ्ट विक्रेता को हस्तगत करेंगे।
(10) नाबार्ड द्वारा कम्बाईन हार्वेस्टर की ऋण अदायगी अधिकतम 5 वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसमें कोई भी ग्रेस पीरिएड नहीं होगा।
(11) कम्बाईन हार्वेस्टर क्रय करते समय इसका कम्प्रिहेन्सिव बीमा ऋण की पूरी अवधि तक का कराया जायेगा तथा कम्बाईन हार्वेस्टर की बैंक के पक्ष में बंधक होने का भी उल्लेख किया जायेगा। बीमा पालिसी की फोटो प्रति लाभार्थी की ऋण पत्रावली में संलग्न की जायेगी।
(12) कम्बाईन हार्वेस्टर का आर0टी0ओ0 कार्यालय से रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन पेपर में बैंक के नाम का भी उल्लेख किया जायेगा। बैंक ऋण से क्रय कम्बाईन हार्वेस्टर पर भी उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा----(------जनपद--------) के पक्ष में बंधक लिखवाया जायेगा।
(13) कम्बाईन हार्वेस्टर क्रय करने के 15 दिन के अंदर शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण सदुपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जायेगा जिसे मूल रूप में सम्बन्धित लाभार्थी की ऋण पत्रावली में संलग्न किया जायेगा।
(14) इस योजनान्तर्गत बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज लिया जायेगा।
(15) इस योजनान्तर्गत ऋण का लेखा-जोखा पृथक से रखा जायेगा।
(16) इस योजनान्तर्गत वितरित ऋण का पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत वितरित ऋण का पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु पूर्व से मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह सूचना प्रधान कार्यालय को एल0डी0बी0-28(क) पर प्रेषित की जायेगी।
(17) कम्बाईन हार्वेस्टर में ऋण वितरण के उपरांत शाखा प्रबन्धक इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऋण के किश्तों की अदायगी समय से हो रही है।
(18) कम्बाईन हार्वेस्टर का ऋण मुख्यालय द्वारा निर्धारित कृषि यंत्रीकरण के लक्ष्यों के अधीन ही किया जायेगा।

आर्थिकी

कम्बाईन हार्वेस्टर की आर्थिकी

कटरबार (मीटर)	4.2	(उदाहरण है)
मशीन का मूल्य	890000.000	
पंजीकरण/यातायात	10000.00	
कुल लागत	**90000.00**	

कम्बाईन हार्वेस्टर की वार्षिक आय एवं उपयोग

ऋतु	फसल	कुल उपयोग क्षमता क्षेत्रफल			किराये पर चलाने की	आय
		घंटा	हे0प्रतिघंटा	हे0(दर/हे0)		
ग्रीष्म	गेहूँ	540	0.92	496.8	896.50	445381.02
शीत	धान	360	0.70	252.0	103.4	260568.00

कृषि यंत्र सर्विस सेण्टर की योजना का अप्रेजल
(उदाहरण है)

परिकल्पनायें:-

कृषि यंत्रों के पूल की आर्थिक निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित है:-

1. लागत पर ब्याज निर्धारित दर प्रति 13 प्रतिशत
2. रख रखाव व मरम्मत पर व्यय कुल मूल्य का 10 प्रतिशत
3. बीमा पर व्यय कुल मूल्य का 1 प्रतिशत व 3 प्रतिशत
4. यंत्रों की औसत आयु 1000/-प्रतिमाह
5. कृषि यंत्रों की आर्थिक उपादेयता हेतु अवधि 10 वर्ष
6. लाभार्थी का स्वयं का पारिश्रमिक

   हस्त चालित यंत्र 40 दिन

   ट्रैक्टर चालित यंत्र 100 दिन

आर्थिक मूल्यांकन (उदाहरण है)

क्र0सं0	पशु/हस्त चालित यंत्र	मूल्य	ट्रैक्टर चालित	कुल औसत मूल्य
1	मिट्टी पलट यंत्र	500.00	मिट्टी पलट यंत्र	13750.00
2	डिस्क हैरो(6टाइन)	2000.00	डिस्क हैरो	9500.00
3	कल्टीवेटर(5टाइन)	1000.00	कल्टीवेटर	6350.00
4	हैरों पटेला	600.00	हैरों	10000.00
5	सीड व फर्ीड्रिल	2500.00	सीड ड्रिल	1880.00
6	विनोवर(औसाई यंत्र)	1300.00	रिजर	4555.00
7	धान थ्रेसर	2600.00	प्लांटर	26000.00
8	हैण्ड हो	50.00	लेबबलर	3710.00
9	दातेदार हंसिया	15.00	धान थ्रेंसर	2700.00
10.	हस्त चलित मक्का छीलने का यंत्र	25.00	धान रोपड़ यंत्र	11
11	स्पेयर	2000.00		
12	चारा काटने का यंत्र	800.00		
13	धान रोपड़ यंत्र	2000.00		
14	डस्टर	1200.00		
15	मशीन चालित चारा काटने का यंत्र	1000.00		
	योग-	**17590.00 या 17600.00**		**192455.00**

अनुमानित यू0पी0 एग्रो से प्राप्त सूचना के आधार पर समस्त मूल्य परिवर्तनीय हैं, अतः स्थानीय बाजार के मूल्य को भी संज्ञान में रखा जाना हितकर होगा।

योजना का आर्थिक विश्लेषण

(क) कृषि यंत्रों की स्थायी लागत

प + स + ल प- यंत्रों का मूल्य
स- समाप्ति मूल्य
ल-अवधि

(अ) ह्रास-17600-1760/10-1584 वर्ष

(ब) ब्याज- प + स /2 = ब्याज दर/100-- 17600 + 1760/2 X 3/100 = 11258.40

(स) मरम्मत व रखाव 17600 X 10/100 = 1760.00

(द) 17600 3/100(बीमा) = 528.00

5130.40 या 5130.00 प्रति वर्ष

एक दिन की स्थायी लागत-5130/40-128.26 या 128.00

अस्थायी व्यय

(क) पारिश्रमिक का 1000/- प्रतिमाह

(ख) वार्षिक पारिश्रमिक 1000 = 12-12000

(ग) एक दिन का पारिश्रमिक 12000/40 = 300

कुल व्यय-अस्थायी पूँजी + स्थायी पूँजी = 128 + 300 = 428

यदि लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत का लाभ लिया जाये तो एक दिन का मूल्य

428 + 428 = 110/100

= 470.80 या 471 दिन (समस्त यंत्रों से)

एक दिन का किराया प्रति यंत्र = 471/17600 = रू0 00.027/दिन

पम्पिंग सेट

क- पम्पिंग सेट का मूल्य - 15500.00

ख- स्थायी व्यय

1. ह्रास = 15500 - 1550/10 = 1395.00
2. ब्याज = 15500 + 1550/2X13/100 = 1108.25
3. मरम्मत व रख रखाव = 15500.10/100= 1550.00
4. बीमा 1 प्रतिशत = 1/100=1550 = 155.00

4208.25 या 4208

एक घण्टे की स्थायी लागत =4208/1000 =24.21

अस्थायी व्यय

1. श्रमिक प्रति दर 1000/- प्रतिमाह
2. श्रमिक प्रतिघंटा 1000 X 12/1000 = 12.00
   1. प्रति घंटा डीजल =1.50 X 20 =30.00
   2. प्रति घंटा अस्थायी लागत =30 + 12 =42.00
   3. कुल लागत प्रति घंटा =42 + 4.2 =46.21
   4. लाभार्थी द्वारा वांछित लाभ =10 प्रतिशत
   5. किराये पर चलाने का मूल्य 46 + 4.60
      50.80 या 51 रू0/घंटा

लाभार्थी द्वारा वांछित लाभ 10 प्रतिशत

किराये पर चलाने का मूल्य = 46.21 + 4.60
50.80 या 51 रू0/घंटा

ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्रों की आर्थिकी

स्थायी लागत

क. ह्रास = 192000 -19200/10 = 17280
ख. 192000 +19200/2X 13/100 = 12728
ग. मरम्मत व रख रखाव = 192000 X10/100 = 19200
घ. बीमा 3 प्रति0 = 19200 X3/100 = 19200
योग- 55968
एक दिन की स्थायी लागत = 560.00

अस्थायी लागत

क. पारिश्रमिक प्रति दर 1000
ख. वर्षभर का पारिश्रमिक 1000X 12
ग. एक दिन का पारिश्रमिक 12000/100 = 120
कुल व्यय 560 +120 = 680
लाभार्थी यदि 10 प्रतिशत लाभ चाहता है कि 680+68= 748 या 750.00

कुल व्यय

क. कृषि यंत्रों पर	55968
ख. पम्पिंग सेट पर	24208
योग	80176

कुल आय (क) कृषि यंत्रों से 94600.00

(ख) पम्पिंग से पर 51000.00

योग - 1145600.00

शुद्ध लाभ 145600 - 80176 = 65424.00 प्रतिवर्ष

हस्त चालित यंत्रों से लाभ

कुल आय

क. कृषि यंत्रों पर	18840.00
ख. पम्पिंग सेट पर	51000.00
योग	69840.00

कुल व्यय

क. कृषि यंत्रों पर	5130.00
ख. पम्पिंग सेट पर	24208.00
योग	29338.00
	40502.00

शुद्ध लाभ

कुल वित्तीय परिव्यय

हस्तचलित कृषि यंत्र = 17600 + 15500

+ पम्पिंग सेट 33100

डाउन पेमेंट प्रति दर 10 प्रतिशत = 3310

बैंक ऋण = 29790.00

या

प्रत्येक छः माह पर

ट्रैक्टर चलित यंत्र = 192445

पम्पिंग सेट = 15500

= 207945

डाउन पेमेंट प्रति दर 10 प्रतिशत = 20794.50

बैंक ऋण = 187150.50

बैंक ऋण की किश्त छः माह पर 26646.00

समस्त मशीन कोटेशन के आधार उपर क्रय की जायेगी।

****

पशु पालन योजना

बकरी पालन योजना

बकरी पालन की आवश्यकता

बकरी पालन कृषकों की लाभकारी व्यवसाय के साथ-साथ रोजगार परक योजना के रूप में एक अल्पकालिक महात्वाकांक्षी उद्यम है। किन्तु बकरियों द्वारा खड़ी फसल तथा पेड़ों को अत्यधिक नुकसान पहुँचाने के कारणवश कुछ प्रदेशों में इनके पालने पर रोक भी लगा दी गयी है। भारत बकरी पालन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। हमारे देश में कुल दूध उत्पादन का 3 प्रतिशत व मांग उत्पादन का 40 प्रतिशत बकरियों द्वारा प्राप्त होता है। परन्तु आम तरीके से बकरी पालन को बढ़ावा नहीं देकर ''स्टाल फेड़'' तरीके से बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाना उचित समझा जाता है। सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में बकरी प्रनन का सघन कार्यक्रम चला करके 1000 नर बकरे प्रतिवर्ष कृषकों को दिये जाने की महत्वाकाक्षी योजना चलायी गई। इस योजना के अन्य बिन्दु निम्नवत् हैः-

1. दुग्ध व मांग उत्पादन हेतु कुछ जाति जैसे जमुनापारी, बीटल, बारबरी, सिरोही, ब्लेक, बंगाल, जखराना व भलावड़ी का चयन करके इनकी किस्मों में कर दुग्ध व मांग उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना।
2. अंगूरा व बाल वृद्धि पसमीना रहित बकरियों के संकरण से मोहेर का उत्पादन।
3. कुछ अच्छे नस्ल के बकरियों की जातियों का संरक्षण

उपरोक्त योजना को बकरियों के उत्पादक क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाने हेतु संरक्षित व पोषित किये जाने का विशेष बल है ताकि कृषकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

योजनान्तर्गत ऋण वितरण की शर्तेंः-

इकाई लागतः- नाबार्ड द्वारा तकनीकी व वित्तीय परिव्यय को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रजातियों हेतु इकाई लागत की घोषणा की जाती है। यह इकाई लागत क्षेत्र राज्य व बकरियों की नस्ल के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है।

मार्जिन मनी :-

1. लघु कृषक 5 प्रतिशत, सीमांत 10 प्रतिशत व अन्य 15 प्रतिशत।
2. अनुदान प्राप्त योजनान्तर्गत अनुदान की राशि

ब्याज दरः-

योजनान्तर्गत बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर जो समय समय पर अवगत कराई जाती है लागू होगी।

ऋण वापसी की अवधिः-

ऋण की वापसी सकल वार्षिक आय पर निर्भर करती है जो कि 5 से 6 वर्ष हो सकती है।

ऋण की सुरक्षाः-

बैंक के नियमानुसार कृषि योग्य ऋण के दुगुने मूल्य की भार रहित भूमि बैंक के पक्ष में बंधक रखी जायेगी।

ऋण का स्वरूपः-

1. ऋण को बकरियों व बच्चों हेतु सेड बनाने, नर हेतु पेन, बच्चों हेतु पेन, राशन,रखने का स्टोर व संयंत्र रखने हेतु स्टोर के लिए ऋण दिया जा सकता है।
2. पशुओं हेतु नांद, हसिया, दुग्ध हेतु बाल्टी व केन को संयंत्र के रूप में ऋण दिया जा सकता है।
3. नर व मादा बकरियों के क्रय हेतु ऋण दिया जायेगा।
4. अधिक बड़े बमकरी पालन फार्म व चारा उत्पादन हेतु भी ऋण दिया जा सकता है।

योजना की तकनीकी उपादेयताः-

योजना क्षेत्रों में अच्छी नस्ल के जानवरों की उपलब्धता, अनुकूल मौसम, शुष्क व हरे चारे की उपलब्धता, कंसन्ट्रेट फीड की उपलब्धता तथा स्थानीय पशु आवास निर्माण की लागत व जानवरों के उत्पादों की बिक्री, पशु चिकित्सा व श्रम की उपलब्धता की सुनिश्चितता तकनीकी उपादेयता में देखी जायेगी।

योजना की आर्थिक उपादेयताः-

1. योजनान्तर्गत उत्पादित होने वाले दूध, मांस, बच्चे व वयस्क चयनित पशुओं से होने वाली आय को इंगित किया जायेगा।
2. पशुओं पर पड़ने वाले समस्त व्यय को लागत में सम्मिलित किया जायेगा। जैसे-चिकित्सा, राशन, प्रजनन, श्रम आदि पर होने वाला व्यय।

लाभार्थी का बकरी पालन में ज्ञान होना अधिक आवश्यक है।

नोट- दर्शायी गई इकाई लागत नाबार्ड द्वारा प्रचारित औसत इकाई लागत के आधार पर इंगित है, जो परिवर्तनशील है।

बकरी पालन हेतु तकनीकि व आर्थिक परिव्यय

तकनीकिः-

(क) मादा की वयस्क आयु	डेढ़ वर्ष
(ख) प्रथम प्रजनन अवस्था	दो वर्ष
(ग) वर्ष में उपलब्ध ब्याते	4 ब्याते/2 वर्ष
(घ) ब्यातों का प्रतिशत	80 प्रतिशत
(च) जुड़वां बच्चे	4 प्रतिशत
(छ) बच्चों की मृत्यु दर	10 प्रतिशत
(ज) वयस्कों की मृत्यु दर	5 प्रतिशत
(झ) अर्थिक आयु	6 वर्ष
(द) नर मादा अनुपात	1:25

वित्तीय- **(उदाहरण है)**

1. नर का मूल्य (18 माह आयु) 1500.00
2. मादा का मूल्य (18 माह आयु) 1500.00
3. बाडा बनाने का मूल्य 1000.00
4. बीमा का मूल्य दर% (प्रति वयस्क की मूल्य का)
5. चिकित्सा व्यय दर 20/- पशु/वर्ष व दर 7/बच्चा/वर्ष
6. पशु आहार पर व्यय - वयस्क 225 ग्राम/दिन
   मादा (30 दिन बच्चा देने के पूर्व)
   वयस्क दर 250 ग्राम/दिन
   नर 120 दिन हेतु
   बच्चे दर 150 ग्राम/दिन
   30 दिनों हेतु

अनुपूरक आहार का मूल्य 3-3.50/- किलाग्राम

7. श्रम 1 मनुष्य 50 जानवारों हेतु
8. अन्य व्यय रू0 10/पशु/वर्ष
9. चारा-1 एकड़/25 बकरी हेतु दर 3000/-एकड़ प्रथम वर्ष तदुपरांत 2000/-(जमुनापारी)

लाभः-

1. नर बच्चों की बिक्री - औसत बजन 20 किलों दर 40/किलो
2. मादा बच्चों की बिक्री - औसत बजन 18 किलों दर 40/किलो
3. चयनित वयस्क
   (क) मादा दर 800-900/पशु
   (ख) नर दर 1000-1200/पशु
4. वर्ष में एक बारमादा दर 800-900/पशु
5. खाद की बिक्री रू0 20-25/वयस्क/वर्ष व रू0 10/बच्चा 8-9 माह हेतु
6. बोरों की बिक्री 13 बोरे/टन दर 8.00 प्रति बोरो(अहार हेतु प्रयोगार्थ)

नोट-समस्त मूल्य स्थानीय बाजार में प्रचलित मूल्य के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे।

सूकर पालन हेतु तकनीकि व आर्थिक परिव्यय

आर्थिक पहलूः- **(परिवर्तनीय है)**

1.	मादा सूकर (6-7) महीने आयु	10
2.	नर सूकर	01
3.	बैच की संख्या	02
4.	दो बैच के बीच का अंतराल	03 माह
5.	प्रतिवर्ष प्रजनन	02 माह
6.	प्रति सूकरी बच्चों का जनन प्रति जनन	11 बच्चे
7.	बच्चों की मृत्यु दर	20 प्रतिशत
8.	फैटनर्स की मृत्यु दर	10 प्रतिशत
9.	वयस्कों की मृत्यु दर को सम्मिलित नहीं किया जाना है, क्योंकि क्षतिपूर्ति बीमा से की जायेगी	
10.	वीनिंग (दुग्ध पिलाने की अवधि)	02 माह
11.	स्थान की आवश्यकता (वर्ग फुट में)	
	नर सूकर	70
12.	स्थान की आवश्यकता(वर्ग फुट में)	20
	नर सूकर	
	दुग्धावस्था की सूकरी बच्चों के साथ शुष्क सूकरी	100
	3-5 माह के फैटनर्स	
13.	अनूपूरक आहार (कि0ग्रा0/दिन)	
	सूकर	03
	सूकरी	3.5
	फैटन्र्स (3-5 माह की आयु)	1.5
	फैटन्र्स (6-8 माह की आयु)	2.5
14.	दाने/चुनी (कन्सन्ट्रेट) का प्रतिशत(कुल आहार का)	30 प्रतिशत
15.	रसोई घर का कूड़ा आदि का प्रतिशत(कुल आहार का)	70 प्रतिशत
16.	शेड की निर्माण लागत (रू0/वर्ग फुट)	50
17	स्टोर रूम की निर्माण लागत (रू0/वर्ग फुट)	90
18.	नर सूकर का मूल्य	4500
19.	मादा सूकरी का मूल्य	3200
20.	वीनर्स के आहार का मूल्य (रू0/प्रति कि0ग्रा0)	03
21.	कन्सन्टेट (दाना भूसी)का मूल्य (रू0/कि0ग्रा0)	04
22.	रसोई घर के कूड़े जूठन का मूल्य (रू0/कि0ग्रा0)	0.5
23.	बीमा	
24.	औषधि पर व्यय	

	वीनर्स/फैटनर्स- (रू0/माह)	2
	वयस्क (रू0/माह)	4
25.	विद्युत जल व अन्य विविध व्यय	
	वीनर्स/फैटनर्स(रू0/माह)	2
	वयस्क (रू0/माह)	4
26.	श्रमिक की संख्या	1
27.	श्रमिक का वेतन (रू0/माह)	1000
28.	प्रति मादा प्रति प्रजनन बच्चों की बिक्री(संख्या) (2 माह की आयु)	4
29.	फैटनर्स की बिक्री (4 माह) प्रति मादा	4
30.	बच्चों की बिक्री का मूल्य (औसत)	450
31.	फैटनर्स की औसत वजन (कि0ग्रा0)	13
32.	फैटनर्स की बिक्री मूल्य (औसत)	1360
33.	खाद की बिक्री से आय	
	वीनर्स/फैटनर्स(रू0/माह)	02
	वयस्क (रू0/माह)	05
34.	प्रति टन आहार से प्राप्त खाली बोरे	14
35.	प्रति बोरे की बिक्री से आय (रू0/बोरा)	06
36.	शेड पर ह्रास (प्रतिशत)	05 प्रतिशत
37.	उपकरण आदि पर ह्रास (13 प्रतिशत)	10 प्रतिशत
38.	मार्जिन मनी (प्रतिशत)	15 प्रतिशत
39.	ऋण की अवधि (वर्षों में)	05
40.	ग्रेस पीरिएड (वर्षों में)	01

सूकरों हेतु आवासी सुविधा के माप दण्ड

जानवर	स्थान की आवश्यकता (प्रति वर्ग मीटर/जानवर)		प्रति वर्ग में जानवरों की संख्या
	घिरा क्षेत्र	खुला स्थान	
1. नर सूकर	6.0 -7.0	8.8 -12.0	प्रति जानवर
3. प्रजनन हेतु मादा 4. सूकर	7.0-9.0	8.8 -12.0	प्रति जानवर
3. फैटनर्स (3-5माह आयु का)	0.9 -1.2	0.9 -1.2	30
4. फैटनर्स 5 माह से अधिक आयु के)	1.3 -1.8	1.3 -1.8	30
5.शुष्क सूकरी	1.8 -2.7	1.4 -1.8	3-10

:: भेंड़ पालन की योजना::

1.भेंड़ पालन क्यों-

भेंड़ उष्ण, शीतोष्ण व पर्वतीय क्षेत्र का पशु है जिसके द्वारा कृषकों को या भेड़ चराने वालों की सुनिश्चित आय सृजित होती है। भेंड़ बहुआयामी उपयोगिता वाला जानवर है जिससे ऊन, मांस, दूध व खाल तथा खाद का उत्पादन होता है। इस प्रकार एक विशिष्ट वर्ग के कृषकों हेतु अत्यंत उपयोगी व आर्थिक दृष्टि से साधारण जानवर है। भेंड़ पालने की मुख्य विशेषतायें निम्नवत् हैं:-

क- भेंड़ हेतु अत्यधिक रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती तथा अन्य पशुओं की तुलना में कम श्रम से ही काम चल जाता हैं।

ख-भेंड़ों का उद्योग स्टाक अन्य पशुओं की तुलना में सस्ता होता है तथा भेड़ों के समूहों को बड़ी तेजी से बढ़ाया जाता हैं

ग- भेंड़ों द्वारा घास को मांस में बदलने की क्षमता आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक होती हे।

घ- भेड़ विभिन्न प्रकार के पौधों को चारे के रूप में खाते हें। इस प्रकार खर-पतवार को नष्ट करने में विशेष सहायता करती है।

ड- बकरियों की तुलना में भेड़ पौधों को क्षति नहीं पहुँचाती है।

च- ऊन, मांस व उर्वरक के रूप में भेड़ तीन प्रकार की आय के साधन सृजित करती है।

छ- भेंड़ों के होंठो की बनावट खाद्यान्न की कटाई में बर्बादी होने वाले खाद्यान्नों को दाना खाने में सहायक होते है। इस प्रकार भेड़ अनुपयुक्त दोनों को खाकर आर्थिक उत्पादन को प्रभावी बनाते हैं।

(2) योजना का निर्माणः-

वर्तमान में भेड़ पालन योजना को स्वतः पुनर्वित्त प्राप्त योजना की श्रेणी में रखा गया है किन्तु वृहद भेंड़ पालन हेतु प्रोजेक्ट की फाइल बनाकर मुख्यालय भेजा जाना वांछित हैं

(3) योजना की तकनीकी उपादेयताः-

1. योजनान्तर्गत वित्त पोषित करने वाली योजना से क्षेत्र की निकटता होना अत्यधिक उपयोगी होता है। इसी के साथ-साथ चिकित्सकीय सुविधा, प्रजनन केन्द्र व ऊन एकत्रीकरण केन्द्र का भी समीपस्थ होना आवश्यक है।
2. उच्च गुणवत्ता वाले जानवरों की उपलब्धता हेतु योजना क्षेत्र के पास पशु बाजार होना आवश्यक है।
3. लाभार्थियों को भेड़ पालन हेतु तथा अन्य जानकारी हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का योजना क्षेत्र का होना आवश्यक है।
4. अच्छे चारागाह व भूमि उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए।
5. हरे व शुष्क चारे कंसनट्रेट व औषधियों की उपलब्धता योजना क्षेत्र में होनी आवश्यक है।
6. पशु चिकित्साकीय सुविधा, प्रजनन केन्द्र व विपणन की व्यवस्था का योजना क्षेत्र में होना आवश्यक है।

(4) आर्थिक उपादेयताः-

आर्थिक उपादेयता हेतु योजनान्तर्गत निम्न बिन्दुओं का समावेश होना आवश्यक है।

क- इकाई लागत-

नाबार्ड द्वारा समय-समय पर भेड पालन हेतु निर्धारित इकाई लागत का अनुसरण किया जाना होगा।

ख- योजनान्तर्गत चारा, राशन, चिकित्सा व भूमि का तथा ऊन निकालने की लागत का विवरण स्पष्ट होना चाहिए।

ग- भेंड़ों से उत्पन्न होने वाले ऊन का मूल्य पैनिंग तथा जानवरों का मूल्य स्पष्ट होना चाहिए।
घ- आय व्यय के आंकड़ों व वार्षिक सकल आय को भी दर्शाया जाना आवश्यक है।
ड- कैश का विवरण।
च- ऋण वापसी की सारणी भी योजना में संलग्न होनी चाहिए।

(5) योजना की वित्तीय उपादेयता-

इसके अंतर्गत ऋण वापसी के सारिणी व अन्य अभिलेख जैसे-ऋण प्रर्थना पत्र, ऋण की सुरक्षा, मार्जिन मनी की आवश्यकता का परीक्षण किया जायेगा।

(6) ऋण प्रार्थना पत्र की स्वीकृति एवं ऋण वितरणः-

योजना की तकनीकी व आर्थिक उपादेयता की गणना करने के उपरांत ऋण प्रार्थना पत्र की स्वीकृति की जायेगी। समस्त ऋण किश्तों में दिया जायेगा जैसे शेड का निर्माण हेतु, जानवरों व संयंत्रों के क्रय हेतु दिये गये ऋण के प्रत्येक किश्त की सदुपयोगिता प्राप्त होने के उपरांत अन्य किश्तें स्वीकृत की जायेगी तथा योजना का निरन्तर अनुश्रवण अत्यधिक आवश्यक हे।

(7) वितरण की सामान्य शर्तें-

क- इकाई लागत

नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुरूप ही ऋण वितरण किया जायेगा। यह इकाई लागत औसत आधार पर बनाई जाती हे। अतः इनमें से 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि/कमी संभावित है।

ख- मार्जिन मनी-

बैंक द्वारा कृषकों को तीन श्रेणियों तथा अनुदान की श्रेणियों में विभक्त किया गया है जिसके आधार पर लघु कृषकों से 5 प्रतिशत सीमांत कृषकों से 10 प्रतिशत व अन्य कृषकों से 15 प्रतिशत मार्जिन मनी ली जायेगी।

ग- ब्याज दर-

बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर लागू की जायेगी।

घ- ऋण की सुरक्षा-

ऋण की वापसी योजना से उत्पन्न समग्र अतिरिक्त आय पर निर्भर करता है। ऋण को 5 अथवा 6 वर्षों में, 1 वर्ष के ग्रस अवधि को छोड़कर अर्द्ध वार्षिक/वार्षिक किश्तों में वसूल किया जा सकता है।

च- बीमाः-

जानवरों का एक वर्ष अथवा एक वर्ष से अधिक की मास्टर पालिसी जैसी भी स्थिति हो, हेतु बीमा किया जाना आवश्यक हो।

भेंड पालन हेतु तकनीकी व आर्थिक परिव्ययः- (परिवर्तनीय है)

1. नर भेड़ व मदा भेंड़ का वर्तमान मूल्य क्रमशः 15000.00 , 1000.00 रू0 (नाली/ग्रेडेड नाली/संकर मैरीनों)
2. भेंड़ का प्रजनन अंतराल 12 महीने का होता है जिसमें बच्चा जनने का प्रतिशत 75 प्रतिशत व नर मादा का अनुपात 50:50 होता है।
3. वयस्कों में मृत्युदर 5 प्रतिशत व मेमनों में 10 प्रतिशत होती है।
4. समस्त मदा भेंड़ों को समूह में रखा जाता है जबकि 8 या 9 माह की आयु के नर भेंड़ों की बेंच दिया जाता है।
5. 20 प्रतिशत मादा भेंड़ों को तीन वर्ष के अपरांत विचयनित कर दिया जाता है।
6. भेंड़ों को चाराने का मूल्य 25.00 रू प्रति वयस्क प्रतिवर्ष दर से लिया जाता है।

7. रातिब का मूल्य प्रति गाभिन भेंड़ हेतु 250 ग्रा प्रति दिन की दर से 30 दिनों हेतु 4 किलो की दर से देय होता हे।
8. बीमा का मूल्य दर लागत के मूल्य का 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष।
9. चिकित्सा मूल्य दर लागत के मूल्य का 12 प्रतिशत/प्रति जानवर।
10. वर्ष में दो बाद शेयरिंग की जाती है। एक नर भेड़ द्वारा 1.2 किलो ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त होता है जबकि मेमने द्वारा 6 प्रति किलो तथा ऊन मूल्य 30.00 प्रति माना जा सकता है जो कि समय-समय पर परिवर्तनशील होता हे।
10. एक मेमने का विक्रय मूल्य रू 1500.00 प्रति नर तथ प्रति वयस्क मादा का मूल्य 1000.00
11. रू0 तथा नर का मूल्य 1200.00 माना जा सकता है।
12. पेनिंग का मूल्य 10.00 वयस्क प्रति माह 6 माह हेतु एक वर्ष में।

नोट'-दर्शाया गया मूल्य स्थानीय बाजार के प्रचलित मूल्यों पर आगणित किया जायेगा।
पेनिंग का मूल्य 10.00 वयस्क प्रति माह 6 माह हेतु एक वर्ष में।
नोट-दर्शाया गया मूल्य स्थानीय बाजार के प्रचलित मूल्यों पर आगणित किया जायेगा।

मत्स्य पालन योजना

विषयःमत्स्य विकास योजनान्तर्गत ऋण वितरण की प्रक्रिया एवं मार्ग दर्शिका

बैंक द्वारा ''मत्स्य विकास योजनाओं'' के अंतर्गत दीर्घ कालीन ऋण वितरित किया जा रहा है। इस विषय पर पूर्व प्रेषित परिपत्र सं0–सी–97/मत्स्य/ऋण प्रक्रिया/डीड/ए.आर.डी.सी.–2/83–84 दिनांक–19.11.83, परिपत्र सं0–सी–26/परि01/मत्स्य/ 2000–01 दिनांक–09.05.2001 एवं परिपत्र सं0–सी–16/परि01/मत्स्य/2004–05 दिनांक–17.04.2004 में आंशिक संशोधन करते हुए ऋण वितरण प्रक्रिया निम्नवत् है जिसके अनुसार ऋण वितरण किया जाये।

1. लाभार्थियों का चयन एवं ऋण प्रार्थना पत्र तैयार करनाः–

मत्स्य पालन विकास अभिकरण अथवा मत्स्य विभाग के कार्यरत वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक/बैंक के फील्ड स्टाफ द्वारा लाभार्थियों का चयन के पश्चात बैंक के निर्धारित ऋण प्रार्थना पत्र (एल.डी.बीण्–4) को लाभार्थियों से विधिवत पूर्ण कराकर तथा बैंक द्वारा निर्धारित तकनीकी एवं आर्थिक अप्रेजल रिपोर्ट तथा साइट प्लान सहित बैंक की शाखा में ऋण स्वीकृत/ऋण वितरण हेतु प्रस्तुत करेंगे। ऋण प्रार्थना पत्र जमा करते समय सामान्य नियमों के अनुसार अंशधन/मार्जिन मनी जमा कराया जायेगा। वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार के लाभार्थी होंगे।

1.1 निजी तालाब वाले लाभार्थीः–

ऐसे लाभार्थियों को उनके निजी तालाब एवं कृषि योग्य भूमि को बैंक के पक्ष में बंधक रखकर मत्स्य पालन हेतु ऋण वितरण किया जायेगा।

1.2 निजी भूमि रखने वाले एवं पट्टे के तालाब वाले लाभार्थीः–

ऐसे लाभार्थियों जिनके पास पट्टे के तालाब के साथ–साथ कृषि योग्य भूमि है उनकी निजी कृषि योग्य भूमि को बंधक रख कर उसके मूल्यांकन के आधार पर मत्स्य पालन हेतु ऋण दिया जायेगा। कृषि योग्य भूमि के साथ ही साथ पट्टे के तालाब को भी बंधक किया जायेगा। पट्टे के उसी तालाब पर ऋण दिया जाये जिसका पट्टा बैंक के परिपत्र सं0–सी–60/लीगल/91–92 दिनांक–1.7.1991 के अनुसार कम से कम 10 वर्ष हेतु निर्गत किया गया हो। ऋण प्रार्थना के साथ शासनादेश के अनुसार जारी किये गये पट्टे की शर्तनामा की सत्य प्रतिलिपि भी संलग्न की जायेगी। पट्टे के तालाब के मामले में संलग्न प्रारूप पर भूमि प्रबन्ध समिति एवं लाभार्थी को ऋण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय संलग्न प्रारूप पर अण्डटेकिंग देना होगा।

2. ऋण प्रार्थना पत्र की जॉच एवं स्वीकृतिः–

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0–सी–26/ऋण/2015–16 दिनांक–18.06.2015 द्वारा ऋण वितरण करने के सम्बन्ध में निर्धारित ऋण नीति के अनुसार ही ऋण वितरण किया जाये।

3. ऋण वितरणः–

मत्स्य पालन की सभी योजनाओं में ऋण किश्तों में निम्न प्रकार वितरित की जायेगी। प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त 30 प्रतिशत एवं तृतीय किश्त 40 प्रतिशत।

4– इकाई लागत :–समय–समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुसार

4.1 वितरित किश्त की सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त वितरित की जायेगी।

4.2 प्रत्येक किश्त के ऋण वितरण की सदुपयोगिता की जॉच करके रिपोर्ट शाखा पर प्रस्तुत करना भुगतान कराने वाले कर्मचारी/अधिकारी का दायित्व होगा।

4.3–गुणवत्ता बनाये रखने हेतु प्राथमिकता के आधार पर मत्स्य बीज अंगुलिकाओं को क्रय करने हेतु लाभार्थी द्वारा सहमति पत्र प्राप्त कर मत्स्य बीज अंगुलिकाओं के मूल्य का चेक एफ0एफ0डी0ए0/मत्स्य विभाग के नाम बनाकर एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।यदि कोई निजी हैचरी मत्स्य विभाग द्वारा पंजीकृत है और उत्तम गुणवत्ता वाली

मत्स्य बीज का उत्पादन व विपणन करती है तो कृषक से सहमति प्राप्त कर उक्त एजेंसी के नाम एकाउण्टपेयी चेक बनाकर भुगतान किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि फील्ड आफिसर की उपस्थिति में ही अंगुलिकायें तालाब में डाली जायें तथा फील्डआफिसर यह प्रमाणित करें कि उनकी उपस्थिति में पर्याप्त मात्रा व नाप की अंगुलिकायें पानी में डाली गई है।

4.4– वितरित किश्त का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर शाखा प्रबन्धक बैंक स्टाफ से उसकी जॉच करायेगें। बैंक द्वारा बनाई गयी पत्रावली की सदुसपयोगिता/जॉच शाखा प्रबन्धक स्वयं करेंगें।

4.5– अग्रिम किश्त की सदुपयोगिता की जॉच अनिवार्य रूप से बैंक के फील्ड आफिसर/शाखा प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

4.6– तालाब की खुदाई/सुधार का उचित समय माह मई/जून है। अतः ऋण स्वीकृत/वितरण की कार्यवाही इस प्रकार से की जाये कि तालाब की खुदाई आदि का कार्य माह जून के पूर्व ही हो जाये।

4.7– योजना हेतु 0.2 हेक्टेयर से 2.00 हे0 तक के ऐसे तालाब लिए जायें जिनमें वर्षभर अथवा वर्ष में कम से कम 8–9 माह पानी बना रहे।

4.8– तालाब की मिट्टी–पानी की मत्स्य पालन हेतु उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु मिट्टी–पानी का परीक्षण मत्स्य विभाग की प्रयोगशालाओं द्वारा कराकर निर्धारित मात्रा में कार्बनिक व रासायनिक उर्वरकों के उपयोग हेतु संस्तुतियां अवश्य प्राप्त करली जायें।

4.9– तालाब में बुझे चूने का प्रयोग 250 कि0ग्रा0 प्रति हेक्टेयर की दर से मत्स्य बीज डालने से लगभग एक माह पूर्व अथवा गोबर की खाद डालने के 15 दिन पूर्व किया जाना चाहिऐ। गोबर की खाद दस टन प्रतिवर्ष प्रयोग की जानी चाहिए जिसको दस समान मासिक किश्तों में प्रत्येक माह गोबर की खाद डालने के 15 दिन बाद करना चाहिए। इसी प्रकार रासायनिक खाद का प्रयोग भी दस मासिक किश्तों में प्रत्येक माह गोबर की खाद डालने के 15 दिन बाद करना चाहिए।

4.10– तालाब में 25 मि0मी0 लम्बाई तक की 10 हजार स्वस्थ अंगुलिकायें (मत्स्य बीज) प्रति हेक्टेयर की दर से डाली जानी चाहिए।

4.11– 12 से 18 माह के बीच जब मछलियां एक से डेढ़ किला ग्राम हो जाये तो उन्हें निकाल कर बिक्री कर देना चाहिए।

5. ऋण अदायगी की अवधिः–

यूनिट कास्ट तथा ऋण वितरण के किश्तों का विवरण सम्बन्धी तालिका में पूर्नअदायगी अवधि तथा ग्रेस पीरिएड का उल्लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त ऋण वितरण प्रक्रिया एवं मार्ग–दर्शन के आधार पर आप अपने शाखा क्षेत्र में अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित कर मत्स्य विकास में सहयोग देवें ताकि ''नीली क्रान्ति'' का प्रदेश व्यापी अभियान सफल हो सकें।

:: मछली पालन योजना ::

हमारे प्रदेश में नदियां, नहरों, झीलों, वृहद जलाशयों एवं ग्रामीण आंचलों में लघु जलाशयों के रूप में मत्स्य उत्पादन हेतु समुचित स्रोत विद्यमान हैं। नदियां, नहरे मुख्य रूप से मत्स्य निष्कासन हेतु ही प्रयोग होती हैं, जबकि ग्रामीण लघु जलाशयों का जल क्षेत्र मत्स्य विकास की विभिन्न परियोजनायें चलाने हेतु उपयुक्त रूप से मत्स्य पालन किया जाये तो निश्चय ही ग्रामवासियों को मछली जैसी प्रोटीनयुक्त आहार की पूर्ति तो होगी ही साथ ही साथ उन्हें रोजगार के अतिरिक्त साधन सुलभ होगें।

उक्त को दृष्टिगत रखकर बैंक द्वारा शासन के सहयोग तथा बैंक के स्वयं के उपलब्ध सोत्र से मत्स्य पालन योजनातर्गत ऋण वितरणकी संक्षिप्त रूप से रेखा निम्नवत है:-

(1) ऋण हेतु पात्रता-

मत्स्य पालन के ऋणहेतु सीमांत, लघु एवं अन्य कृषक जिन्हें मत्स्य पालन का ज्ञात है, बैंक ऋण के पात्र है। ऐसे पात्र लाभार्थी निम्न दो प्रकार के हो सकते हैं।

क. निजी तालाब वाले लाभार्थी-

ऐसे लाभार्थी जिनकी पास निजी तालाब है, उनकी कृषि योग्य भूमि बैंक के पक्ष में बंधक रखकर ऋण दिया जायेगा।

ख.ऐसे लाभार्थी जिनके पास कृषि योग्य निजी भूमि है तथा उन्हे पटटे पर तालाब उपलब्ध है-

इन कृषक लाभार्थियों को उनकी निजी भूमि को मूल्यांकन के आधार पर बंधक रखकर तथा उनकों आवंटित पटटे के तालाब को भी बंधक रखकर ऋण दिया जायेगा। शर्त यह होगी कि पटटे का आवंटन लाभार्थी के पक्ष में 10 वर्ष से कम का न हो।

क्रमांक	योजना का नाम	आकार	इकाई लागत
1	वर्तमान तालाब का विकास(पम्पसेट/टूयूबवेल रहित)	1 हे0	79000
2	वर्तमान तालाब का विकास(पम्पसेट/टूयूबवेल सहित	1 हे0	240000
3	नये तालाब का निर्माण(पम्पसेट सहित)	1.0 हे0	58000
4	मत्स्य अंगुलिकाए(चायनीज माडल)30 लाख उत्पादन	0.4	340000

इकाई लागत नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है।

जेस्टेशन पीरियड-

मत्स्य बीज हेचरी में दो व-र्ा तथा अन्य योजनाओं में जेस्टेशन पीरिएड एक वर्ष है।

डाउन पेमेंट:-

लघु, मध्यम व अन्य कृषकों से क्रमशः 5, 10, 15 प्रतिशत डाउन पेमेंट लिया जायेगा।

ब्याज दर:-

मत्स्य पालन हेतु निर्धारित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह ब्याज दर परिवर्तनशील है।

ऋण हेतु प्रतिभूति-

लाभार्थियो को ऋण राशि से दोगुने मूल्य भार रहित भूमि बैंक के पक्ष में बंधक करना पड़ता है। 100000/- रू0 तक के ऋण पर प्रभार स्टाम्प शुल्क से शासन द्वारा छूट प्रदान की गयी है। भूमि का मूल्यांकन जनपदों के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित/प्रमाणित भूमि के मूल्य से निर्धारित होगा तथा उपलब्ध कृषक भूमि के मूल्य का 50 प्रतिशत ऋण क्षमता मानी जायेगी।

ऋण वितरणः-

मत्स्य पालन की सभी योजनाओं में ऋण की निम्न प्रकार किश्तें वितरित की जायेगी।

1. प्रथम किश्त ऋण राशि का 30 प्रतिशत।
2. द्वितीय किश्त ऋण राशि का 30 प्रतिशत।
3. तृतीय किश्त ऋण राशि का 40 प्रतिशत।

योजना से आर्थिक लाभः-

औसत दर्जे पर आंकलन करने से ज्ञात होता है कि एक हेक्टेयर प्रक्षेत्र से लाभार्थी लगभग 40 से 50 हजार रूपये से अधिक का लाभ अर्जित कर सकता है।

ऋण की अदायगी-

मत्स्य पालन की समस्त योजनाओं की वसूली 7 वर्षिक किश्तों में तथा मत्स्य बीज उत्पादन की योजनान्तर्गत 10 वार्षिक किश्तों में तथा मत्स्य बीज उत्पादन की योजनान्तर्गत 10 वार्षिक किश्तों में की जायेगी। समयानुसार ऋण अदा करने पर 1 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जाती है।

मत्स्य विकास योजनान्तर्गत ऋण वितरण के अप्रेजल एवं सीजन के सम्बन्ध में।

मत्स्य पालन हेतु कृषकों द्वारा यदि समय व सीजन का प्रभावी उपयोग ध्यान में रखा जाय तो मत्स्य विकास से कृषकों को अधिक लाभ अर्जित हो सकता है। इस क्रम में मत्स्य पालन हेतु विस्तृत सीजनलिटी एवं योजना की अप्रेजल प्रक्रिया निम्नवत है-

प्रथम त्रैमासः-(अप्रैल, मई, जून)

क- उपयुक्त तालाबों का चुनाव।
ख- नये तालाब के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन।
ग- मिट्टी, पानी की जॉच।
घ- तालाब सुधार एवं निर्माण हेतु मत्स्य पालन अभिकरणों के माध्यम से तकनीकी व आर्थिक सहयोग लेते हुए तालाब सुधार एवं निर्माण कार्य की पूर्णता।
च- अवांछनीय जलीय वनस्पतियों की सफाई।
छ- महुवा की खली का प्रयोग एवं बार-बार जाल डलवाकर अवांछनीय मछलियों का निकास।
ज- उर्वरा शक्ति की वृद्धि हेतु 250 कि0ग्रा0 प्रति हे0 चूना तथा 10 से 20 कु0/हे0प्रति माह गोबर की खाद का प्रयोग।

द्वितीय त्रैमासः-(जुलाई, अगस्त, सितम्बर)

क- मत्स्य बीज संचय से पूर्व पानी की जॉच।
ख- तालाब में 20-50 मिली0लीटर के आधार के 10000 मत्स्य बीज का संचय।
ग- पानी में उपलब्ध प्राकृतिक भोजन की जॉच।
घ- गोबर के खाद के प्रयोग के 15 दिन उपरांत रसायनिक खादों का प्रयोग।
च- रसायनिक खादों के प्रयोग के 15 दिन के बाद 10 से 20कु0 प्रति हे0 प्रति माह गोबर की खाद का प्रयोग।
छ- मत्स्य अंगुलिकाओं के भार का 1-2 प्रतिशत की दर से प्रतिदिन पूरक आहार का प्रयोग

तृतीय त्रैमासः-(अक्टूबर, नवम्बर,दिसम्बर)

क- मछलियों की वृद्धि दर की जॉच

ख- मत्स्य रोग की रोकथाम हतु औषधियों का प्रयोग।

ग- पानी में प्राकृतिक भोजन की जॉच।

घ- पूरक आहार का प्रयोग।

च- ग्रास कार्प मछली के लिए जलीय वनस्पतियों का खिलाना।

छ- उर्वरक का प्रयोग।

चतुर्थ त्रैमासः-

क- बड़ी मछलियों के निकासी एवं विक्रय।

ख- 1 हे0 तालाब से कामन कार्प मछलियों के लगभग 1500 बीज का संचय।

ग- पूरक आहार का प्रयोग।

घ- उर्वरकों का प्रयोग।

यदि इण्डियन कार्प व चानीज कार्प एवं दोनों का एक साथ मत्स्य पालन किया जाता है तो मछलियों का अनुपालन निम्नवत् होगा।

मछलियों का प्रकार	प्रतिशत
1. कतला	40, 30, 15
2. रोहू	30, 30, 20
3. मृगल	30, 20, 15
4. कामन कार्प	--, 20, 20
5. सिल्वन कार्प	--, --, 15
6. ग्रास कार्प	--, --, 15
	100,100,100

मत्स्य उत्पादन हेतु उदाहरणस्वरूप क्रियाचक्र-

जनवरी-मार्च	गढ्ढे की खुदाई
अप्रैल- जून	प्री स्टार्किंग
जुलाई-सितम्बर	स्टांकिंग (प्रजनन काल) क-1
अगले वर्ष	
जुलाई-सितम्बर	मत्स्य निसकासन
	स्टाकिंग क-2

(क -1, क-2, क-2 का अभिप्राय तालाब में डाली गयी मछलियों से है)

फरवरी-अप्रैल	मत्स्य निसकासन क-1
जुलाई-सितम्बर	स्टांकिंग क-3
फरवरी- अप्रैल	मत्स्य निकासन क-2

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय-लखनऊ।

मत्स्य पालन योजना का तकनीकी एप्रेजल रिपोर्ट

1. लाभार्थी/मत्स्य जीवी सहकारी समिति नाम व पता----------
---

2. लाभार्थी/मत्स्य जीवी सहकारी समिति का मुख्य व्यवसाय----------
---

3. आवेदक के पास मत्स्य पालन की वर्तमान
व्यवस्था----------

(क) क्या आवेदक के पास निजी तालाब/जलाशय/झील है----------
(ख) निजी तालाब/जलाशय/झील का क्षेत्रफल(हे0)----------
(ग) क्या आवेदक के पास पट्टे पर तालाब/जलाशय/झील है----------
(घ) पट्टे के तालाब/जलाशय/झील के आवंटन आदेश सं0- ----------
एवं दिनांक----------
(च) पट्टे की अवधि ----------
(छ) आवेदक के स्वामित्व में बंधक हेतु प्रस्तावित कुल भूमि----------
प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल..... लगान.....
(ज) पट्टे की नीलामी का मूल्य/लगान.....

क्र0सं0	कराये जाने वाले कार्य का विवरण	परिणाम	दर	लागत
1	तालाब की खुदाई			
2	इनलेट का निर्माण एवं जाली तथा शटर			
3	आउटलेट का निर्माण एवं जाली तथा शटर			
4	फिडिंग चैनल का निर्माण एवं गहराई तथा ढलान			
5	तालाब का बंधा निर्माण			
6	तालाब पर पनी भरने का व्यय			
7	अन्य निर्माण			
	क-			
	ख-			
	ग'			
	योग-			

आवेदक की मत्स्य पालन हेतु वांछित उपकरण की संख्या का विवरण-संलग्नक-2

क्र0 सं0	उपकरण का नाम	कुल वांछित उपकरण की सं0	वर्तमान में आवेदक के पास उपकरण की उपलब्ध सं0	वांछित उपकरण की सं0
1	जाल			
2	नाव			
3	पैन			
4	कैंज			
5	अन्य			

बैंक ऋण से क्रय किये जाने वाले उपकरणों की लागत का विवरण

क्र0सं0	उपकरण का नाम	संख्या	दर	लागत
1	जाल			
2	नाव			
3	पैन			
4	कैंज			
5	अन्य			
	योग			

6. आधार पूँजी की (ब्लाक कैपिटल) कुल लागत

7. मत्स्य अंगूलिकाओं की उपलब्धता पर टिप्पणी-

क- निजी हैचरीज से ----------

ख- शासकीय हैचरी से ----------

8 तालाब/जलाशय/झील में मत्स्य पालन पर वार्षिक आवती पर व्यय का विवरण

क्र0सं0	विवरण	मात्रा	संख्या	दर लागत	व्यय
1	तालाब का वार्षिक किराया				
2	पानी भरने का व्यय				
3	जलीय घास एवं अवांछनीय मछलियों की सफाई				
4	अंगुलिकाओं/मत्स्य बीज पर व्यय				
5	चूने का प्रयोग का व्यय				
6	गोबर की खाद पर व्यय				
7	मत्स्य बीज एवं यातायात व्यय				
8	रसायनिक खादों पर व्यय				
9	मत्स्य स्टाफ की देखभाल पर व्यय				
10	विविध व्यय				
	योग				

9. योजना की कुल लागत **रू0** .....

10. डाउन पेमेंट/प्राप्त अनुमन्य अनुदान **रू0** ----------

11. बैंक ऋण **रू0** ----------

आर्थिक अप्रेजल रिपोर्ट

(क) प्रस्तावित योजना के पूर्व की आय-

1. क्या आवेदक के पास योजना से पूर्व मत्स्य पालन किया जाता रहा है-
2. योजना से पूर्व मत्स्य पालन पर उत्पादन व्यय रूपये में-
3. वार्षिक मत्स्य की उपज (कु0 में)
4. मत्स्य विक्रय की दर प्रति कु0
5. मत्स्य पालन से कुल आय (3-4)
6. मत्स्य पालन से प्राप आय (5-2)

(ख) प्रस्तावित योजना के पश्चात की आय-

1. मत्स्य पालन पर वार्षिक आर्वतक व्यय क्रमांक दो के आधार पर-
2. वार्षिक मत्स्य उपज(कुण्टल में)
3. मत्स्य विक्रय की दर
4. मत्स्य पालन से कुल आय (2 X 3)
5. मत्स्य पालन से प्राप्त शुद्ध आय (4 - 1)

(ग) वृद्धोन्मुख आय (ख-5) - (क6) न्यूनतम

(घ) वार्षिक ऋण भुगतान क्षमता (वृद्धोन्मुख आय का 50 प्रतिशत)

(च) ऋण की वार्षिक किशत

आवेदक को ऋण भुगतान क्षमता के आधार पर रू0---------- ऋण के वितरण की संस्तुति की जाती है।

दिनांक-

मीठे पानी में झींगा पालन

(1) प्रस्तावनाः-

भारत वर्ष में जल आधारित उद्योग मछली पालन की सीमा में बंध कर रह गया है। बदलते हुए आर्थिक परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि भारत वर्ष में उपलब्ध जल संसाधनों का आर्थिक उपयोग कर अतिरिक्त आय का सृजन किया जाय। सादे पानी में मछलीपालन भारत वर्ष में प्रमुख व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुका है। झींगा की अत्याधिक निर्यातोन्मुख क्षमता है और भारत वर्ष में फैले 4 लाख हेक्टेयर जल संसाधनों में इसका पालन सुगमता पूर्व किया जा सकता है। स्कैपी पानाम प्रजाति की झींगा को नवीन तालाब अथवा उपलब्ध तालाब में पालकर विदेशी मुद्रा का सृजन किया जा सकता है।

(2) जगह का चुनावः-

भूमि का चुनाव झींगा उत्पादन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें भूमि का प्रकार, मृदा की गुणवत्ता तथा गुणकारी पानी की उपलब्धता का अत्यंत ही महत्व हहै। झींगा उत्पादन हेतु जगह को प्रदूषण मुक्त होने के साथ-साथ बाढ़ मुक्त भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सड़क व परिवहन की सुविधा को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

(3) मृदा की गुणवत्ताः-

झींगा पालन हेतु उपलब्ध मृदा में 60 प्रतिशत बालू व 40 प्रतिशत सिल्ट होने के साथ-साथ पानी रोकने की क्षमता अधिक होनी चाहिए।

(4) पानी की गुणवत्ताः-

झींगा पालन हेतु उपलब्ध पानी को गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। पानी का प्रदूषण मुक्त होने के साथ-साथ 7 से 8.5 पी0एच0 मान का होना चाहिए। पानी का तापकृम 18 से 34 डिग्री से0 तक होना चाहिए। पानी में घुलनशील आक्सीजन का परिमाण 75%साद्रता तक होना चाहिए।

(5) तालाब का निर्माणः-

तालाब की चौड़ाई 30.50 मीटर होनी चाहिए जबकि तालाब की लम्बाई स्थान तथा कार्य के प्रकार पर निर्भर होती है। सामान्यतया तालाब की नाम 0.5 से 1.15 हे0 ही उपयुक्त होती है। तालाब की औसत गहराई कम से कम 0.75 मी0 तथा अधिकतम 1.2 मी0 होनी चाहिए। जबकि तालाब पर बंधों की नाम 2; 1 के अनुपालन में होनी चाहिए तथा तालाब के अधिकतम पानी के तल से 60 से0मी0 ऊपर तक ''फ्री बोर्ड'' होना चाहिए। तालाब के पानी का निष्कासन व भराव की समुचित व्यवस्था होनी भी आवश्यक है।

(6) फार्म का रख-रखावः-

तालाब की तैयारी में चूने के उपयोग का महत्वपूर्ण है। यदि झींगा हतु अलग से गोलियों के रूप में खद्य उपलब्ध कराया जाता है तो इस दशा मे ंरसायनिक उर्वरक का प्रयोग करना उचित नहीं होता। किन्तु आवश्यकता को देखते हुए समय-समय पर गोबर, सिंगल सुपर फास्फेट व यूरिया का भी प्रयोग किया जाता है। फार्म प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुए एक हेक्टेयर में 4000 से 50000 पूर्व में तैयार लाबी को तालाब में डाला जाता है। झींगा पालन कार्य समूह की मछलियों के साथ अथवा अलग से किया जा सकता है। यदि कार्प मछलियों के साथ झींगा उत्पादन किया जाता है तो तालाब की गहराई 4 से 5 फीट तक रखी जाती है। इस दशा में 2500 से 20000 लार्बी का प्रयोग किया जाता है तथा कार्प मछलियों की अंगुलिकाओं की संख्या 5000 से 25000 तक हो सकती है। वांछित उत्पादन प्राप्त करने हेतु वायु का महत्व पानी का बदलाव तथा समयबद्ध अनुश्रवण आवश्यक है। खाद की मात्रा झींगा की बढ़त तथा सघनता पर निर्भर करती है।

सामान्यतया भोजन की दर 25 प्रतिशत शारीरिक बजन के आधार पर होनी चाहिए।

सामान्यतः झींगा की बढ़वार 6 से 12 माह में प्राप्त हो जाती है, किन्तु मोनोकल्चर की स्थिति में यह अवधि 6.8 माह व कार्प मछलियों के साथ पाली कल्चर की स्थिति में 8-10 माह की होती हे। इस अवधि में झींगा मछली का औसत वजन 50 ग्राम से 200 ग्राम तक हो सकता है जो अवधि, सघनता पानी की गुणवत्ता व योजना की उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्रबन्धन के आधार पर मृत्यु दर 50 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक सीमित की जा सकती है।

(7) प्रसार व प्रशिक्षणः-

झींगा उत्पादन हेतु कृषकों को झींगा पालन का ज्ञान होना अति आवश्यक है मत्स्य विकास विभाग प्रत्येमक जनपद में, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

(8) विपणनः-

सादे जल के झींगा की स्थानीय बाजार व अंर्न्तराष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, अतः इसकी विपणन आसानी से किया जा सकता है।

(9) योजना की लागतः-

नाबार्ड द्वारा योजना की कुल स्थायी/पूँजीगत लागत एक हेक्टेअर के क्षेत्र समय-समय पर निर्धारित की जाती है, जो समय-समय पर परिवर्तित हो सकती हे।

(10) मार्जिन मनीः-

लाभार्थी को अपने संसाधनों से मार्जिन मनी देनी होगी, जो लघु कृषकों हेतु 5 प्रतिशत मध्यम कृषक हेतु 10 प्रतिशत व अन्य कृषकों हेतु 15 प्रतिशत होगी कुछ प्रकरणों में मार्जित मनी 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो नाबार्ड द्वारा ऋण के रूप में भी दी जा सकती है।

वित्तीय उपादेयताः-

योजना की वित्तीय उपादेयता सुनिश्चित करने हेतु निम्न अवधारणायें अंकी गयी है।

1. **प्रक्षेत्र की नाम** — **1 हेक्टअर**
2. **अवधि** — **8 माह**
3. **घनत्व** — **30000/-हेक्टेअर**
4. **मृत्युदर** — **40 प्रतिशत**
5. **खाद्य परिवर्तन दर** — **2.5 प्रतिशत**
6. **अनुमानित उत्पाद** — **1260 कि0/हे0/फसल**
7. **केवल 6-8 माह के एक के आधार पर गणना की गयी।**

ब्याज दरः-जो बैंक द्वारा समय-सयम पर निर्धारित की जायेगी।

ऋण की सुरक्षाःऋण की सुरक्षा हेतु बैंक के नियमानुसार ऋण राशि के दुगने मूल्य की भूमि बंधक की जायेगी।

उत्पादनः-

(क)	मृत्यु दर	40 प्रतिशत
(ख)	औसत वजन ग्रा0	70
(ग)	कुल उत्पादन(कि0)	1260/हेक्टर/फसल
(घ)	एक वर्ष से फसल	1
(ड.)	प्रथम वर्ष में (85% उत्पादन)	182070
(च)	द्वितीय वर्ष के उपरांत आय	214200

****

मुर्गी पालन योजना

मुर्गी पालन योजना
मुर्गी पालन योजनान्तर्गत ऋण वितरण की प्रक्रिया

मुर्गी पालन योजनान्तर्गत निम्न दो प्रकार की पक्षियों हेतु ऋण दिया जाता है-

(क) अण्डा देने वाली (लेवर्स)

(ख) मॉस हेतु (ब्रायलर)

लाभार्थी की पात्रता-

कुक्कुट पालन हेतु सीमांत, लघु व अन्य कृषक जिन्हें कुक्कुट पालन का ज्ञान हो, बैंक ऋण के पात्र होगें।

योजना का आकार-

बैंक द्वारा पक्षियों के आकार, उपकरण, मुर्गी के बच्चे, चूजों तथा एक माह के आहार के क्रय के साथ परिवहन व बीमा हेतु ऋण प्रदान किया जायेगा। जिसकी इकाई लागत नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। पक्षियों के आहार हेतु अर्द्ध पक्का आकार व टाइल्स/ पक्का आवास हेतु ऋण दिया जा सकता है।

प्रतिभूतिः-

प्रतिभूति हेतु ऋण राशि के कम से कम दो गुने मूल्य की भार रहित कृषि योग्य भूमि बैंक के पक्ष में बंधक करायी जायेगी। वर्तमान में न्यूनतम एक एकड़ भूमि बंधक रखे जाने के निर्देश पूर्व से ही आपको प्रेषित है। बंधक रखने जाने वाली भूमि का मूल्यांकन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत को आधार मानकर ही किया जायेगा।

ऋण स्वीकृति-

ऋण स्वीकृति नियमानुसार शाखा प्रबन्ध समिति द्वारा की जायेगी तथा स्वीकृति पत्र लाभार्थी के घर के पते पर भेजा जायेगा। इकाई लागत, ब्याज दर, अंशधन तथा डाउन पेमेंट के सम्न्ध में प्रधान कार्यालय के द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

ऋण वितरणः-

ऋण का चेक कृषक द्वारा इंगित विक्रेता के नाम पृष्ठांकित किया जाये। जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है कि पक्षी आवास हेतु अर्द्ध पक्का शेड अथवा टाइल्स छत हेतु ऋण दिया जायेगा। इस स्थिति में योजना की इकाई लागत टाइल्स अथवा अर्द्ध पक्का भवन हेतु निर्धारित इकाई लागत के आधार पर आंगणित की जायेगी। जिसमें प्रथम किश्त शेड के निर्माण हेतु तथा उक्त की सदुपयोगिता 30 दिनों में प्राप्त होने के उपरांत द्वितीय किश्त उपकरण व ब्रायलर अथवा लेयर्स हेतु अवमुक्त की जायेगी। यदि लाभार्थी पक्षियों की एक (500 पक्षियों की) इकाई से अधिक इकाई का ऋण लेना चाहता है तो इकाई लागत का निर्धारण अनुपातिक आधार पर गणना करके किया जायेगा।

बीमा- बैंक ऋण से क्रय किये गये कुक्कुट पक्षियों का बीमा कराया जायेगा जिसका प्रत्येक वर्ष ऋण अदायागी अवधि तक लाभार्थी द्वारा नवीनीकरण कराया जायेगा तथा बीमा पालिसी लाभार्थी की पत्रावली में मूल रूप से संलग्न किया जायेगा।

ऋण अदायगी- लाभार्थी द्वारा ऋण की अदायगी 7 वर्षों में छःमाही किश्तों में की जायेगी।

ब्रायलर की तक्नों इकानामिक परिव्यय

(1) इकाई रचना 500 ब्रायलर पक्षी प्रति सप्ताह।
(2) पोषण की विधि ड्रिप लिटर सिस्टम
(3) इकाई लागत नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित
(4) मार्जिन मनी 15 प्रतिशत
(5) ऋण की वापसी 7 वर्ष जिसमें 6 महीने का ग्रेस पीरिएड सम्मिलित है।
(6) ब्याज दर समय-समय पर बैंक द्वारा प्रचारित।
(7) स्थान की आवश्यकता-
1. ब्रायलर आहार(ड्रिप लिटर सिस्टम में) 1 वर्ग फिट प्रति पक्षी।
2. फीड स्टोर आफिस के साथ 300 वर्ग फिट
(8) पक्षियों के चूजों का मूल्य 8.25 प्रति चूजा(2% चूजे मुफ्त प्राप्त होंगे, जो कि यातायात में हुई पक्षियों की मृत्यु को पूरा करेंगी।) परिवर्तनशील है।
(9) पक्षियों हेतु दाने की आवश्यकता दर 3.20 कि0प्रति पक्षी प्रति 7 हफ्ते की दर से
(10) दवा, लिटन,पानी व विद्युत पर आवश्यकता रू0 2.00 किलो प्रति पक्षी(अनुमानित/परिवर्तनशील)
(11) बीमा 1.00/-पक्षी प्रति वर्ष(परिवर्तनशील) की दर से
(12) श्रम दर 1 श्रमिक, 2 शेड के लिए
(13) शारीरिक भार में वृद्धि औसत 1.5 किलो वजन की प्राप्ति 45-49 दिना में होती है।
(14) खाद का उत्पादन --
(15) बोरों की बिक्री हेतु उपलब्धता खाद्यान्न पर निर्भर है किन्तु एक टन चारे/खाद्यान्न से 14 बोरे प्राप्त होते हैं।
(16) मृत्यु दर दर 2 प्रतिशत(चूजे मुफ्त प्राप्त होते हैं।)
(17) अनुमानित आयु, शेड व संयंत्रों पर होने वाला ह्रास

क-	शेड (पानी टंकी के साथ)	अनुमानित आयु वर्ष में 20	ह्रास (प्रति0) 5
ख-	संयंत्र (विद्युत कनेक्शन के साथ)	10	10

प्रथम बैच के चूजों को 9वें हफ्ते में क्रय किया जायेगा।
तदुपरांत अन्य बैंच एक हफ्ते के अंतराल पर क्रय किये जायेंगे। वर्ष के प्रथम दो माह की अवधि शेड निर्माण की अवधि होगी।

लेयर्स की तक्नो-इकोनामिक परिव्यय

(1) पक्षियों की इकाई में संख्या 500
(2) पक्षियों के पालन की अवधि 272 हफ्ता
(क) बृडिंग व ग्रोइग अवधि 250 हफ्ता
(ख) अण्डे देने की अवधि 52 हफ्ता
(3) **स्थान की आवश्यकता**
क- ब्रांडिंग व ग्रोइंग की अवधि हेतु 1 वर्गफुट/पक्षी
ख- अण्डे देने की अवधि में 0.8 वर्गफुट/पक्षी
(4) स्टोर रूम 100 वर्गफुट

(5)	संयंत्रों की आवश्यकता/पक्षी	
	क- ब्रांडिंग व ग्रोइंग की अवधि हेतु	रू0 7.00/पक्षी(परिवर्तनशील)
	ख- अण्डे देने की अवधि में(यदि पिजंड़े में है)	रू0 35/पक्षी(परिवर्तनशील)
	ग- अन्य	रू0 7.00/पक्षी(परिवर्तनशील)
(6)	मृत्यु दर (प्रतिशत में)	
	क- ब्रांडिंग व ग्रोइंग की अवधि हेतु	6 प्रतिशत
	ख- अण्डे देने की अवस्था में	7 प्रतिशत
(7)	एक दिन के चूजा का मूल्य (रू0/चूजा)	14.00
(8)	मुफ्त में प्राप्त चूजे रूम	3 प्रतिशत
(9)	खाद्यान्य की आवश्यकता(किलो/पक्षी	
	क- बूंडिंग अवधि में	7 कि0/पक्षी
	ख- अण्डे देने की अवधि में	38 कि0/पक्षी
(10)	**खाद्यान्न का मूल्य**	
	क- चूजों हेतु	रू0 7.00/किलो(परिवर्तनशील)
	ख- अण्डे हेतु	रू0 6.70/किला(परिवर्तनशील)
(11)	श्रमिक	पारिवारिक
(12)	अन्य विविध व्यय(लिटर,विद्युत, औषधि, टीकाकारण,बीमा आदि)	
	क- ब्रूंडिंग अवधि में (रू0/पक्षी)	5.50 (परिवर्तनशील)
	ख- अण्डज अवधि में (रू0/पक्षी)	7.00(परिवर्तनशील)
(13)	अण्डों का उत्पादन	295 प्रतिवर्ष
(14)	कुड़क मुर्गी का औसत भार	1.50 कि0ग्रा0
(15)	कुड़क मुर्गी की बिक्री मूल्य	40/-(परिवर्तनशील)
(16)	प्रति पक्षी उत्पादित खाद से आय(रू0/पक्षी)	
	क- ब्रूडर व ग्रोइंग अवधि में	1.15 (परिवर्तनशील)
	ख- अण्डे देने की अवधि में	5.85 (परिवर्तनशील)
(17)	प्रतिटन खाद्यान्न/चारे से प्राप्त बोरे	13.30
(18)	प्रति बोरे का मूल्य	रू0 6/-बोरे(परिवर्तनशील)
(19)	शेड पर ह्रास	5 प्रतिशत
(20)	संयंत्र पर ह्रास	10 प्रतिशत
(21)	ग्रेस पीरिएड	1 वर्ष
(22)	ऋण वापसी अवधि	8 वर्ष
(23)	निर्माण अवधि(हफ्तों में)	3 माह
(24)	सुप्त अवस्था (हफ्तों में)	
	क- ब्रूडर व ग्रोवर ग्रह	4 हफ्ता
	ख- लेयर्स ग्रह	4 हफ्ता

नोट-परिवर्तन मूल्यों का आशय बाजार में प्रचलित मूल्यों से है।

कुक्कुट विकास योजना

कुक्कुट विकास योजनान्तर्गत उपयोग की जाने वाली अप्रेजल प्रक्रिया

कुक्कुट विकास योजनाओं के अंतर्गत लेयर्स व ब्रायलर्स पालन आदि हेतु ऋण दिया जाता है। लाभार्थियों द्वारा लिए जाने वाले कुक्कुट के ऋण हेतु लाभार्थी की ऋण भुगतान क्षमता निकालने के लिए अप्रेजल फार्म संलग्न है।

ऋण के अप्रेजल में निम्न तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अप्रेजल करना होगा।

(क) तकनीकी पहलू-

1. क्षेत्र में प्रस्तावित योजना के अंतर्गत ऋण वितरण की प्रबल संभावनायें विद्यमान होनी चाहिए।
2. उत्तम नस्ल के कुक्कुट की उपलब्धता क्षेत्र व आस-पास में होना चाहिए ताकि लाभार्थी उत्तर नस्त के पक्षी के बच्चे क्रय कर सके।
3. पक्षी के रख रखाव हेतु क्षेत्र की जलवायु की उपयुक्तता होना चाहिए।
4. पक्षियों के लिए पानी, रोशनी एवं फील्ड हेतु व्यवस्था होना नितांत आवश्यक है।
5. पक्षियों के उत्तम आहार की उपलब्धता आवश्यक है।
6. पक्षियों के रहने के लिए आवास/शेड का प्रबंध होना चाहिए।
7. लाभार्थियों को लेयर्स/ब्रायलर्स आदि के उत्पादन जैसे अण्डा, मांस आदि की क्षमता का ज्ञान होनी चाहिए।
8. क्षेत्र में पशु, चिकित्सक की उपलब्धता अनिवार्य है।
9. लाभार्थी को कुक्कुट विकास प्रबंध की जानकारी होनी चाहिए।
10. कुक्कुट से प्राप्त उत्पादन के विपणन की सुनिश्चित व्यवस्था अंत्यंत आवश्यक है।

(ख) आर्थिक पहलू:-

1. पक्षियों की लागत नाबार्ड द्वारा स्वीकृति इकाई लागत के आधार पर आंकी जायेगी। जिसमें से डाउन पेमेंट की धनराशि घटाकर बैंक ऋण स्वीकृत किया जायेगा।
2. पक्षियों के आहार/कन्सन्ट्रेट फीड की गणना पक्षियों के लेयिंग/ग्रोविंग अवस्था हेतु वांछित चारे एवं पक्षियों के आहार के व्यय के आधार पर की जायेगी।
3. उत्पादन व्यय में आहार व्यय, मानव श्रम, पक्षी बीमा, चिकित्सा व्यय तथा अन्य व्यय को सम्मिलित करके गणना की जायेगी।

   लाभार्थी को उपरोक्त तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लाभार्थी की कुक्कुट पालन (लेयर्स/बायलर्स) की ऋण भुगतान क्षमता संलग्न अप्रेजल फार्म में निकाली जायेगी। प्रस्तावित योजना से प्राप्त शुद्ध आय/वृद्धोन्मुख आय का 50 प्रतिशत लाभार्थी की ऋण भुगतान क्षमता होगी।

कुक्कुट(लेयर/ब्रायलर्स) पालन का अप्रेजल रिपोर्ट

(1) प्राथी का नाम मय पिता का नाम-

(1) आवेदक का मुख्य व्यवसाय-

(अ) कृषि
(ब) डेयरी
(स) कुक्कुट पालन
(द) अन्य

(3) आवेदक के पास विद्यमान पक्षियों का विवरण-

क्रमांक	पक्षियों का विवरण	नस्ल	संख्या	आयु
1	लेयर्स			
2	ब्रायलर			

(4) आवेदक के पास विद्यमान कुक्कुट पालन की व्यवस्था-

क्रमांक	विवरण	निजी उत्पादन/बाजार से
1	दाने की व्यवस्था	
2	चारे की व्यवस्था	
3	दवा एवं चिकित्सक की व्यवस्था	
4	रोशनी एवं पानी की व्यवस्था	

(5) वर्तमान में पक्षियों से प्राप्त उत्पादन के विक्रय की व्यवस्था-

क- स्थानीय बाजार/हाट----------

ख- होटल/रेस्टोरेंट/अस्पताल----------

ग- शहर----------

(6) पक्षी/विक्रेता/फार्म का नाम जहां से पक्षी के चूजे(चिक्स) क्रस किये जायेंगे-

(7) प्रस्तावित योजनान्तर्गत वांछित वित्तीय ला**गत का विवरण-**

(क) क्रय किये जाने वाले पक्षियों का विवरण -

क्रमांक	पक्षी का विवरण	नस्ल	आयु	इकाई संख्या	इकाई लागत	कुल लागत
1	लेयर्स					
2	ब्रायलर					

(ख) पक्षियों के आवास का विवरण - (लागत रू0 में)

क्र0 सं0	विवरण	क्षेत्रफल(वर्ग फुट)	दर प्रति वर्ग फुट कच्च/पक्का	लागत रू0 में
1	ब्रूडर कम ग्रोवर हाउस(लेयर हेतु)	-		
2	लेयर ब्रेड(लेयर हेतु)	-		
3	ब्रायलर हेतु शेड/आवास	-		
4	अन्य यदि आवश्यक हो	-		
	योग-			

(ग) चारा/दाना/पानी तथा अन्य कार्यों हेतु उपकरण की लागत रू0

(घ) फीड/चारा पर व्यय किलोग्राम प्रति पक्षी रू0 प्रति रू0

(ड) अन्य(बीमा, पानी, दवा) रू0

(च) कुल लागत(क + ख + ग + घ + ड) रू0

(10) पक्षियों पर वार्षिक उत्पादन व्यय-

क्रमांक	चारा का विवरण	प्रति दिन खपत	दर	कुल व्यय
1	हरा चारा			
2	दाना/फीड			
3	रोशनी प्रकाश की व्यवस्था			
4	दवा आदि पर व्यय(वार्षिक)			
5	मनुष्य श्रम			
6	अन्य (बीमा आदि)			
	योग			

वर्ष में कुल उत्पादन व्यय-

(13) क्रय किये गये पक्षियों से प्राप्त आय का विवरण-

क्र0सं0	पक्षियों का विवरण	अण्डा		मुर्गा/ब्रायलर्स उत्पादन	दर प्रति	आय	कुल आय
		सं0(कि0ग्रा0)	दर आय(कि0ग्रा0)				
1	लेयर्स						
2	ब्रायलर्स						
	योग						

(14) वर्ष में कुल आय (रू0 में) ----------

(15) वर्ष में कुल व्यय (रू0 में) ----------

(16) वर्ष में शुद्ध आय (वृद्धोन्मुख आय) ----------

(17) ऋण भुगतान क्षमता (वृद्धोन्मुख आय) ----------

(18) उपरोक्त के आधार पर लाभार्थी मु0---------- ऋण की स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

जॉच अधिकारी

नाम----------

पद----------

डेयरी योजना

बैंक द्वारा चलायी जा रही साधारण डेयरी योजना के अंतर्गत ऋण वितरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में

बैंक द्वारा डेयरी योजना के अंतर्गत ऋण वितरण किया जा रहा है। डेयरी योजनान्तर्गत ऋण प्रक्रिया निम्नवत् है:-

1. योजना की क्रियान्वयन अवधि के एक वर्ष होती है। अतः ऋण पत्रावली इस प्रकार प्राप्त की जानी चाहिए कि द्वितीय एवं अंतिम किश्तों का भुगतान उसी वर्ष में हो जाये।
2. साधारण डेरी योजना के क्रियान्वयन की तिथि के पश्चात कोई ऋण वितरण नहीं किया जायेगा।
3. प्रधान कार्यालय द्वारा समय समय पर शाखाओं की निर्धारित ऋण क्षमता के अंतर्गत ही ऋण वितरण किया जायेगा।
4. दो दुधारू भैंस, चार भैंस की साधारण मिनी डेयरी एवं 20 दुधारू भैंस की वृहद डेरी का ऋण बैंक द्वारा पूर्व निदेर्शों यथा प्रथम किश्त के 6 माह के उपरांत ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

इकाई लागत-

दो दुधारू पशुओं, चार दुधारू पशुओं की साधारण मिनी डेयरी एवं 20 दुधारू पशुओं की वृहद डेरी की इकाई लागत समय समय पर वर्ष कमे प्रारम्भ में ही मुख्यालय द्वारा प्रेषित कर दी जायेगी तथा किश्तों के अंतर्गत ऋण वितरण निर्धारण प्रक्रिया उपरोक्त बिन्दु 4 के अनुसार ही होगा।

डाउन पेमेंट-

कृषक दो दुधारू पशुओं, चार दुधारू पशुओं की साधारण मिनी डेयरी एवं 20 दुधारू पशुओं की वृहद डेरी योजना में जिस योजनान्तर्गत ऋण की मांग की जाय, उसके निर्धारित इकाई लागत में से अनुमन्य डाउन उपेमेंट घटाकर बैंक की इकाई लागत निकाली जायेगी।

लघु कृषकों का वर्गीकरण पूर्व प्रेषित नाम के आधार पर निर्धारित किया जायेगा तथा लघु कृषकों से 5 प्रतिशत, मध्यम कृषकों से 10 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों से 15 प्रतिशत डाउन पेमेंट लिया जायेगा।

वृहद डेरी योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी से योजना का 15 प्रतिशत डाउन पेमेंट लिया जायेगा अर्थात योजना लागत का 85 प्रतिशत बैंक ऋण होगा।

ऋण की सुरक्षा-

(क) ऋण की सुरक्षा ऋण राशि से दोगुना मूल्य का भार रहित कृषित भूमि, बैंक के पक्ष में बंधक करायी जायेगी। किन्तु उक्त भूमि आधे एकड़ से कम न हो।

(ख) बैंक ऋण से क्रय किये गये पशुओं की तीन वर्षीय मास्टर बीमा पालिसी करायी जायेगी तथा बीमा पालिसी में बैंक को भी पक्षधर बनाया जायेगा। बीमा पालिसी की मूल प्रति लाभार्थी की ऋण पत्रावली में संलग्न की जायेगी।

ऋण वितरण-

दो दुधारू पशुओं, चार दुधारू पशुओं व 20 दुधारू पशुओं की वृहद डेरी की ऋण वितरण की समस्त औपचारिकतायें लाभार्थी द्वारा पूर्ण करने के उपरांत ऋण वितरण निम्न किश्तों में किया जायेगा-

(क) दो भैंस की सामान्य डेरी-

ऋण की प्रथम किश्त एक दुधारू पशु एक माह का आहार का व्यय व एक पशु के मास्टर पालिसी के बीमा शुल्क हेतु अवमुक्त की जायेगी तथा प्रथम ऋण की सदुपयोगिता प्रमाण

पत्र एवं बीमा पालिसी प्राप्त होने के उपरांत 3 से 4 माह बाद द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी, जो एक दुधारू पशु व पशु की मास्टर बीमा पालिसी हेतु होगी। द्वितीय किश्त के अवमुक्त करने के 15 दिन के अंदर द्वितीय किश्त से क्रय किये गये दुधारू पशु का मास्टर बीमा पालिसी सुनिश्चित की जायेगी।

प्रथम किश्त-

1. इस योजनान्तर्गत ऋण।
2. दो भैंसों के क्रय हेतु।
3. एक माह का पशु आहार।
4. चिकित्सा व्यय।
5. दो पशुओं का यातायात व्यय।
6. दो पशुओं का मास्टर बीमा पालिसी शुल्क

द्वितीय किश्त-

1. दो दुधारू पशु का मूल्य।
2. दो दुधारू पशु के मास्टर बीमा पालिसी का मूल्य

उपरोक्त योजनान्तर्गत भी ऋण दो किश्तों में तीन से चार माह के अंतराल पर दिया जायेगा तथा शाखा प्रबन्धक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि द्वितीय किश्त अवमुक्त होने के 15 दिन के अंदर लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये पशुओं की मास्टर बीमा पालिसी करा ली जाये।

(ख). 20 दुधारू पशुओं की वृहद डेरी-

इस योजनान्तर्गत ऋण तीन किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा जिनकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी-

प्रथम किश्त-

1. पशु का आवास
2. विद्युत चालित चारा काटने की मशीन।

ऋण की प्रथम किश्त की सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ऋण की द्वितीय किश्त निम्नवत् अवमुक्त की जायेगी।

द्वितीय किश्त-

1. 10 दुधारू पशुओं का मूल्य।
2. दुग्ध मापी यंत्र आदि का मुल्य
3. प्रजनन हेतु 3 वर्ष का जवान भैंसे का मूल्य
4. 10 दुधारू पशु व एक प्रजनन हेतु भैंसे का बीमा शुल्क

तृतीय किश्त-

ऋण की द्वितीय किश्त की सदुपयोगिता प्रमाण पत्र तथा 10 भैंस एवं प्रजनन हेतु एक भैंसे का मास्टर बीमा पालिसी प्राप्त होने पर ऋण की तृतीय किश्त 10 दुधारू पशुओं के क्रय एवं बीमा हेतु अवमुक्त की जायेगी।

शाखा प्रबन्धक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अंतिम किश्त अवमुक्त होने के 15 दिन के अंदर द्वितीय ब्वे के दुधारू पशुओं की बीमा पालिसी लाभार्थी द्वारा करा ली जाये तथा पालिसी की मूल प्रति लाभाथी की पत्रावली मे संलग्न की जाये।

(ग) ऋण की वसूलीः-

ऋण की वसूली पूर्ववत मासिक/त्रैमासिक किश्तों में की जायेगी।

प्रत्येक माह में वितरित ऋण की सूचना निर्धारित प्रारूप एल0डी0बी0 28 ''ख'' (संशोधित) प्रत्येक माह की 8 तारीख तक मुख्यालय के तकनीकी अनुभाग को आवश्य उपलब्ध करा दी जाये ताकि नाबार्ड से समयानुसार पुनर्वित्त प्राप्त हो सके। दो भैंस, चार भैंस व 20 भैंस के वृहद डेरी की सूचना का विवरण पृथक-पृथक दर्शाया जाये।

दो भैंसो की इकाई हेतु तकनीकी एवं आर्थिकी बिन्दु

(अ) पूँजीगत व्यय-

क्र0 सं0	विवरण	भैतिक इकाई	इकाई लागत (रू0/इकाई)	कुल योग
1	जानवरों का मूल्य	2		122000.00
2	जानवरों का बीमा दर 4.8 प्रतिशत	2		5856.00
3	जानवरों का दाना 135 कि0 (दर 4.5 कि0/दिन/जानवर 30 दिनों हेतु)	1	40.47	54.64
4	पशु चिकित्सा व्यय-1			5000.00
5	पशु यातायात व्यय-1			42000.00
6	पशु आवास			12000.00
				41548.00
			या	41500
7	मार्जिन मनी दर 15 प्रतिशत			6225.00
8	बैंक ऋण			35275.00

(ब) तकनीकी आर्थिकी बिन्दुः-

1. दुधारू पशुओं की संख्या
2. दुधारू पशुओं का मूल्य 13000.00
3. दुग्धावस्था (दिनों में) 280 दिन
4. शुष्क अवस्था (दिनों में) 150 दिन
5. दुग्ध उत्पादन (औसत ली0/दिन) 7
6. दूध का विक्रय मूल्य 8/ली0
7. जानवरों द्वारा उत्पादित खाद/जानवर/वर्ष रू0 300.00
8. बीमा की मास्टर पालिसी प्रतिशत(3वर्ष हेतु) 4.8 ली0
9. जानवरों का चिकित्सा व्यय/जानवर/वर्ष रू0 150.00
10. श्रम (रू0 में) स्वयं/पारिवारिक सदस्य
11. विद्युत व पानी का मूल्य रू0/जानवर 100.00
12. ब्याज दर समय-समय पर निर्धारित
13. ऋण की अवधि 5 वर्ष
14. खाली बोरों की बिक्री से आय 20 बोरा/ टन दर 5/- बोरा 100.00

(स) जानवरों की खाद्य तालिकाः-

क्र0सं0	चारा/खाद्य का प्रकार	मूल्य (रू0 किलो)	किलों प्रतिदिन शुष्क अवस्था(कि0ग्रा0)	
			शुष्कावस्था(कि0ग्रा0)	दुग्धावस्था(कि0ग्रा0)
1	हरा चारा	0.20	25	25
2	शुष्क चारा	0.50	5	5
3	खली चूनी आदि	7.40	1	4.5

औसत मूल्य पर आधारित-

1. जानवरों को 5-6 महीने के अंतराल पर दो बच्चों में क्रय किया जायेगा।
2. वह परिकल्पित है कि बछड़ों पर होने वाले व्यय की पूर्ति उनके विक्रय से कर ली जायेगी।
3. योजनावधि समाप्ति पर जानवरों का मूल्य (रू0/जानवर) 6500.00

20 भैंसों की डेयरी हेतु तकनीकी व आर्थिक बिन्दु

(क) ऋण का स्वरूप

क्र0सं0	विवरण	भौतिक इकाई	इकाई मूल्य (रू0/इकाई)	कुल लागत
1	जानवरों का मूल्य	20	13000.00	260000.00
2	प्रजनन हेतु एक भैंसा	1	5000.00	500.00
3	बीमा की किश्त दर 4.8%	10 पशुओं हेतु	648.00	6480.00
4	चिकित्सा व्यय	10 पशुओं हेतु	150.00	1500.00
5	यातायात व्यय	10 पशुओं हेतु	500.00	5000.00
6	टाहार	10 पशुओं हेतु	500.00	5000.00
7	दुग्ध उपकरण एवं 1साइकिल			3000.00
8	चारा काटने की मशीन	1		12000.00
9	पशु आवास(800 वर्गफिट)	1	50वर्ग फिट	40000.00
	योग			337980.00
			या	338000.00
10	मार्जिन मनी दर 15 प्रति0	--	--	50700.00
11	बैंक ऋण 85 प्रति0	--	--	287300.00
12	ऋण अवधि	5 वर्ष		
13	ब्याज दर	17 प्रति0 चिकित्सा,यातायात,बीमा व आहार 10 पशुओं हेतु प्रथम बैच के लिए दिया जायेगा।		

तकनीकी व आर्थिक बिन्दु-

1. जानवरों को 10-10 के दो बैच में 5-6 महीने के अंतराल पर क्रय किया जायेगा।
2. द्वितीय/तृतीय ब्याति के जानवरों को 30 दिनों की ब्याति अवस्था प्रथम वर्ष क्रय किया जायेगा।
3. हरा चारा उत्पादन करने हेतु सिंचित भूमि की आवश्यकता 2 एकड़
4. यह परिकल्पित है कि बछड़ों पर होने वाले व्यय की गणना में नहीं लिया जायेगा, क्योंकि उक्त की पूर्ति बछड़ों के विक्रय से कर ली जायेगी।
5. जानवरों की संख्या 20

6. दुधारू जानवरों का मूल्य		13000
7. यातायात व्यय		500प्रति जानवर
8. सिविल निर्माण-		
शेड का मूल्य (प्रति वर्ग फिट)		50/-
9. प्रति जानवर उपकरण का मूल्य		750/-
10.दुग्धावस्था (दिनों में)		280/-
11. शुष्कावस्था (दिनों में)		150/-
12. दुग्ध उत्पादन (ली0/दिन)		7 ली0(औसत)
13. दुग्ध का मूल्य (रू0/ली0)		8/-
14. खाली बोरे की बिक्री से आय(20बोरा प्रति दर रू0 5/-बोरा)		2/-
15. शुष्क चारे पर व्यय शुष्क व दुग्धावस्था में (कि0/दिनं)		5/-
(मूल्य रू0/किलो)		0.5/-
16.दाना चूनी पर व्यय		
आवश्यकता(किलो/दिन)		
क- दुग्धावस्था	4.5	
ख-शुष्कावस्था	1	
17.चिकित्सा व्यय/जानवर/वर्ष		3.3900/माह
18. आय		900/माह
19. बीमा(प्रतिशत) मास्टर पालिसी		4.8 प्रतिशत
20. विद्युत/जल व अन्य (रू0/जानवर)		200
21. ह्रास(प्रतिशत) (1) रोड 5 प्रतिशत (2)उपकरण 10 प्रतिशत		6500

उपरोक्त मूल्य औसत आधार पर अगणित हैं। अतः इकाई लागत के अनुसार ऋण वितरण किया जायेगा।

विषय–नाबार्ड के आटोमेटिक रिफाइनेन्स के अर्न्तगत 2 दुधारू भैंस,4 दुधारू भैंस की साधारण मिनी डेरी एवं 20 दुधारू भैंसों की वृहद–डेरी योजनार्न्तगत ऋण वितरण किये जाने के सम्बन्ध में।

वर्ष 99–2000 में आटोमेटिक रिफाइनेन्स योजनार्न्तगत 2 दुधारू भैंस, 4 दुधारू भैंस की साधारण मिनी डेरी एवं 20 दुधारू भैंसों की वृहद डेरी योजनार्न्तगत ऋण वितरण किया जाना है। वर्ष 99–2000 में डेरी योजनार्न्तगत ऋण वितरण की शाखावार लक्ष्य इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–सी–72/ऋण/उद्देश्यवार/99–2000 दिनॉक 17.07.99 द्वारा प्रेषित किया गया है। उक्त निर्धारित लक्ष्यों के अर्न्तगत सघन मिनी डेरी योजना में ऋण वितरण करने हेतु शाखावार लक्ष्य इस कार्यालय के परिपत्र सं0–सी–54/परि0–3/स0मि0डे0/99–2000 दिनॉक 16.06.99 द्वारा प्रेषित की गयी है । वर्ष 99–2000 में डेरी योजनार्न्तगत निर्धारित लक्ष्यों में से सघन मिनी डेरी योजनार्न्तगत आवंटित वित्तीय लक्ष्यों को घटाने के उपरान्त जो धनराशिअवशेष बचेगी, उसमें साधारण मिनी डेरी योजनार्न्तगत 2 दुधारू भैंस, 4 दुधारू भैंस तथा 20 दुधारू भैंसों की वृहद डेरी योजनार्न्तगत ऋण वितरण किया जायेगा। उक्त मदों की इकाई लागत नाबार्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती है। **जिसके प्रमुख घटक निम्नवत् हैं :–**

(1) 2 दुधारू भैंस (8 लीटर प्रतिदिन क्षमता) की इकाई लागत–

क्र सं0	विवरण–	धनराशि
1	3 दुधारू भैंस मुर्रा/ 4 ग्रेडेड भैंस रू0प्रतिपशु)	
2	1 पशु हेतु एक माह का आहार का व्यय	
3	बीमा (3 वर्ष की मास्टर पॉलिसी के अर्न्तगत) 4.8% ।	
4	चिकित्सा व्यय	
5	1 पशु का यातायात व्यय (ऐच्छिक)	

	योग– कुल इकाई लागत (बिना आवास के)	
6	ऐच्छिक पशु आवास (लाभार्थी की मॉग पर)	
	कुल इकाई लागत (मय पशु आवास के)	

(2).4 दुधारू भैंस (8 लीटर प्रतिदिन) दुग्ध क्षमता की साधारण मिनी डेरी की इकाई लागत

क्र सं0	विवरण–	धनराशि
	4पशु/ग्रेडेड मुर्रा भैंस (13000/–रू0प्रति पशु)	
	2 पशु हेतु एक माह का आहार का व्यय	
	पशु बीमा (3 वर्ष की मास्टर पॉलिसी के अर्न्तगत)4.8%	
	पशु चिकित्सा व्यय	
	2 पशुओं का यातायात व्यय (ऐच्छिक)	
	योग– कुल इकाई लागत (बिना आवास के)	
	ऐच्छिक पशु आवास (लाभार्थी की मॉग पर)	
	कुल इकाई लागत (मय पशु आवास के)	

(3)20दुधारू पशु (8लीटर प्रतिदिन क्षमता)की वृहद मिनीडेरी की इकाईलागत

कमॉक	विवरण–	धनराशि
1	20दुधारू मुर्रा/ग्रेडेड मुर्रा भैंस दा (13000/–रू0 प्रति पशु)	
2	प्रजनन हेतु एक भैंस (रू0 5000/–प्रति पशु)	
3	3 वर्ष की मास्टर पॉलिसी (10 दुधारू पशु एवं 01 भैंस हेतु) 4.8%	
4	चिकित्सा व्यय–10 दुधारू पशुओं हेतु	
5	यातायात व्यय–10 दुधारू पशुओं हेतु	
6	आहार 10 दुधारू पशुओं हेतु	
	दुग्ध उपकरण एवं एक साईकिल का मूल्य	
	विद्युत चालित चारा काटने की मशीन(कम्पलीट) ऐच्छिक पशु आवास (800 वर्गफीट के) दर 50/–प्रति वर्ग फिट के (लाभार्थी की मॉग पर)	
	योग– कुल इकाई लागत (बिना आवास के)	

डाउन पेमेण्ट –

कृषक द्वारा 2 दुधारू पशु, 4 दुधारू पशु की मिनी डेरी एवं 20 पशुओं की वृहद डेरी योजना में से जिस योजनान्तर्गत ऋण की मॉग की जाय, उसका उपरोक्त इकाई लागत में से अनुमन्य डान पेमेण्ट घटाकर बैंक ऋण की धनराशि स्वीकृत की जायेगी। लघु कृषकों का वर्गीकरण पूर्व प्रेषित नार्म्स के आधार पर निर्धारित किया जायेगा तथा लघु कृषकों से 5 % मध्यम कृषकों से 10% तथा अन्य कृषकों से 15 % डाउन पेमेण्ट किया जायेगा।

ऋण की सुरक्षा–

ऋण की सुरक्षा हेतु ऋण राशि से दो गुने मूल्य की भार– रहित कृषित भूमि बैंक के पक्ष में बन्धक रखकर ऋण किश्तों में दिया जायेगा।

बीमा–

बैंक ऋण से क्रय किये गये पशुओं का तीन वर्षीय मास्टर बीमा पॉलिसी करायी जायेगी तथा बीमा पॉलिसी में बैंक को भी पक्षधर बनाया जायेगा।बीमा पॉलिसी की मूल प्रति लाभार्थी की ऋण पत्रावली में संलग्न किया जायेगा।

ऋण वितण –

उपरोक्त प्रोजेक्टों के अर्न्तगत ऋण वितरण के पूर्व समस्त औपचारिकतायें लाभार्थी द्वारा पूर्ण करने के उपरान्त ऋण वितरण निम्न प्रकार किया जायेगाः–

(1). 2 भैंसों की सामान्य डेरी योजना के अर्न्तगत ऋण वितरण प्रकियॉ–

(क) यदि 2 भैंसों की बिना आवास की इकाई लागत यदि निर्धारित की गयी है। यह ऋण वितरण 2 किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त में कृषक को एक दुधारू पशु हेतु एक माह का आहार,एक पशु के बीमा, चिकित्सा व्यय एवं एक पशु पर यातायात व्यय हेतु शामिल हैं। कुल मूल्य में से अनुमन्य डाउन पेमेण्ट घटाकर अवशेष धनराशि प्रथम किश्त के रूप में दिया जायेगा। प्रथम किश्त के ऋण सदुपयोगिता प्रमाणपत्र, बीमा तथा पशु विक्रेता द्वारा दिये गये रसीद एवं चिकित्सा प्रमाणपत्र

प्राप्त किया जायेगा। प्रथम किश्त से क्रय किये गये पशु की तिथि से 4 से 6 माह के अन्तराल में द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त किया जायेगा, जिससे वह एक दुधारू पशु एवं बीमा के मद में व्यय करेगा। द्वितीय किश्त अवमुक्त करने से 15 दिनों के अन्दर क्रय किये गये पशु की बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाणपत्र, पशु विक्रेता की रसीद,बीमा पॉलिसी तथा अन्तिम सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सम्बन्धित लाभार्थी की ऋण पत्रावली में संलग्न किया जायेगा।

(ख). <u>2 भैंसों की (मय आवास) योजनान्तर्गत ऋण वितरण</u> –

2 भैंसों की सामान्य डेरी योजनान्तर्गत मय आवास हेतु निर्धारित इकाई लागत की धनराशि को, इस योजनान्तर्गत कृषकों को 3 किश्तों में ऋण वितरण किया जायेगा। प्रथम किश्त के रूप में कृषक को आवास हेतु इकाई लागत में से उसे अनुमन्य डाउन पेमेण्ट काट कर अवशेष राशि प्रथम किश्त के रूप में भुगतान किया जायेगा। जिससे वह पशु हेतु आवास का निर्माण करायेगा। प्रथम किश्त की सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरान्त कृषक को द्वितीय किश्त का भुगतान किया जायेगा, जिससे एक भैंस का एक माह का आहार, एक पशु की बीमा चिकित्सा व्यय एवं एक पशु पर यातायात का व्यय शामिल है।

द्वितीय किश्त की ऋण सदुपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र पशु विक्रेता से प्राप्त मूल रसीद एवं पशु के बीमा पॉलिसी प्राप्त होने के उपरान्त द्वितीय किश्त पशु क्रय करने की तिथि से 4 से 6 माह के अन्तराल में तृतीय किश्त के रूप में कृषक को अवमुक्त किया जायेगा, जिसमें एक पशु एवं बीमा के रूप में व्यय होगा।

तृतीय किश्त के अवमुक्त होने के 15 दिनों के अन्दर ऋण से क्रय किये गये पशु की बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाणपत्र, पशु विक्रेता की मूल रसीद एवं सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सम्बन्धित कृषक की ऋण पत्रावली में संलग्न किया जायेगा।

(2). 4 भैंसों की सामान्य डेरी योजनान्तर्गत ऋण वितरण प्रक्रियॉ–

(क). 4 भैंसों की बिना आवास की निर्धारित इकाई लागत का ऋण वितरण 2 किश्तों में दिया जायेगा। प्रथम किश्त में कृषक को 2 दुधारू पशु एक माह का आहार, 2 पशुओं का बीमा, चिकित्सा व्यय एवं 2 पशुओं पर यातायात व्यय हेतु शामिल हैं। इस प्रकार कुल धनराशि में अनुमन्य डाउन पेमेण्ट घटाकर अवशेष धनराशि प्रथम किश्त के रूप में दिया जायेगा।

प्रथम किश्त के ऋण की सदुपयोगिता प्रमाणपत्र,बीमा तथा पशु विक्रेता द्वारा दिये गये रसीद एवं चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा। प्रथम किश्त से क्रय पशु की तिथि से 4 से 6 माह के अन्तराल में द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त किया जायेगा, जिससे वह 2 दुधारू पशु एवं बीमा के मद में व्यय करेगा। द्वितीय किश्त के अवमुक्त करने के 15 दिनों के अन्दर क्रय किये गये पशु की बीमा पॉलिसी,चिकित्सा प्रमाणपत्र, पशु विक्रेता की रसीद, बीमा पॉलिसी तथा अन्तिम सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सम्बन्धित लाभार्थी की ऋण पत्रावली में संलग्न किया जायेगा।

(3). 4 भैंसों की (मय आवास) योजनान्तर्गत ऋण वितरण प्रक्रियॉ–

(क). 4 भैंसों की सामान्य डेरी योजनान्तर्गत मय–आवास हेतु निर्धारित इकाई लागत की धनराशि का इस योजनान्तर्गत कृषकों को 3 किश्तों में ऋण वितरण किया जायेगा। प्रथम किश्त के रूप में कृषक को आवास हेतु इकाई लागत में से उसे अनुमन्य डाउन पेमेण्ट काटकर अवशेष राशि प्रथम किश्त के रूप में भुगतान किया जायेगा, जिससे वह पशु हेतु आवास का निर्माण करायेगा। प्रथम किश्त की सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरान्त कृषक को द्वितीय किश्त के रूप में भुगतान किया जायेगा, जिससे 02 भैंस, एक माह का आहार, 2 पशुओं का बीमा , 2 पशुओं का चिकित्सा व्यय एवं 2 पशुओं पर यातायात व्यय हेतु शामिल हैं। द्वितीय किश्त की ऋण सदुपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र,

पशु विक्रेता से प्राप्त मूल –रसीद एवं पशुओं के बीमा पॉलिसी प्राप्त होने के उपरान्त द्वितीय किश्त से पशु क्रय करने की तिथि से 4 से 6 माह के अन्तराल में तृतीय किश्त के रूप में कृषक को अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी, जिसमें 2 पशु एवं बीमा का व्यय शामिल है। तृतीय किश्त के अवमुक्त होने के 15 दिनों के अन्दर ऋण से क्रय किये गये पशु की बीमा पालिसी,चिकित्सा प्रमाणपत्र, पशु विक्रेता की मूल रसीद एवं सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सम्बन्धित कृषक के ऋण पत्रावली में संलग्न किया जायेगा।

(4). <u>20 भैंसों की (मय आवास) योजनान्तर्गत ऋण वितरण प्रक्रियॉ</u> –

20 भैंसों की वृहद डेरी योजनान्तर्गत (मय आवास) हेतु निर्धारित इकाई लागत की धनराशि को, इस योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में पशु के लिए आवास, चारा काटने की मशीन तथा दुग्ध उपकरण तथा साईकिल क्रय करने का व्यय शामिल है। उपरोक्त व्यय में से 15 प्रतिशत डाउन पेमेण्ट काट कर अवशेष धनराशि प्रथम किश्त के रूप में भुगतान किया जायेगा।

प्रथम किश्त की सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में कृषक को अगली किश्त का भुगतान किया जायेगा, जिसमें 10 दुधारू भैंसों हेतु, 01 भैंसा बीमा हेतु,बीमा हेतु, चिकित्सा व्यय हेतु, यातायात व्यय हेतु तथा 10 पशुओं के आहार हेतु व्यय शामिल है।

द्वितीय किश्त के ऋण वितरण के एक माह के अन्दर शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा स्वयं प्रोजेक्ट का सत्यापन किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा पशु क्रय करने सम्बन्धी रसीद, चिकित्सा प्रमाणपत्र, बीमा सम्बन्धी प्रपत्र तथा ऋण सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सम्बन्धित लाभार्थियों की पत्रावली में संलग्न किया जायेगा।

तृतीय किश्त का ऋण वितरण पशु क्रय करने के 4 से 6 माह के अन्तराल में अवमुक्त की जायेगी, जिससे कृषक 10 दुधारू भैंस क्रय करेगा। ऋण वितरण

के 15 दिनों के अन्दर तृतीय किश्त से क्रय किये गये दुधारू पशुओं की रसीद, चिकित्सा प्रमाणपत्र एवं बीमा (जो कृषक स्वयं करायेगा) एवं बीमा पालिसी तथा ऋण सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सम्बन्धित लाभार्थी की त्रण पत्रावली में संलग्न किया जायेगा।

वृहद डेयरी योजना की ऋण पत्रावली फील्ड आफीसर/ शाखा प्रबन्धक द्वारा तैयार की जायेगी।

ऋण की अन्तिम किश्त वितरित होने के एक माह में शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक स्वयं जॉच कर प्रोजेक्ट का सत्यापन करेंगें।

ऋण की वसूली 5 वर्षो में मासिक किश्तों में की जायेगी।

****

नर्सरी,सगंध एवं औषधीय पौधों की योजना

विषय– अलंकृत एवं पुष्पीय पौधों की नर्सरी की स्थापना हेतु ।

आप अवगत ही हैं कि औद्यानिक फसलों में मुख्यतया फल व अंलकृत पौधों की मॉग शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ–साथ उच्च गुणवत्ता वाले पौधारोपण सामग्री की मॉग भी बढ़ रही है। इस कारण सम्पूर्ण भारत में नर्सरी का व्यवसाय भी गत वर्षों में बढ़ा है। नर्सरी के उत्पाद पार्कों और बागानों में सीमित न रहकर शहरी क्षेत्रों में मकानों, कार्यालयों, पार्क आदि में शोभाकार उद्यानों की पूर्ति करते हैं। तीज–त्योहारों एवं मेलों में भी फूलों की मॉग बढ़ जाती है। इसलिए सजावटी एवं पुष्पीय पौधों हेतु नर्सरी का व्यवसाय शहरी क्षेत्रों के आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है।

1–<u>नर्सरी की स्थापना</u>–

नर्सरी का विस्तार धीरे– धीरे होता है। जिसमें मातृ पौधों का उपयोग वानस्पतिक एवं बीज उत्पादन हेतु किया जाता है। जबकि बीज का उपयोग मौसमी फूलों व पौध की बिक्री हेतु किया जाता है।

नर्सरी की स्थापना हेतु जलवायु मृदा का प्रकार पी0एच0 स्थानीय सम्भावनायें सिंचाई के साधन, विपणन व्यवस्था तथा मातृ पौध की उपलब्धता एवं कुशल कारीगरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(क).<u>नर्सरी हेतु जगह का चुनाव</u>–

नर्सरी हेतु चयनित स्थान विपणन केन्द्र के पास होना चाहिये। इसी के साथ–साथ उपयोग में आने वाली वस्तुओं तथा वर्षवार सिंचाई के संसाधनों की नर्सरी में ही उपलब्धता भी अनिवार्य है। आवश्यकतानुसार हवा रोकने वाले पेड़ जैसे– यूकेल्प्टिस, ऑवला तथा बीजू आम को भी रोपना चाहियें जिससे आवश्यक छाया आदि प्राप्त हो सके।

(ख). नर्सरी उत्पाद का चयन–

नर्सरी उत्पादों का चयन आस–पास के बाजार की मॉग पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के शोभाकार पौधे जैसे– छाया में उगाने वाले पौधे, पुष्पीय पौधे, लतायें, पार्क व सड़क के किनारे लगाये जाने वाले पौधे, आफिस, अस्पताल, निवास गृह तथा तीज त्योहारों पर उपयोग होने वाले पौधे, नर्सरी में तैयार किये जाने चाहिये। पुष्पीय पौधे कन्द, व बल्ब, आदि हेतु भी पौध–रोपण सामग्री का उत्पादन किया जाना चाहिये।

(ग). <u>पौधों के उत्पादन की तकनीकी</u>–

पौधों को बीज अथवा वानस्पतिक तरीके से उत्पादित किया जा सकता हैः–

1. बीज द्वारा
2. वानस्पतिक जैसे दाबा लगाकर कलम आदि बॉधकर काईक प्रवंर्धन
3. विभक्तीकरण एवं अलगाव– इस विधि में जमीन के अन्दर उगने वाले तनों से जुड़ी जड़ों को अलग कर उपयोग किया जाता है। इस श्रेणी में कन्द,

तने, वल्व, कार्मस, राइजोम आदि भाग वानस्पतिक प्रर्वधन हेतु उपोग किये जाते है।

4. ग्राफटिंग
5. बडिंग
6. टिशू–कल्चर

(घ). भूमि की तैयारी–

नर्सरी हेतु भूमि विकास अति आवश्यक है जिसके लिए भूमि को कम से कम चार भागों में निम्नवत विभक्त किया जाना चाहिये–

क– मातृ पौध हेतु क्षेत्र
ख– बीज उत्पादन हेतु
ग– पुष्पों की पौध हेतु क्षेत्र
घ– वार्षिक पौधों की एवं वानस्पतिक उत्पान को स्टोर करने हेतु क्षेत्र

नर्सरी की भूमि को दो जुताई सीधी व क्रास की जानी चाहिये जमीन का समतल होना आवश्यक है। भूमि से अवंछित पौध व अन्य सामग्री को निकाल देना चाहिये।

च–स्थान का निर्धारण–

0.5 एकड़ हेतु प्रस्तावित नर्सरी में स्थान का निर्धारण निम्नवत् होना चाहिये–

स्थान –	क्षेत्र वर्ग मीटर
मातृ पौधें	560
गमला नर्सरी	200
पॉली बैग नर्सरी	350
बेड के साथ नर्सरी	550
कार्य स्थल	27
पॉली हाउस	36
स्टोर व आफिस	27
कुल योग–	1750
15 प्रतिशत रास्ता व नाली आदि हेतु	260
महायोग –	2010 वर्ग मीटर

2–योजना की इकाई लागत–

समय–समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुसार ।

घ– नर्सरी हेतु आवश्यक निर्माण–

नर्सरी हेतु कुछ निर्माण जो अति आवश्यक है, निम्नवत् है–

1. कार्य स्थल–

कार्य स्थल का निर्माण 60 मी0 4.5 मी0 के क्षेत्र में कराना चाहिये। जिसकी छत छप्पर अथवा उपलब्ध बॉस, लकड़ी व पटरे पर निर्मित की जानी चाहिये। इस निर्माण की लागत लगभग 300 रू0 वर्ग मीटर आती है। इसके अतिरिक्त लगभग 2000 रू0 की धनराशि पॉली हाउस के अन्दर लकड़ी की अल्मारी के निर्माण आदि हेतु निर्धारित की गयी है। **(लागत का मूल्य उदाहरण है)**

2. पॉली हाउस–

पॉली हाउस का निर्माण 9मी0 4 मी0 की नाप से 90 से0मी0 की ईटों की दीवार 3.6 मीटर ऊँची जाली के साथ पॉलीथीन की छत जो स्थानीय उपलब्ध बॉस, लकड़ी व पटरे पर निर्मित की जानी चाहिये। इस निर्माण की लागत 300 रू0 प्रति वर्ग मीटर आती है। इसके अतिरिक्त लगभग 2000 रू0 की धनराशि पॉली हाउस के अन्दर लकड़ी की अल्मारी के निर्माण आदि हेतु निर्धारित की गयी है।

(लागत का मूल्य उदाहरण है)

3. **स्टोर व आफिस–**

स्टोर व आफिस का निर्माण 6.0 4.50 मी0 के क्षेत्र स्थानीय उपलब्ध सामग्री द्वारा किया जाना चाहिये जिसकी दर 350 वर्ग प्रति मी0 निर्धारित की गयी है।

4. बकरी को रोकने हेतु घेर बाड़ (फैनिसिंग)–

बकरियों से नर्सरी को बचाने के लिए घेरबाड़ अति आवश्यक है। प्रस्तावित योजना क्षेत्र 0.5 एकड़ हेतु 16250 रू0 की कुल लागत निर्धारित की गयी है। **(अनुमानित लागत है)**

5. मातृ पौधों की स्थापना एवं रख–रखाव –

पौधों की संख्या	**250**
क्षेत्र	**560**

क्र0सं0	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	भूमि की तैयारी,गढ़ढे बनाना व भरना			
2	खाद एवं उर्वरक (सूक्ष्म तत्वों के साथ)एवं उपयोग			
3	पौधरोपण सामग्री 70 रू0 प्रति की दर से (10प्रतिशत अधिक खाली स्थान के भराव हेतु)			
4	पौध रोपण			
5	सिंचाई			
6	अन्तःकर्षण			
7	कटाई व छॅटाई एवं सफाई			
8	पौध सुरक्षा			
	योग–			

6. गमला नर्सरी की स्थापना–

गमलों की संख्या	प्रथम वर्ष	500
	द्वितीय वर्ष	800
	तृतीय वर्ष	1000
क्षेत्र		200 वर्ग मीटर

7. शीड वेड नर्सरी की स्थापना–

क्षेत्र	पॉली बैग नर्सरी	350 वर्गमीटर
	वॉल पौघ नर्सरी	550 वर्गमीटर

पॉलीबैग पौध–संख्या	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
	15000	18000	21000
वॉल पौध	15000	18000	21000

नोट– वॉल पौध/नर्सरी का तात्पर्य मिट्टी के गोले में पौध से है।

योजना का अप्रेजल–

नर्सरी योजनान्तर्गत कृषक का अप्रेजल तैयार करते समय सर्वप्रथम ऋण पत्रावली तैयार करने वाले कर्मचारी द्वारा यह ऑकलन किया जायेगा कि नर्सरी योजना हेतु कृषक द्वारा जो आवेदन दिया गया है वह वास्तव में नर्सरी का कार्य करेगा, इसके साथ–साथ लाभार्थी का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना अति आवश्यक है ताकि बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण की वसूली सुनिश्चित हो सके।

नर्सरी योजनान्तर्गत अप्रेजल करते समय लाभार्थी से नर्सरी के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करके बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्राप्त करके आय व व्यय की गणना की जाये,जैसे वह नर्सरी में उत्पादित फूलों/पौधों के विपणन से कितनी आय सृजित करेगा, तथा बीज उच्च–कोटि के मातृ पौधे बेचकर कितनी आय सृजित करेगा तथा उच्च गुणवत्ता के पौधों की उपलब्धता कहॉ से सुनिश्चित करेंगा। लाभार्थी की जो वृद्धोन्मुख आय आयेगी, उस वृद्धोन्मुख आय 50 प्रतिशत की धनराशि ऋण के किश्त के से अधिक होना आवश्यक है।

योजना की आर्थिकी –

योजना से होने वाला उत्पादन–

क्र0सं0	विवरण–	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	गमले के पौधे(शुद्ध बिक्री 80 प्रतिशत)			
2	पुष्प गुच्छ (बुके)			
3	पौध संख्या शुद्ध बिक्री 80 प्रतिशत ए0–पॉलीबैग युक्त पौधे बी0–वॉल पौध			
4	बीज किलोग्राम			

औसत मूल्य–

गमलायुक्त पौधे 70.00 प्रति **(स्थानीय मूल्यों के अनुसार)** पुष्प गुच्छ (गमले युक्त बुके) 50.00 प्रति । **(स्थानीय मूल्यों के अनुसार)**

पौध–

पॉली बैग–युक्त 6.00 प्रति **(स्थानीय मूल्यों के अनुसार)**
वॉल 2.00 प्रति **(स्थानीय मूल्यों के अनुसार)**
बीज 5.00 प्रति 10 ग्राम पैकेट **(स्थानीय मूल्यों के अनुसार)**

रखरखाव की लागत (औसत) 104000 प्रति वर्ष चार वर्ष के उपरान्त वर्षवार

आय–

वर्षवार आय–

क्र0सं0	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
1	गमले युक्त पौधे				
2	बुके				
3	पौध				

ऋण प्रार्थना पत्र तैयार करना–

नर्सरी उद्देश्य हेतु लाभार्थी का ऋण प्रार्थनापत्र निर्धारित फार्म पर बैंक के सहायक फील्ड आफीसर अथवा फील्ड आफीसर द्वारा तैयार किया जायेगा। विभिन्न शासकीय योजनाओं के अर्न्तगत ऋण प्रार्थनापत्र सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जायेगा।

शासकीय कर्मचारियों द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक ऋण पत्रावलियों की स्वीकृति से पूर्व बैंक के परिपत्र सं0 सी–165/ऋण/नीति सी/04–05 दिनॉक 24.01.05 के निर्देशानुसार कृषक की फोटो का प्रमाणीकरण बैंक पक्ष में प्रस्तावित बन्धक भूमि की स्थानीय जॉच व खसरा खतौनी का मूल्य, अभिलेखों से मिलान, अप्रेजल, आदि का कार्य अनिवार्य रूप से शाखा के फील्ड स्टाफ द्वारा किये जाने के उपरान्त ऋण पत्रावली स्वीकृत करने की स्पष्ट संस्तुति की जायेगी। यदि प्रोजेक्ट एक लाख रूपये से अधिक का है तो ऐसे प्रकरणों में शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वयं अनिवार्य रूप से बन्धक की जाने वाली भूमि का सर्वेक्षण किया जायेगा। उसी के उपरान्त ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिभूति–

कृषक से प्रतिभूति के रूप में ऋण राशि के दो–गुने मूल्य की भूमि (न्यूनतम आधा एकड़ भूमि) बन्धक किया जाना अनिवार्य है। प्रतिभूति के रूप में लाभार्थी द्वारा बन्धक की जाने वाली भूमि का सहायक फील्ड आफीसर/फील्ड आफीसर द्वारा मौके पर जॉच की जाये तथा यह भली–भॉति सुनिश्चित कर लिया जाय कि बैंक में बन्धक हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि पर्याप्त उपजाऊ है तथा उस पर खेती की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि लाभार्थी द्वारा बन्धक किये जाने वाली भूमि का कोई भी अंश ऊसर/बन्जर अथवा नदी के कटान में तो नहीं है, इसकी स्थानीय जानकारी के आधार पर भूमि के विवादग्रस्त न होने की भी पुष्टि कर ली जाय। कृषक की ऋण क्षमता के ऑकलन हेतु यह आवश्यक है कि कृषक द्वारा प्रतिभूति के रूप में जो भारमुक्त कृषि भूमि बन्धक कर रहा है उस भूमि का जिलाधिकारी द्वारा

निर्धारित सर्किल रेट अथवा भूमि के बाजारू मूल्य में से जो भी कम हो उसके अनुसार गणना करने के उपरान्त कुल मूल्य का 50 प्रतिशत सीमा तक ऋण क्षमता आयेगी, उसी के अनुसार कृषक का ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

ऋण स्वीकृति –

शाखा प्रबन्धक नर्सरी की प्राप्त पत्रावली का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के उपरान्त ही शाखा प्रबन्ध समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा। इसके पूर्व वह स्वयं भी लाभार्थी का एवं ऋण पत्रावली में लगे हुए अप्रेजल एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि वितरित किये जाने वाले ऋण की वापसी हो जायेगी। इस प्रकार जब वह उपरोक्त से सन्तुष्ट हो जाय तो कृषक की ऋण पत्रावली शाखा प्रबन्ध समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। समिति द्वारा लाभार्थी के ऋण पत्रावली स्वीकृति किये जाने के उपरान्त उसी दिन शाखा प्रबन्धक द्वारा ''ऋण स्वीकृति पत्र'' तैयार कर कृषक के निवास के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी। ऋण स्वीकृत पत्र में स्वीकृत ऋण की धनराशि, उद्देश्य या अन्य आवश्यक सूचनायें एवं औपचारिकताओं का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। यदि कृषक पहले आ जाता है तो ऐसी दशा में उसे डुप्लीकेट स्वीकृति पत्र निर्गत कर ऋण वितरण की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यदि कृषक को पंजीकृत डाक से भेजे गये स्वीकृति पत्र शाखा पर वापस आता है तो ऐसी दशा में शाखा प्रबन्धक स्वयं वापस आने के कारणों का गहन परीक्षण करके तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

ऋण सत्यापन–

ऋण वितरण के उपरान्त शाखा के फील्ड कर्मी/शाखा प्रबन्धक स्वयं स्थलीय जॉच कर प्रोजेक्ट का सत्यापन करेंगे तथा सत्यापन रिर्पोट सम्बन्धित लाभार्थी की ऋण पत्रावली में रखेंगें तथा कृत सत्यापन का उल्लेख सत्यापन रजिस्टर पर भी करेंगे।

ऋण अदायगी–

नर्सरी योजना हेतु 5 वर्ष हेतु ऋण दिया जायेगा जिसका ग्रेस परीरियड शून्य होगा और छमाही किश्तों में वसूली सुनिश्चित की जायेगी।

व्याज दर–

योजनान्तर्गत बैंक द्वारा निर्धारित व्याज दर के अनुसार, कृषक से व्याज लिया जायेगा।

****

सगन्ध पौधों के अन्तर्गत ऋण वितरण की प्रकियॉ–

मेंथा, लेमन–ग्रास, पामारोजा, खस की खेती तथा तेल उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृति इकाई लागत के साथ ऋण वितरण प्रकियॉ आदि से सम्बन्धित दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शन निम्नवत् प्रसारित किये जा रहे है–

1. **लाभार्थी का चयन** –

लाभार्थी का चयन बैंक के फील्ड स्टाफ द्वारा किया जायेगा। उन्हीं के द्वारा बैंक के नियमानुसार कृषक की ऋण पत्रावली तैयार करके शाखा पर जमा करते हुए कृषकों को ऋण भुगतान कराया जायेगा।

2. **योजना हेतु भूमि व क्षेत्र का चयन**–

फसलवार विवरण संलग्न है।

3. **प्रतिभूति**–

प्रतिभूति हेतु ऋण के दो गुने मूल्य की न्यूनतम ढ़ाई एकड़ जमीन बन्धक की जायेगी।

4. **इकाई लागत**–

समय–समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुसार ।

5. **ऋण स्वीकृति एवं निष्पादन**–

लाभार्थी की पूर्ण ऋण पत्रावली शाखा में जमा होने के पश्चात् शाखा द्वारा बैंक के नियमानुसार स्वीकृति/बन्धक पत्र निष्पादन आदि की कार्यवाही के उपरान्त कृषक को ऋण वितरण किश्तों में किया जायेगा तथा पूर्व दी गयी ऋण किश्त के सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आगामी किश्तों का भुगतान किया जायेगा।

(क). प्रथम किश्त–भूमि, नर्सरी की तैयारी व बीज हेतु
(ख). द्वितीय किश्त– खाद, पानी देने निकाई–गुड़ाई
(ग). तृतीय किश्त– प्रकियॉकरण व तेल उत्पादन हेतु

तेल उत्पादन हेतु आसन इकाई की लागत हेतु अवमुक्त किया जायेगा।

6. **भुगतान प्रकिया**–

अन्तिम किश्त की सदुपयोगिता की जॉच प्रबन्धक श्रेणी–1/2 द्वारा अन्तिम किश्त के वितरण के 15 दिन के अन्दर की जायेगी। प्रत्येक किश्त का सदुपयोगिता

प्रमाणपत्र लाभार्थी की पत्रावली में भुगतान कराने वाले फील्ड स्टाफ द्वारा प्रमाणित किया जायेगा तथा प्रबन्धक श्रेणी–1 व 2 द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार 3 वर्ष के उपरान्त ऋण की वसूली मासिक किश्तों 5 वार्षिक किश्तों में की जायेगी।

नोट– उपरोक्त सगंध पौधों के साथ आसवन इकाई या केवल आसवन इकाई के लिए ऋण अनुमन्य होगा जबकि केवल सगंध पौधों हेतु ऋण नहीं दिया जायेगा। नाबार्ड द्वारा जारी इकाई लागत के आधार पर ही ऋण वितरण किया जायेगा जिसमें 10 से 15 प्रतिशत तक कमी/घटोत्तरी की जा सकती है।

****

नींबू–घास

साधारण नाम– नीबू घास, लेमन घास

वानस्पतिक नाम – सिम्बोपोगोन फलेक्यूओसस, सिम्बोपोगान पेण्डुलस एवं खैसिएनस

उन्नत किस्में– सिम–सिखर, कृष्णा, चिरहरित, कावेरी एवं सिम–र्स्वणा।

प्रमुख रासायनिक घटक– नींबू घास के तेल में सिंट्राल प्रमुख घटक होता है। पत्तियों से महत्वपूर्ण तेल प्राप्त होता है। अगर फसल काटने में देरी हो जाये तो फूल भी निकल आते है। फूलों में तेल नहीं होता ।

जलवायु– गर्म एवं नम जलवायु सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी भागों की, उष्ण जलवायु फसल उत्पादन हेतु उपयुक्त है।

भूमि–

अच्छे जल निकासी वाली औसत उर्वरता वाली मृदायें जिनका पी0एच0 0से 8.5 के बीच हो सर्वोत्त होती है। ऊसर एवं असिंचित मृदा में भी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है।

प्रर्वधन –

पुरानी फसल से प्राप्त कल्लों (स्लिप्स) द्वारा रोपाई करते हैं। सिंचित अवस्था में एक हे0 के लिए 55000 स्लिप्स की आवश्यकता होती है। असिंचित अवस्था में अधिक स्लिप्स की जरूरत होती है तथा 45 ग0 30 से0मी0 की दूरी पर लगाते हैं।

पौधरोपण एवं भूमि की तैयारी–

जून जुलाई में मानसून आने के समय एवं सिंचित दशाओं में फरवरी–मार्च में भी रोपाई की जाती है। सामान्यतः सिंचित अवस्था में लाइन से लाइन की दूरी 60 से0मी0 तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी0 रखनी चाहिये। रोपाई से पहले जमीन में 2–3 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिये। खराब मृदाओं में दूरी कम कर देनी चाहिये।

खाद एवं उर्वरक–

खेत की जुताई द्वारा अच्छी तैयारी करनी चाहिये। तदुपरांत 150.60.60 कि0 ग्रा0 नत्रजन फास्फोरस एवं पोटाश प्रति वर्ष/ हे0 देना चाहिये। नत्रजन को 3–4 बार में भूमि में पर्याप्त नमी की स्थिति में देना चाहिये। फास्फोरस एवं पोटाश प्रति वर्ष कटाई के बाद जुलाई माह में गुड़ाई द्वारा भूमि में मिलाना चाहिये। असिंचित अवस्था में उपरोक्त की आधी मात्रा करके देनी चाहिये।

सिंचाई–

आमतौर पर कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सर्दियों में 2–3 एवं गर्मी में 4–5 सिंचाई की पर्याप्त रहती है। प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई अत्यन्त आवश्यक होती है।

कटाई–

नींबू घास की कटाई के समय प्रत्येक कल्ले में 4–5 पूरी तरह से खुली हुई पत्तियॉ होनी चाहिये। कटाई हॅसियॉ द्वारा जमीन की सतह से करना चाहिये।

उपज–

नींबू घास की कृष्णा प्रजाति से 5 वर्ष की फसल के आधार पर सिंचित अवस्था में 200–250 कि0ग्रा0 तेल प्रतिवर्ष/हेक्टेयर पैदा हो जाता है जबकि असिंचित अवस्था में दो कटाई से 100–125 कि0ग्रा0 तेल प्रतिवर्ष प्राप्त होता है।

आय–व्यय–(5 वर्ष के आधार पर)

(धनराशि उदाहरण स्वरूप है)

	सिंचित	असिंचित
व्यय पर हे0/वर्ष	रू0 40,000/–	रू0 25,000/–
कुल आय	रू0 1,60,000/–	रू0 60,000/–
शुद्ध आय/वर्ष	रू0 1,20,000/–	रू0 35,000/–

****

मिन्ट –

साधारण एवं वानस्पतिक नाम –मेंथा आर्वेनसिस– मेन्थाल मिन्ट, जापनी पोदीना
मेंथा पिपरिटा,पिपरमेन्ट
मेंथा स्पाइकेटा–स्पियर मिन्ट

उपयोग– मेन्थाल मिन्ट– मेन्थाल क्रिस्टल, पान–मसाला, पेनबाम, पिपरमिन्ट– कफ सीरप, टूथपेस्ट एवं दवायें, स्पियरमिंट बेकरी, कॉन्डीमेन्ट, बरगॉमाट मिन्ट, प्रसाधन सामग्री ।

प्रमुख रासायनिक घटक–

मेन्थाल मिन्ट,मेन्थाल पिपरमिन्ट, पिपरिटौन, मेन्थोल, मेन्थोन एवं मैंथाफ्यूरान, स्पियरमिन्ट–कार्वोन,बरगॉमाट मिन्ट लिनालूल,एसीटेट।

उन्नत किस्में–

मेंथाल मिन्ट, सिम क्रान्ति , सिम सरयू, कोसी, पिपरमिन्ट सीमैप, पात्रा, सिम इण्डस, सिम मधुरस, कुकरैल, प्रान्जल, सीमैप पात्रा, सिम इण्डस सिम मधुरस , कुकरैल,प्रान्जल स्पियरमेन्ट एम0एस0एस0 5,अर्का,पीरा, नीर कालका,बरगॉमाटमिंट– किरन।

पौध परिचय–

स्पिरयरमिन्ट में पत्ती फूल तथा अन्य प्रजातियों में पत्तियों से तेल प्राप्त होता है। पौधों की ऊचाई 70–80 सेमी0 होती है।

जलवायु–

मेन्थाल मिन्ट, गर्म जलवायु, पिपरमिन्ट ठण्डी तथा सामान्य तापक्रम, स्पियर मिन्ट, गर्म से सामान्य बरगॉमाट मिन्ट, गर्म से सामान्य।

भूमि–

सभी प्रजातियों के लिए समुचित जल निकास, उपजाऊ तथा सामान्य पी0एच0 वाली भूमि की आवश्कता पड़ती है।

प्रर्वधन एवं पौध सामग्री–

मेन्थाल मिन्ट एवं स्पियरमिन्ट की किस्म नीर कालका का प्रर्वधन भूस्तारी (सकर) द्वारा अन्य प्रजातियों का प्रसारण रनर द्वारा होता है। मेंथा की सभी प्रजातियों की सीधी बुवाई करने में करने में 4–5 कु0 तथा मेंथाल मिन्ट की खेती रोपण विधि से करने पर 80–100 कि0गा0 प्रति हे0 सकर्स की आवश्यकता होती है।

पौध रोपण एवं भूमि की तैयारी–

रोपण से पहले खेत की 2–3 जुताई कर देनी चाहिये। सभी प्रजातियों की बुवाई कूड़ों में 60 से0मी0 की दूरी पर 2.5–5.0 से0मी0 गहराई पर करनी चाहिये। मेन्थाल मिन्ट की पौध, रोपण विधि से खेती करने में 30–40 दिन की पौध रोपाई 45 से 15 सेमी0 की दूरी पर मार्च द्वितीय सप्ताह तक की जाती है।

खाद एवं उर्वरक–

दो कटाईयों के लिए 150.60.40 कि0ग्रा0 नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश तत्व के रूप में तथा एक कटाई के लिए 80.40.40 कि0ग्रा0 नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश पर्याप्त रहता है। जिसमें 1/3 नत्रजन तथा फास्फोरस एवं पोटाश बुवाई के समय खेत में मिश्रित करक देनी चाहिये।

सिंचाई –

10–15 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करनी चाहिये। कटाई से 8–10 दिन पूर्व सिंचाई बन्द कर देना लाभप्रद रहता है।

कटाई–

स्पियर मिन्ट में फूल आने पर तथा अन्य प्रजातियों में जब ऊपर की पत्तियॉ पीली पड़ने लगे तब जमीन की सतह से कटाई करनी चाहिये। आसवन तेल की उपज (कि0ग्रा0/हे0)– शाक को छाया मुरझाने के बाद आसवन करना चाहिये।

(धनराशि परिवर्तनीय है)

मेन्थॉल मिन्ट (दो कटाई) : 200
मेन्थॉल मिन्ट (एक कटाई) : 100–125
पिपरमिन्ट (दो कटाई) : 80–100
स्पियरमिन्ट (दो कटाई) : 120–125
बरगॉमाट मिन्ट (दो कटाई) : 120–125

आय–व्यय– मेन्थॉल मिन्ट (दो कटाई) : 40–45 हजार/हे0

कुल आय– 1,40,000. शुद्ध आय रू0 1,00,000/– हे0

पिपरमिन्ट (दो कटाई) व्यय रू0 40,000/–हे0 कुलआय–रू0 1,00,000/– हे0
शुद्ध आय रू0 60,000/–

स्पियर मिन्ट (दो कटाई) : व्यय रू0 45,000/– हे0

कुल आय– : 1,44,000/– हे0 शुद्ध आय– 1 लाख रू0/हे0

बरगॉमाट मिन्ट (दो कटाई) : व्यय रू0 45,000/–/ हे0

कुल आय रू0 **1,20,000/–** शुद्ध आय रू0 75,000/–हे0

(केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान द्वारा उपलब्ध)

****

खस (वेटीवर)

साधारण नाम– खस, वेटीवर
वानस्पतिक नाम– काईसोपोगान जिजैनियाइडिस
उन्नत किस्में– के0एस0–1, केएस0–2, धारिणी, केशरी गुलाबी, सिम वृद्धि सीमैप खस–15 सीमैप खस–22 सिमैन खुसनालिका

उपयोग–

जड़ों से प्राप्त सुगन्धित तेल, कास्मेटिक,साबुन एवं इत्र आदि में प्रयोग किया जाता है। इसका तेल उच्च श्रेणी का स्थिरक होने के कारण चन्दन,लेवेण्डर एवं गुलाब के तेल पर ब्लेन्डिंग में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त तम्बाकू, पान–मसाला एवं शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है।

जलवायु– मुख्य रूप से सम–शीतोष्ण जलवायु।

भूमि–

बलुई दोमट भूमि उपयुक्त, भारी एवं बलुई में भी खस की खेती की जा सकती है। जल भराव एवं असिंचित क्षेत्रों के अतिरिक्त 9.5 पी0एच0 मान वाली भूमि में भी खस की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है।

प्रवर्धन–

खस मुख्यतः स्लिप्स (कल्लों) द्वारा ही लगायी जाती है। पौध सामग्री प्राप्त करने के लिए 7–8 माह पुराने खस के कल्ले को 25–30 से0मी0 ऊपर से काट देते हैं। उसके बाद कल्ले को खोदकर स्लिप को अलग कर देते हैं।

पौधरोपण एवं भूमि की तैयारी–

सामान्यतः रोपाई मानसून (जुलाई–अगस्त) में करते हैं,किन्तु खस की एकवर्षीय फसल के लिए स्लिप रोपण का उपयुक्त समय उत्तर भारत में अक्टूबर नवम्बर एवं जनवरी–फरवरी है। रोपाई 45–30 से0मी0 की दूरी पर करना चाहिये। अन्तः फसल के लिए रोपाई 60 30 से0मी0 की दूरी पर करें।

अन्तः फसल–

अक्टूबर–नवम्बर में रोपी खस के साथ गेहूँ तथा जनवरी–फरवरी में रोपी खस के साथ मेंथा आवेन्सिस, मेन्था पीपरेटा एवं तुलसी की अन्तः फसल ले सकते हैं। इस प्रकार अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है।

खाद एवं उर्वरक –

खस की फसल में 10–15 ट्राली सड़ी गोबर की खाद तथा 80–100 किग्रा0 नत्रजन 50–60 किग्रा0 फास्फोरस एवं40–50 कि0ग्रा0 पोटाश प्रति हे0 की

आवश्यकता पड़ती है। नत्रजन की मात्रा चार बराबर भाग में रोपाई के क्रमशः 30,60,90 एवं 120 दिन बाद दी जाती है।

सिंचाई–

पौधारोपण के तुरन्त बाद पहली सिंचाई करनी चाहिये और फिर आवयकता––नुसार 7–8 सिंचाई करनी चाहिये।

कटाई–

जड़ों की खुदाई 11–13 माह में करना ठीक रहता है। जड़ों की खुदाई करने का समय दिसम्बर एवं जनवरी माह है।

उपज–

जड़ की उपज 15–20कु0/हे0 होती है, जिससे 18–25 किग्रा0/हे0 तेल प्राप्त होता है।

शुद्ध लाभ–

शुद्ध लाभ प्रति हे0 1,05,000 से 1,25,000/– रू0 होगा।

(धनराशि परिवर्तनीय है)

(केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान द्वारा उपलब्ध)

****

रोशा घास (पामारोजा)

साधारण नाम– रोशा घास, पामारोजा
वानस्पतिक नाम– सिम्बोपोगान मार्टिनाई प्रजाति मोतिया
उन्नत किस्म– पी0आर0सी0–1 तृष्णा, तृप्ता, वैष्णवी एवं सिमैप– हर्ष

उपयोग–

पामारोजा के तेल में गुलाब के तेल जैसी महक होती है, इसलिये इसका प्रयोग उच्चकोटि की प्रसाधन सामग्री और स्वाद गन्ध उद्योग में किया जाता है।

पौध परिचय–

पामारोजा का पौधा 100–150 से0मी0 लम्बा होता है तथा इस पर हल्के सुनहले रंग के फूल आते हैं। तेल फूल एवं पत्तियों दोनों में पाया जाता है। यह बहुवर्षीय घास है तथा वर्ष में सिंचित अवस्था में 3–4 कटाई की जा सकती है। असिंचित अवस्था में 2 कटाई की जाती है।

जलवायु–

गर्म एवं शुष्क जलवायु अत्यन्त अनुकूल रहती है। उत्तर भारत के उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में भी आर्थिक रूप से उपयोगी फसल है।

भूमि–

उचित जल निकास वाली सामान्य से 9.5 पी0एच0 वाली मृदायें उपयुक्त मानी जाती हैं। जलभराव, फसल के लिए हानिकारक होता है। असिंचित एवं ऊपर मृदा में भी खेती की जा सकती है।

प्रर्वधन–

बीज द्वारा रोपण विधि से एक हेक्टेयर के लिए 5–6 किग्रा0 बीज की आवश्यकता होती है। यदि छिटकवॉ विधि से करना है तो 10–12 कि0ग्रा0 बीज पर्याप्त होता है।

पौधरोपण एवं भूमि की तैयारी–

2–3 जुताई करके भूमि को भुरभुरा बना लेना चाहियें। उसके बाद सामान्य दशाओं में 60 ग 30 से0मी0 की दूरी पर 30–40 दिन की नर्सरी द्वारा रोपाई कर दी जाती है। नर्सरी 500 वर्ग मीटर में वर्षा से 25–30 दिन पूर्व डालते हैं। असिंचित अवस्था में 30 ग 30 से0मी0 की दूरी में लगाते हैं।

खाद एवं उर्वरक–

सिंचित अवस्था में पामारोजा में 150:50:50 किग्रा0 नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश की आवश्यकता प्रति हे0/वर्ष पड़ती है। नत्रजन प्रत्येक कटाई के बाद

3–4 बार में देना चाहिये तथा फास्फोरस एवं पोटाश वर्ष में एक बार गुड़ाई करके मिला देना चाहिये । पहले साल अन्तिम जुताई के समय खेत में मिला देते हैं। असिंचित अवस्था में उपरोक्त की आधी मात्रा वर्षा ऋतु में डालते हैं।

सिंचाई–

पहली सिंचाई रोपण के तुरन्त बाद करते हैं। यदि वर्षा हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकयता नहीं होती है। पामारोजा कम पानी चाहने वाली फसल है, शरद ऋतु में दो तथा ग्रीष्म ऋतु में 3–4 सिंचाई पर्याप्त रहती है। सीमित पानी होने पर प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई करें।

कटाई–

पामारोजा की कटाई जमीन से 10–15 सेमी0 भाग छोड़कर 50 प्रतिशत पुष्प आने की अवस्था में दॅराती द्वारा की जाती है। वर्षा ऋतु में फूल आने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिये।

उपज –

(किलो–प्रतिवर्ष) सिंचित अवस्था में 125–150 कि0ग्रा0 / हे0 / वर्ष असिंचित में 80 कि0ग्रा0 / हे0 / वर्ष।

भण्डारण–

आसवन के पश्चात् सामान्य तापक्रम पर पामारोजा के तेल को एल्यूमिनियम की बोतलों में भण्डारित किया जा सकता है।

प्रमुख घटक–

जिरेनियाल, जिरेनाल एसीटेट

(धनराशि परिवर्तनीय है)

आय– व्यय (5 वर्ष के आधार पर)	सिंचित	असिंचित
व्यय प्रति हे0 / वर्ष	रू.40,000 / –	रू.30,000 / –
कुल आय	रू. 1,60,000 / –	रू.1,00,000 / –
शुद्ध आय	रू.1,20,000 / –	रू. 70,000 / –

(केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान द्वारा उपलब्ध)

****

सुगन्धित पौधों का आसवन एवं आसवन सम्बन्धित महत्वपूण जानकारियॉ

सुगन्धित पौधों से मूल्यवान सगन्ध तेल अधिकतर आसवन द्वारा प्राप्त किया जाते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के इत्र, स्वाद,गन्ध,सौंदर्य प्रसाधन एवं दवा इत्यादि में किया जाता है। इनका आसवन अधिकतर स्थानीय स्तर पर बताये जाने वाले देशी आसवन संयंत्रों द्वारा किया जाता है,जो कि कम लागत में बनकर तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें तकनीकी डिजाइन की कमी तथा संयंत्र निर्माण सामग्री की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण तो निम्नलिखित पहलुओं पर खरे उतरते हैं।

1. असुरक्षित होना– टंकी फटने की घटनायें।
2. अकुशल तकनीकी रूपांकन।
3. आसवन में अधिक समय का लगना।
4. आसवन में अधिक ईधन की खपत।
5. वाष्प का कम उत्पादन।
6. तेल की कम मात्रा में प्राप्ति।
7. तेल की गुणवत्ता खराब होने का भय।
8. कार्य क्षेत्र में प्रदूषण।
8. सस्ता संयंत्र बनाने की प्रतिस्पर्धा में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग कर तरह–तरह की समस्याओं को निमन्त्रण देना।

अतः उपरोक्त समस्याओं को समाधान, तेल की अच्छी गुणवत्ता एवं अधिक मात्रा में प्राप्ति तथा समय व ईधन की बचत को ध्यान में रखकर केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान,लखनऊ ने उन्नत आसवन इकाई विकसित की है, जिसके द्वारा लगभग 3–4 घण्टे में आसवन पूरा हो जाता है। लगभग 20–30 प्रतिशत ईधन की बचत होती है। टन्की, माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनायी जा सकती हैं। टन्की के नीचे के भाग को एक चौकोर कैलेंड्रिया से जोड़ दिया जाता है जिसमें स्मोक पाइप फिट होते हैं जिससे यह एक इन बिल्ट व्यालर का कार्य करता है और इससे ईधन की काफी बचत होती है। टन्की को एक विशेष प्रकार की भट्टी पर फिट किया जाता है। ईधन को भलीभॉति जलाने के लिए भट्टी में फॉयर डोर लगाये जाते हैं।भट्टी को एक नाली के द्वारा चिमनी से जोड़ दिया जाता है जिससे भट्टी में हवा का प्रवाह अच्छा बनता है तथा भट्टी के आसपास धुऑ इकटठा नहीं होता है।

टन्की के ऊपरी भाग को एक वेपर पाइप कनेक्शन के द्वारा कण्डेंसर से जोड़ दिया जाता है। कण्डेंसर का डिजाइन टन्की की क्षमता के हिसाब से किया जाता है ताकि टन्की में बनने वाली वाष्पको पूर्ण रूप से कम तापमान पर द्रवित कर सके तथा तेल का नुकसान न होने पायें। वेपर पाइप तथा कण्डेसर के आगे एक विशेष प्रकार से डिजायन किया हुआ रिसीवर रखते हैं जिसमें तेल तथा पानी का मिश्रण अलग हो जाता है तथा पानी के साथ तेल रिसीवर के बाहर नहीं जा पाता है। आसवन के पश्चात् पौध सामग्री को टन्की से बाहर निकालने के लिए चेन पुली, ट्राली तथा स्ट्रक्चर का भी उपयोग किया गया है जिससे कि बहुत कम समय में आस्वित पौध सामग्री को बाहर निकाल लिया जाता है। सीमैप द्वारा विकसित क्षेत्र आसवन का उपयोग अनेकों बड़ें किसान एवं उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है।

सीमैप द्वारा विकसित उन्नत क्षेत्र आसवन इकाई के लाभ –

सीमैप द्वारा विकसित आसवन इकाई में हीट ट्रान्सफर एरिया अधिक होने के कारण वाष्प अधिक मात्रा में बनती है, जिससे तेल कम समय में अधिक मात्रा एवं अच्छी गुणवत्ता का तेल प्राप्त होता है।आस्वित पौध सामग्री को सुखाकर ईधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा इसमें देशी क्षेत्र आसवन इकाई की तुलना में लगभग 20–30 प्रतिशत ईधन की बचत होती है। इस इकाई को बिना किसी मरम्मत के अधिक समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है।

उपरोक्त आधुनिक डिजायन वाली इकाई विभिन्न क्षमताओं में बनाई जा सकती है इसलिये अपनी आवश्यकता अनुसार छोटे किसान व्यक्तिगत रूप से या कुछ किसान सम्मिलित होकर बड़ी आसवन इकाईयॉ भी लगाये तो यह जान–माल की हानि, समय, श्रम की बचत एवं लाभ प्राप्त करने वाला एवं आसवन का वैज्ञानिक एवं आधुनिक इकाई अधिक कीमती लगती है,लेकिन अन्य पहलुओं की तरफ ध्यान दिया जाय तो यह आसवन इकाई आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी सिद्ध होता है।

देशी क्षेत्र आसवन इकाई में सुरक्षा के उपाय–

ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाने वाली सस्ती क्षेत्र आसवन इकाईयॉ सुरक्षा की दृष्टि से बहुत असुरक्षित हैं।संयंत्र की डिजायन तथा निर्माण सामग्री ठीक न होने के कारण टन्की फटने से अनेक दुर्घटनायें होती रहती हैं,जिससे जान–माल का नुकसान होता है। वेपर पाइप पतला होने के कारण पौध सामग्री की पत्तियॉ इत्यादि पाइप एवं क्वायल कण्डेंसर में फॅस जाती है जिसके कारण टन्की में प्रेशर

उत्पन्न हो जाता है और टन्की फट जाती है। इसलिए वेपर पाइप तथा कण्डेंसर के पाइप को मोटा तथा टन्की और पाइप के बीच में एक जाली लगाकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। उच्च तकनीकी रूपांकन अथवा सीमैप द्वारा विकसित उन्नत क्षेत्र आसवन इकाई के प्रयोग से दुर्घटना की सम्भावना नहीं रहती है एवं उच्च गुणवत्ता तथा अधिक मात्रा में तेल प्राप्त किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें–

1– सुगंधित फसलों को काटने के पश्चात अधिक समय तक उनके ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिये।फसल को फैलाकर छाया में रखे तथा ध्यान रखें कि कटाई के पश्चात वर्षा के कारण फसल भीगने न पायें।

2– टन्की में मेंथा, लेमन ग्रास, पामारोजा इत्यादि को खूब दबाकर भरना चाहिये । जिरेनियम, गुलाब एवं खस इत्यादि को अधिक दबाकर नहीं भरा जाये।

3– ध्यान रखें कि किसी तेल की महक दूसरे तेल में न मिलने पाये इसलिये आसवन इकाई की सफाई दूसरी फसल के आसवन से पहले वाष्प द्वारा भली–भॉति करें। सफाई के लिए साबुन या किसी पाउडर इत्यादि का प्रयोग न करें।

4–सगंध तेल के आसवन के पश्चात् उसमें कुछ नमी व गन्दगी रहती है। अतः इसको भण्डारण से पहले साफ करना चाहिये। तेल का 6–7 घण्टे के पश्चात निथार करके या फिल्टर कर साफ करके भण्डारण अथवा विपणन करें। आवश्यकता हो तो थोड़ा एन्हाइट्रस सोडियम सल्फेट डालकर तेल में नमी को दूर कर सकते हैं।

5–कण्डेसर से द्रवित तेल एवं पानी का मिश्रण अधिक गरम नहीं होना चाहिये।

6–तेल का भण्डारण जी आई, एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील के बर्तन को पूरा भर कर धूप व रोशनी से दूर करें।

(केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान द्वारा उपलब्ध)

****

उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान–कार्यालय,10–मालएवेन्यू, लखनऊ

परिपत्र संख्या–सी–89 / तक0प्र0 / निर्देशिका / 2017–18 दिनांक– 05.02.2018

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय–ऋण वितरण प्रकिया एवं अप्रेजल सम्बन्धी निर्देशिका ।

बदले हुए वाणिज्यिक परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि बैंक के उ्देश्यों की पूर्ति करने हेतु त्वरित निर्णय लेकर कार्य सम्पादित किये जायें, किन्तु योजनाओं की तकनीकी व ऋण वितरण प्रक्रिया सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी न होने के कारण कतिपय शाखा–कर्मी या तो लाभार्थी को वापस कर देते हैं अथवा मुख्यालय से उक्त के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।परिणामतः बैंक के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ–साथ मुख्यालय का भी समय व्यर्थ होता है। इस प्रकार विभिन्न योजनाओं के संचालन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के उद्देश्य से **''ऋण वितरण प्रकिया एवं अप्रेजल''** सम्बन्धी मार्गदर्शिका आपको प्रेषित की जा रही है। इस मार्गदर्शिका में योजनाओं के संचालन, अप्रेजल व अभिलेखों के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया गया है कि शाखा के कर्मचारी / अधिकारी योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले ऋणों के विषय में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया व अप्रेजल से सम्बन्धी त्वरित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

इस मार्गदर्शिका में विभिन्न योजनाओं के अप्रेजल में दर्शाये गये ऑकड़ें मात्र उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किये गये है। अतः समस्त शाखा कर्मियों से यह अपेक्षा की जाती है कि **योजनानुसार वास्तविक आगणन करते समय आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रचलित मूल्यों का प्रयोग करें ताकि लाभार्थी की ऋण भुगतान क्षमता आदि के आगणन के विषय में कोई त्रुटि न हो।**

यह निर्देशिका इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शाखा–कर्मी इसका समुचित उपयोग करना सुनिश्चित करें। निर्देशित किया जाता है कि निर्देशिका शाखा प्रबन्धक के चार्ज में रखी जाये तथा शाखा प्रबन्धक के स्थानान्तरण होने पर चार्ज–तालिका में उक्त निर्देशिका का चार्ज प्रतिस्थानी शाखा प्रबन्धक को विधिवत् प्राप्त कराया जाये। चूँकि निर्देशिका में दिया गया मार्गदर्शन ऋण वितरण प्रकिया,मूल्यांकन व ऋण भुगतान क्षमता के आगणन से सम्बन्धित है अतः प्रत्येक दशा में इसे फील्ड कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस दिशा में पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे और बैंक ऋण को गुणवत्ता एवं लाभकारी बनाने हेतु सहयोग करेंगे।

ह०
(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का सामयिक अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2–समस्त अधिकारीगण,प्रधान कार्यालय / प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।
3–मुख्य महाप्रबन्धक,राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,क्षेत्रीय कार्यालय,विभूति खण्ड,लखनऊ।

ह०
प्रबन्ध निदेशक